सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) ख के अनुसार 17 मैनुअल्स का संग्रह

वर्ष 2015–16

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड,

पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग) मोथरोवाला रोड

देहरादून– 248115

फोन नं0 0135–2532926 फैक्स नं0 0135–2532816

ई0मेल **ceo.uswdb.uk@gov.in, ceo.uswdb@yahoo.com**

मैनुअल सं0 01 से 17 तक

वर्ष 2015–16

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड से सम्बन्धित सूचना के अधिकार की हस्त पुस्तिका (मैनुअल) की सूची वर्ष 2015–16

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	परिचय	02
1	संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य	03–39
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य	40–42
3	निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनायी जाने वाली कार्यविधि	43–52
4	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	53–55
5	कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	56–61
6	उपलब्ध दस्तावेजों का विवरण	62–65
7	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन–प्रतिनीधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण	66–67
8	बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण	68–69
9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	70–72
10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति	73–74
11	प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	75–79
12	अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के तरीके	80–91
13	रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण	92–94
14	इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें	95–96
15	सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	97–98
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां	99–100
17	अन्य उपयोगी जानकारियाँ	101–104

परिचय

उत्तराखण्ड में ऊन उत्पादन को बढावा देने तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास बहुत समय पूर्व से किये जाते रहें हैं। सर्वप्रथम तीसरे दशक की शुरूआत में Mr. Eagen तत्कालीन निदेशक, पशुपालन विभाग, अविभाजित उत्तर प्रदेश ने एक जुलाई, 1936 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें विदेशी नस्ल के मेढ़ों से संकर प्रजनन कराये जाने की संस्तुति की गयी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में भेड़ पालन व्यवसाय के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सन् 1950 में राजकीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र, पीपलकोटी, चमोली की स्थापना की गयी। तत्पश्चात सन् 1953–54 में केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, पशुलोक, ऋषिकेश तथा चमोली में 03, बागेश्वर में 03 मेढ़ा केन्द्रों की स्थापना की गयी।

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अर्न्तगत राज्य के भेड़पालकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं तथा उनकी भेड़ों की ऊन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के सहयोग से सोसाइटी–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन पत्रांक 731/2003–2004 दिनांक 31.10.2003 द्वारा किया गया जिसका नवीनीकरण दिनांक 03.09.2009 को किया गया।

उत्तराखण्ड शासन के पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग के शासनादेश संख्या 568/प.म. दु.–उ.वि.बो/2003 देहरादून दिनांक 29 अक्टूबर 2003 के अनुसार माननीय राज्यपाल की स्वीकृति के अनुसार उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन निम्न प्रकार किया गया :–

1–मा0 मंत्री, पशुधन एवं मत्स्य, उत्तराखण्ड सरकार : पदेन अध्यक्ष
2–सचिव, पशुपालन उत्तराखण्ड शासन : पदेन उपाध्यक्ष
3–अपर सचिव, पशुधन एवं मत्स्य, उत्तराखण्ड शासन पदेन सचिव/सदस्य
4–प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन : पदेन सदस्य
5–सचिव, उद्योग उत्तराखण्ड शासन : पदेन सदस्य
6– मुख्य कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड
(वस्त्र मंत्रालय) भारत सरकार : पदेन सदस्य
7–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग, उत्तराखण्ड : पदेन सदस्य
8–प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तराखण्ड : पदेन सदस्य
9–प्रबन्ध निदेशक, कुमांयू मण्डल, विकास निगम, उत्तराखण्ड : पदेन सदस्य

मैनुअल–1

संगठन की विशिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्य

1. संगठन की विशिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्य :–

उत्तराखण्ड शासन के पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग के शासनादेश संख्या 568/प.म. दु.–उ.वि.बो/2003 देहरादून दिनांक 29 अक्टूबर 2003 के अनुसार उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड के गठन के निम्न उद्वेश्य है–

1.1 संगठन के उद्देश्य–

उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड के उद्देश्य निम्नवत हैं :–

- उत्तराखण्ड में भेड़ों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग देना।
- उत्तराखण्ड में भेड़ों की बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम।
- उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों की भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
- उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहयोग देना।
- उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों द्वारा उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में सहयोग करना।
- उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करना।
- उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों को भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना।
- उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों के स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग देना।
- उत्तराखण्ड में भेड़ों की संख्या में आ रही कमी को रोकने हेतु विभिन्न विभागों के माध्यम से लाभकारी योजनाएं तैयार करना।
- उत्तराखण्ड में हथकरघा तथा विभिन्न प्रकार के उद्योगों को तलाशने/स्थापना के प्रति तकनीकी सहायता प्रदान करने में सहयोग देना।
- भेड़/बकरी पालकों एवं इस कार्य में लगे पशुपालन विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण के माध्यम से भेड़ पालन कार्यक्रम, कच्ची ऊन से ऊनी वस्त्रों के निर्माण की नई तकनीकी जानकारियों को प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना।
- भेड़/बकरी पालन कार्यक्रम में लगे पशुपालन विभाग, अन्य विभागों को तालमेल के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को एकरूपता की दृष्टि से चलाये जाने में सहायता प्रदान करना।

1.2 संगठन का मिशन–

उत्तराखण्ड राज्य में भेड़ बकरी एवं शशक पालन को सघन रूप से विकसित करके राज्य के ग्रामवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु अवसर प्रदान करना है।

1.3 संगठन के कर्तव्य–उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेंट बोर्ड का मिशन निम्नवत् है–

- भेड़ों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम
- भेड़ों की बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम।
- भेड़ पालकों की भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम
- भेड़ पालकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहयोग देना।
- भेड़ पालकों द्वारा उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में सहयोग करना।
- भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में नई तकनीकों की जानकारी/ प्रशिक्षण प्रदान करना।
- भेड़ पालकों को भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना।
- भेड़ पालकों के स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग देना।
- हथकरघा तथा विभिन्न प्रकार के उद्योगों को तलाशने/स्थापना के प्रति तकनीकी सहायता प्रदान करने में सहयोग देना।
- भेड़/बकरी पालन कार्यक्रम में लगे पशुपालन विभाग, अन्य विभागों को तालमेल के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को एकरूपता की दृष्टि से चलाये जाने में सहायता प्रदान करना।

1.4 संगठन के मुख्य कृत्य–

1– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम।
2– नस्ल सुधार कार्यक्रम।
3– उत्पादकता विकास कार्यक्रम।
4– भेड़ों को ऊन कतरन से पूर्व नहलाया जाना।
5– ऊन की ग्रेडिंग।
6– मशीन द्वारा ऊन कतरन।
7– उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में सहायता।
8– प्रशिक्षण कार्यक्रम।
9– बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना।

1.5 संगठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :–

उत्तराखण्ड एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसका उदय देश के 27 वें राज्य के रूप में 09 नवम्बर, 2000 को हुआ। उत्तराखण्ड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या 84,79,562 है, जिसमें से 13,997 भेड़ पालक हैं, वर्ष 2003 की 17वीं पशुगणना के आधार पर इन भेड़ पालकों के पास कुल भेड़ों की संख्या 2.95 लाख है। उत्तराखण्ड में ऊन उत्पादन को बढावा देने तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास बहुत समय पूर्व से किये जाते रहें हैं। सर्वप्रथम तीसरे दशक की शुरूआत में Mr. Eagen तत्कालीन निदेशक, पशुपालन विभाग, अविभाजित उत्तर प्रदेश ने एक जुलाई, 1936 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें विदेशी नस्ल के मेढ़ों से संकर प्रजनन कराये जाने की संस्तुति की गयी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में भेड़ पालन व्यवसाय के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सन् 1950 में राजकीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र, पीपलकोटी, चमोली की स्थापना की गयी। तत्पश्चात सन् 1953–54 में केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, पशुलोक, ऋषिकेश तथा चमोली में 03, बागेश्वर में 03 मेढ़ा केन्द्रों की स्थापना की गयी।

1.6 भेड़ों की संख्या में विगत वर्षों से निरन्तर कमी आ रही है, जिसके प्रमुख कारण निम्नवत् हैं :–

- भेड़पालकों का आधुनिक सुख–सुविधाओं के कारण व्यवसाय से पलायन।
- रोजगार साधनों का विविधीकरण।
- भेड़पालकों के उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त न होना।
- भेड़ पालन कार्य कठिन श्रम का होना।
- पारम्परिक भेड़पालकों में शिक्षा का व्यापक प्रसार होने के कारण इस कार्य में कम योगदान देना।
- भेड़ पालकों को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से हेय की दृष्टि से देखा जाना।
- वनों एवं चारागाहों की कमी।
- विभिन्न सेन्चुरियों का निर्माण कर चरान–चुगान क्षेत्र को प्रतिबन्धित करना।
- बुग्यालों की स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट आना।
- वन अधिनियम के लागू होने से चरान–चुगान क्षेत्रों को प्रतिबन्धित करना।

1.7 भेड़ पालन कार्यक्रम को एकीकृत रूप से विकसित करने तथा भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 की स्थापना की गई।

1.8 **उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना :** भेड़पालकों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं तथा उनकी मांग को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन शासनादेश सं0 568/प.म.दु.ऊ.वि.बो./2003 दिनांक 29.10.03 के माध्यम से करते हुए इसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सं0 21,1860 के अधीन सं0 1998 दिनांक 31.10.03 के द्वारा किया गया।

1.9 संगठन के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढांचा–

बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा – यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी. का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है :–

गवर्निंग बाडी :–

अध्यक्ष (माननीय पशुपालन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार)/कार्यकारी अध्यक्ष
(राज्य सरकार द्वारा नामित)

↓

उपाध्यक्ष (राज्य सरकार द्वारा नामित) अथवा सचिव, पशुपालन, उत्तराखड शासन

↓

मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)/सदस्य–सचिव

↓

सदस्य **(25)**

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन
2. सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन
3. सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन
4. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन
5. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
6. अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
9. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर (पर्वतीय कैम्पस) रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल/प्रतिनिधि
10. मुख्य अधिशासी अधिकारी, हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद/प्रतिनिधि
11. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड/प्रतिनिधि
13. मुख्य अधिशासी अधिकारी (अपर निदेशक समकक्ष), यू0एल0डी0बी0,देहरादून।
14. अधिशासी निदेशक, हाईफीड, रानीचौरी।
15. वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून।
16. डा0 यू0 के0 अथैया, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, देहरादून (विषय विशेषज्ञ)
17. भेड़पालक श्री जसपाल सिंह ग्राम बगोरी, पो0 हर्षिल, तहसील भटवाड़ी, उत्तरकाशी।
18. भेड़पालक श्री भगत सिंह ग्राम झेलम, जोशीमठ, चमोली।
19. भेड़पालक श्री सोहन सिंह, ग्राम गेठांड़ा, पो0 कोटबांगर, जखोली, रूद्रप्रयाग।
20. भेड़पालक श्री वीर सिंह, ग्राम गंगी, घुत्तू, घनसाली, टिहरी गढ़वाल।
21. भेड़पालक श्री ओम प्रकाश, ग्राम मनसारी, ढुंगीधार, थलीसैंण, पौड़ी गढ़वाल।
22. भेड़पालक श्री भूप सिंह, ग्राम गोरछा, चकराता, देहरादून।
23. भेड़पालक श्री बलवन्त राम, ग्राम लीती, पो0 कपकोट, बागेश्वर।
24. भेड़पालक श्री गंगा सिंह जेष्टा, ग्राम पांतो, पो0 लीलम, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।
25. भेड़पालक श्री कुशाल सिंह, ग्राम सुरमोली, पो0 देघाट, अल्मोड़ा।

अधिशासी कमेटी :–

अध्यक्ष (सचिव, पशुपालन)

↓

उपाध्यक्ष (अपर सचिव, पशुपालन)

↓

मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)/सदस्य–सचिव

↓

सदस्य **(7)**

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य अधिशासी अधिकारी (अपर निदेशक समकक्ष), यू0एल0डी0बी0,देहरादून।
3. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
4. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम।
5. निदेशक, समाज कल्याण, देहरादून।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून।

विभागीय प्रशासनिक ढांचा :–

माननीय मंत्री जी, पशुपालन, उत्तराखण्ड सरकार

↓

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग,

↓

सचिव, पशुपालन

↓

अपर सचिव, पशुपालन

↓

पशुपालन अनुभाग

↓

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड

↓

मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)

↓

अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी (वरिष्ठतम पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1)

↓

संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी (पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1)

↓

उप प्रबन्धक (पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–2)

↓

लेखाकार

↓

वरिष्ठ सहायक

↓

कनिष्ठ सहायक

↓

पशुधन प्रसार अधिकारी

↓

वाहन चालक

↓

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था निम्नवत् है–

- पशुधन प्रसार अधिकारी– पशुपालन विभाग।
- पशुचिकित्सा अधिकारी– पशुपालन विभाग।
- विकास खण्ड स्तर पर तैनात पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1–पशुपालन विभाग।
- मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़)– पशुपालन विभाग।
- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)– पशुपालन विभाग।
- परियोजना निदेशक, लघु पशु, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल– पशुपालन विभाग।
- मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)–यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0।
- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड– पशुपालन विभाग।
- अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।

- सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन।

1.10 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते–

- पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1, विकास खण्ड– जनपद–
- मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), जनपद–
- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूं मण्डल, नैनीताल
- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
- अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

1.11 कार्यालय के खुलने तथा बन्द होने का समय –

कार्यालय का नाम	कार्यालय खुलने का समय	कार्यालय बन्द होने का समय
पशुचिकित्सा अधिकारी	ग्रीष्मकाल प्रातः 08:00 बजे	अपरान्ह 2:30 बजे
	शीतकाल प्रातः 09:00 बजे	अपरान्ह 3.30 बजे
मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)	प्रातः 10:00 बजे	सांय 05:00 बजे
अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	प्रातः 09:30 बजे	सांय 06:00 बजे

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग
संख्या 568/प.म.दु.–उ.वि.बो./2003
देहरादून दिनांक अक्टूबर 29, 2003

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड को क्रियान्वित करने हेतु श्री राज्यपाल ''उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के निम्नवत गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय देहरादून होगा।

1. माननीय पशुपालन मंत्री जी, उत्तराखण्ड	पदेन अध्यक्ष
2. सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन उपाध्यक्ष
3. अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सचिव/सदस्य
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
5. सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
6. मुख्य कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार	पदेन सदस्य
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य
8. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य
9. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूं मण्डल विकास निगम, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य

Sd/-
(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या 3484 पत्रावली सं0–19539D दिनांक 28.01.2014

सोसाईटी के नवीनीकरण का प्रमाण–पत्र

नवीनीकरण संख्या 340 / 2013–2014

फाईल संख्या 19539D

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग) मोथरोवाला रोड, पो0ओ0 मोथरोवाला देहरादून को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या 731/2003-2004 दिनांक 31-Oct-13 को दिनांक 30-Oct-13 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नवीनीकृत किया गया है

रू0 500.000 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 26-Dec -13

Sd/-
सोसाइटी–रजिस्ट्रार
उत्तराखण्ड

प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, अधिशासी कमेटी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव के कक्ष में दिनॉक 11 मई 2015 को सम्पन्न हुई अधिशासी कमेटी की नवीं बैठक का कार्यवृत

उपस्थिति संलग्न है।

सर्वप्रथम मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा बैठक में उपस्थित प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन (अध्यक्ष) एवं सदस्यों का अभिवादन किया गया और समस्त सदस्यों द्वारा अपना परिचय कराया गया, तद्पोरान्त अध्यक्ष जी से अनुमति प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा एजेण्डानुसार प्रस्तुतीकरण अध्यक्ष/सदस्यों के सम्मुख किया गया, जिसमें एजेण्डानुसार प्रस्तरवार चर्चा की गयीः–

कार्यवृत :

1. मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि राज्य के भेड़–बकरीपालकों के पशुओं हेतु भेड़–बकरी बाड़े का निर्माण एवं भेड़पालकों द्वारा उत्पादित ऊन के विपणन की समुचित व्यवस्था किये जाने हेतु योजना तैयार की जाय। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि ILSP-IFAD योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप योजना स्वीकृत कराये जाने हेतु ILSP-IFAD, उद्योग विभाग एवं उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक शीध्र आयोजित की जाय।

   (कार्यवाही : ILSP-IFAD, उद्योग विभाग एवं उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, निदेशक पशुपालन)

2. बैठक में गत बैठक दिनॉक 11 अप्रैल 2014 से वर्तमान तक बोर्ड द्वारा निष्पादित महत्वपूर्ण कार्यो पर चर्चा की गई। अधिशासी कमेटी द्वारा किये गये कार्यो की प्रशंसा करते हुए अनुमोदन किया गया।

3. **भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम** के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान कार्यो में दक्षता लाई जाय तथा वर्तमान में प्रचलित नवीनतम एवं आधुनिकतम तकनीकी को अपनाते हुए Frozen Semen द्वारा भी भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान प्रारम्भ किया जाय किन्तु इसके लिए Minimally Invensive प्रक्रिया अपनाये जाने पर बल दिया जाय। Surgical प्रक्रिया से यथासम्भव बचा जाय। भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer Technology) पर भी कार्य किया जाय तथा श्रेष्ठतम नस्ल के नर मेढ़ों की उत्पत्ति सुनिश्चित की जाय। **(कार्यवाही : उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)**

4. **सामाजिक सुरक्षा योजना** के अन्तर्गत प्रभारी सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड ने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री जन धन योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत भेड़पालकों बकरीपालकों को सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रयास किये जाय।

   प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा वित्त पोषित केन्द्रीय भेड़पालक बीमा के साथ–साथ प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ प्रदेश के भेड़पालकों को दिया जाय। **(कार्यवाही : उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)**

5. भेड़ों के चरान–चुगान की व्यवस्था के लिए भूटिया ग्रेजिंग रूल्स 1927 में संशोधन कराये जाने हेतु मा0 मंत्री मण्डल द्वारा गठित मा0 मंत्रियों की उप समिति की बैठक शीध्र कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया।

   (कार्यवाही अपर सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड)

6. शासनादेश संख्या 56 दिनॉक 19.1.2004 के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के मैदानी जनपदों हरिद्वार, उधमसिंहनगर, देहरादून एवं नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों के बकरीपालकों के सहायतार्थ योजना संचालित किये जाने के निर्देश प्रभारी सचिव द्वारा दिये गये। यह भी निर्देशित किया गया कि योजना तैयार करने से पूर्व इन क्षेत्रों के बकरीपालकों के बीच सर्वे कर उनकी आवश्यकता अनुरूप योजना तैयार की जाय।

   (कार्यवाही : सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, निदेशक पशुपालन)

7. दिनॉक 11 अप्रैल 2014 को आयोजित अधिशासी कमेटी की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि का अधिशासी कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयीः

7.1 अंगोरा शशक विकास के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड में मॉस के लिए अंगोरा शशक के प्रचलन एवं व्यवस्था के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना तैयार कर कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही : उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

7.2 राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ग्वालदम में संचालित बरबरी बकरी पायलट प्रोजेक्ट आशानुरूप न होने एवं वहॉ की जलवायु अनुकूल न होने के कारण ग्वालदम प्रक्षेत्र पर स्थापित बरबरी बकरियों को कम ऊॅचाई एवं शुष्क राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र डुण्डा में स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय अधिशासी कमेटी द्वारा लिया गया। पशुधन एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थानान्तरण किये जाने पर पर होने वाले व्यय की पूर्ति भेड़ विकास बोर्ड की प्राप्तियों के अन्तर्गत की जाएगी।

(कार्यवाही :उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड,
निदेशक,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड)

7.3 मोटराईज्ड ग्राइण्डर यूनिट के क्रय के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अधिशासी कमेटी द्वारा चर्चा की गई। इस सम्बन्ध में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 2/7/2014/दिनॉक 4 जून 2014 के ऑफिस मेमोरेण्डम के निर्देशों के क्रम में एवं केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के पत्र संख्या 720 दिनॉक 6 जून 2014 एवं केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर–राजस्थान के आदेश दिनॉक 10 जुलाई 2014 में तय की गई ऊन मोटराईज्ड ग्राइण्डर यूनिट की स्पेशिफिकेशन, दर एवं फर्म के आधार पर उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा भी ग्राइण्डर क्रय किया जाना अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही : उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

7.4 उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भेड़पालकों की भेड़ों की ऊन का क्रय करने के सम्बन्ध में बैठक में चर्चा की गई तथा मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रैन्द्वृष्थ।क्ए उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारियों की बैठक प्रमुख सचिव, पशुपालन की अध्यक्षता में शीध्र आहूत की जाय। जिसमें उत्पादित ऊन के क्रय उपयोग हेतु समुचित संसाधन, वूल बैंक, कार्डिंग प्लाण्ट, प्रोसेसिंग प्लाण्ट की स्थापना पर निर्णय लेते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही :उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड,
निदेशक, उद्योग विभाग, निदेशक, पशुपालन विभाग)

7.5 ऊन की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में अधिशासी कमेटी में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2015–16 हेतु ऊन की दरों के निर्धारण हेतु शासन द्वारा निर्धारित ऊन दर निर्धारण समिति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, निदेशक, उद्योग विभाग एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही : उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

7.6 ऊन श्रेणीकरण केन्द्र मुनि की रेती के रिवाल्विंग फण्ड के सम्बन्ध में चर्चा की गई। प्रभारी सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड ने सुझाव दिया कि ऊन श्रेणीकरण केन्द्र में क्रय–विक्रय का कार्य बन्द है तो रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि ऊन के क्रय–विक्रय कार्य हेतु उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में स्थानान्तरित कर दी जाय।

प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देशित किया गया कि यदि उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत इस रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि का उपयोग करना चाहें तो सुप्रस्ताव शासन को निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के माध्यम से प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाहीःउत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड,निदेशक,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड)

8. दिनॉक 29 अक्टूबर 2014 को आयोजित गवर्निंग बॉडी की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि का बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी-

8.1 समस्त राजकीय भेड़ प्रक्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को संचालित किये जाने पर चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र शामालीती, जनपद बागेश्वर में संचालित कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में दक्षता हासिल की जाय। वर्तमान में सफलता प्रतिशत लगभग 40% बताया गया जिसे कम से कम 50% तक ले जाने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त सीमन (Semen) को Cervix के भीतर रखने की तकनीक विकसित करने पर बल दिया गया। अतः तकनीक सुधार एवं आवश्यक दक्षता लाने के उपरान्त ही अन्य भेड़ प्रक्षेत्रों में एवं भेड़पालकों की भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को प्रचलित किये जाने का निर्णय लिया गया। **(कार्यवाही : उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)**

8.2 बोर्ड की गवर्निंग बॉडी में 09 भेड़पालक सदस्यों के चयन के सम्बन्ध में चर्चा करने पर प्रमुख सचिव द्वारा मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों से पुनः प्राप्त प्रस्तावित 15 नामों एवं विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में पंतनगर पशु चिकित्सा महाविद्यालय के सेवानिवृत प्रोफेसर डा0 यू0 के0 अथैया के नाम को शासन में स्वीकृति हेतु भेजने के लिए निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही : उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

9. बोर्ड द्वारा वर्ष 2014–15 में संचालित समस्त योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिशासी कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

10. वर्ष 2015–16 में संचालित योजनाओं तथा बोर्ड की भावी रणनीति पर विचार :–

10.1 वर्ष 2015–16 में संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा की गई। अहिल्याबाई होलकर योजनान्तर्गत भेड़–बकरीपालकों के बायोमेट्रिक पंजीकरण के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि 19 वीं राष्ट्रीय पशुगणना के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में 17,032 भेड़पालकों का ही बायोमेट्रिक पंजीकरण योजनान्तर्गत सुनिश्चित कराया जाय। इस हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को देखते हुए योजना प्रस्तुत की जाय। बकरीपालकों का पंजीकरण पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनान्तर्गत किया जाय।

(कार्यवाही : उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

10.2 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पॉच सुसज्जित मोबाईल वेटरिनरी वैन को शासन से स्वीकृति उपरान्त क्रय करने तथा निविदा के माध्यम से वाहनों को सुसज्जित करने एवं दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में शिविर आयोजन योग्य करने हेतु अतिरिक्त साजसज्जा का कार्य निविदा पर कराये जाने का अनुमोदन किया गया। **(कार्यवाही : उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)**

11.अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

11.1 राजकीय प्रक्षेत्रों पर भेड़–बकरियों की एक ही प्रजाति व्यवस्थित करने का निम्नानुसार प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

क्र. सं.	राजकीय प्रक्षेत्र का नाम	स्वीकृत पशुधन क्षमता	वर्तमान नस्ल	संख्या	प्रस्तावित नस्ल	प्रस्तावित संख्या	अभ्युक्ति
1	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कोपड़धार, टिहरी	350	रैम्बुले	271	रैम्बुले	350	–
2	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र थलकुण्डी उत्तरकाशी	350	रैम्बुले क्रासब्रीड	311	रैम्बुले क्रासब्रीड	350	05 रैम्बुले मेढ़ें मक्कू से स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित
3	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र डुण्डा उत्तरकाशी	250	रैम्बुले क्रासब्रीड	30	बरबरी बकरी	150	बरबरी बकरी ग्वालदम, चमोली से स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित।
4	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र बंगाली चमोली	350	रशियन मेरिनो	233	रशियन मेरिनो	350	–
5	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पीपलकोटी चमोली	300	रैम्बुले	206	रैम्बुले	300	42 रशियन मेरिनो खलियानबांगर में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित
			रशियन मेरिनो	42			

क्र. सं.	राजकीय प्रक्षेत्र का नाम	स्वीकृत पशुधन क्षमता	वर्तमान नस्ल	संख्या	प्रस्तावित नस्ल	प्रस्तावित संख्या	अभ्युक्ति
6	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र केदारकांठा चमोली	250	रैम्बुले	88	रैम्बुले	250	36 रैम्बुले खलियानबांगर से एवं 125 कर्मी से स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित
7	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र खलियानबांगर, रूद्रप्रयाग	350	रशियन मेरिनो	45	रशियन मेरिनो	350	42 रशियन मेरिनो पीपलकोटी से स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित। 36 रैम्बुले केदारकांठा को स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित
			रैम्बुले	36			
8	भेड़ एवं फार्मस ओरियन्टेशन मक्कू, रूद्रप्रयाग	500	रैम्बुले	205	रैम्बुले	500	123 रैम्बुले शामालीती से स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित
9	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र शामालीती बागेश्वर	250	कश्मीर मेरिनों	131	कश्मीर मेरिनों	250	123 रैम्बुले मक्कू को स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित।
			रैम्बुले	123			
10	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कर्मी बागेश्वर	375	रैम्बुले क्रासब्रीड	511	रैम्बुले क्रासब्रीड	375	136 रैम्बुले क्रासब्रीड केदारकांठा में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित।
11	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र बारापट्टा पिथौरागढ़	375	रैम्बुले क्रासब्रीड	352	रैम्बुले क्रासब्रीड	375	–
12	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पांगू पिथौरागढ़	375	रैम्बुले क्रासब्रीड	335	रैम्बुले क्रासब्रीड	375	–

पशुधन के स्थानान्तरण एवं परिवहन बीमा पर होने वाले व्यय का वहन बोर्ड की प्राप्तियों से किये जाने का अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही : उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, निदेशक, पशुपालन)

11.2 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 में स्वीकृत योजना Strengthing of Machine Shearing and Healthcare activities in Sheep Husbandary के अन्तर्गत दिनॉक 23.04.2015 को प्राप्त धनराशि रू0 30.10 लाख पर विचार करते हुए दो वाहनों के क्रय हेतु प्रस्ताव के अनुरूप मैदानी क्षेत्र के भेड़–बकरीपालकों के हितार्थ कुॅमायूॅ एवं गढ़वाल मण्डल में एक–एक वाहन व्यवस्थित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही : उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

11.3 राजकीय भेड़, बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण एवं सोलर पावर प्लाण्ट के सम्बन्ध में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रक्षेत्रों में मेकेनाइजेशन, ऑटोमेशन एवं अन्य बुनियादी सुविधाऍ उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाय। M/s Creative Enterprises, Dehradun के द्वारा Zero Investment पर राजकीय प्रक्षेत्रों पर सोलर पावर प्लान्ट स्थापित किये जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि सुसंगत प्रस्ताव शासन/कैबिनेट में स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही : उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)

11.4 भेड़ प्रदर्शनी के आयोजन के सम्बन्ध में अधिशासी कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भेड़–बकरियों की प्रदर्शनी, जनपद, ब्लॉक तथा न्याय पंचायत स्तर पर नेशनल लाईवस्टॉक मिशन योजनान्तर्गत आयोजित की जाने वाली पशु प्रदर्शनियों के साथ ही आयोजित की जाय।

(कार्यवाही : उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, निदेशक, पशुपालन)

12:बेलेन्स शीट वर्ष 2013–14

बोर्ड की वर्ष 2013–14 में राज्य सेक्टर तथा केन्द्र सहायतित विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त धनराशि तथा बोर्ड को लेवी एवं अन्य मदों में प्राप्त होने वाली धनराशि का चार्टेड एकाउन्टेण्ट द्वारा एकाउन्टिंग /ऑडिट रिपोर्ट एवं बैलेन्स सीट वर्ष 2013–14 का अधिशासी कमेटी द्वारा अनुमोदन किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक को समाप्त घोषित किया गया।

Sd/-
(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव, पशुपालन/
अध्यक्ष (यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0)
उत्तराखण्ड शासन।

कार्यालय उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून

पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग), मोथरोवाला रोड, पो0ओ0 मोथरोवाला, देहरादून–248115
फोन नं0 0135–2532926 फैक्स नं0 0135–2532816
ई0मेल0– **ceo.uswdb@yahoo.com, ceo.uswdb@gmail.com**

पत्रांक 203 /बैठक/अधि.कमे.–यू.एस.डब्लू.डी.बी./2015–16 दिनॉकः 20 मई, 2015

प्रतिलिपि–निम्नांकित की सेवा में बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. बैठक में उपस्थित समस्त सदस्य।
2. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौडी, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार, अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ, नैनीताल, चम्पावत, उधमसिंहनगर।
3. परियोजना निदेशक, लघु पशु विकास, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक–ऋषिकेश।
5. परियोजना निदेशक, भेड़ एवं फार्मस ओरिण्टेशन, मक्कू, रूद्रप्रयाग।
6. वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, 201 वसन्त विहार फेस–1, देहरादून।
7. परियोजना निदेशक, समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (आई0एल0एस0पी0) ग्राम्य विकास देहरादून।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, गढवाल मंडल विकास निगम, देहरादून।
10. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0, देहरादून।
11. अपर निदेशक पशुपालन विभाग, गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
12. निदेशक/संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, दुर्गा भवन कालाढुंगी रोड, हल्द्वानी जनपद–नैनीताल।
15. प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड (वस्त्र मत्रालय), भारत सरकार, सी–3 शास्त्रीनगर, जोधपुर, राजस्थान।
17. उपाध्यक्ष, अधिशासी कमेटी यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./प्रभारी सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
18. प्रमुख निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
19. प्रमुख निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

Sd/-
(डा0 अविनाश आनन्द)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0
देहरादून

उपस्थितिः

क्र0सं0	नाम	पदनाम	
1	डा0 रणबीर सिंह I.A.S.	प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2	श्रीमती दमयन्ती दोहरे I.A.S.	प्रभारी सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष
3	डा0 कमल मेहरोत्रा	निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
4	डा0 कमल सिंह	मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0, देहरादून	सदस्य
5	डा0 अविनाश आनन्द	मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0, देहरादून	सदस्य सचिव
6	श्री एल0एम0 श्रीवास्तव	उप महाप्रबन्धक, प्रतिनिधि प्रबन्धक निदेशक गढवाल विकास निगम लि0	सदस्य
7	श्री संजीव श्रीवास्तव	गुणवत्ता प्रबन्धक, प्रतिनिधि उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून	सदस्य
8	डा0 ए0 एल0 बिष्ट	अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0	—
9	डा0 मनीष पटेल	संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0	—
10	डा0 पूजा कुकरेती	उपप्रबन्धक, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0	—
11	श्री रमेश चन्द्र भट्ट	सहायक प्रबन्धक, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0	—
12	श्री विजय कुमार नवानी	सहायक प्रबन्धक (वित्त)यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0	—
13	श्री प्रमोद थपलियाल	कम्प्यूटर आपरेटर, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0, देहरादून	—

निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में पशुधन भवन, पशुपालन निदेशालय उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून के सभाकक्ष में दिनांक 12 जून, 2015 को सम्पन्न हुई राज्य के भेड़–बकरी विकास कार्यक्रमों एवं राजकीय भेड़/बकरी/शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति संलग्न

सर्वप्रथम मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून एवं अधिकारियों/कर्मचारियों का अभिवादन किया गया और समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा परिचय उपरान्त निदेशक से अनुमति प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। निदेशक द्वारा शासन की महत्वपूर्ण बैठक में प्रतिभाग किया जाना था जिस कारण निदेशक द्वारा डा0 के0 के0 जोशी, संयुक्त निदेशक, प्रशासन, मुख्यालय को बैठक की अध्यक्षता करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में राज्य के भेड़–बकरी विकास कार्यक्रमों एवं राजकीय भेड़/बकरी/शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों की समीक्षा की गयी।

मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून द्वारा बिन्दुवार एजेण्डानुसार पावरप्वाईन्ट प्रजेन्टेशन (प्रस्तुतीकरण) अधिकारियों के सम्मुख किया गयाः–

दिनांक 16–18 जुलाई 2014 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में

1. **प्रत्येक माह जनपदों के समस्त उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा भेड़ बकरी कार्यक्रमों से सम्बन्धित सघन समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में**

जनपद चमोली, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग एवं टिहरी गढ़वाल द्वारा ही बैठक आयोजित कर कार्यवृत्त मुख्यालय भेजे गये हैं। शेष जनपदों से सूचना अप्राप्त है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा खेद व्यक्त करते हुए पुनः निर्देशित किया गया कि समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी भविष्य में जनपद की मासिक सहवर्गीय बैठकों में भेड़–बकरी विकास कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कार्यवृत्त उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून को प्रेषित करेंगे।

(कार्यवाही–समस्त उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0 लघु पशु)

2. **अहिल्याबाई होलकर भेड़–बकरी विकास योजनान्तर्गत बायौमेट्रिक पंजीकरण के सम्बन्ध में**

इस सम्बन्ध में मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 11 मई 2015 को प्रमुख सचिव, पशुपालन की अध्यक्षता में बोर्ड की अधिशासी कमेटी की बैठक में निर्देश दिये गये कि प्रथम चरण में **राज्य के प्रवर्जन मार्गो के भेड़पालकों का ही बायौमेट्रिक पंजीकरण किया जायेगा।**

बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के समस्त भेड़–बकरीपालकों का पंजीकरण कराया जाय जिसके पंजीकरण प्रारूप समस्त जनपदों को उपलब्ध कराये गये एवं यह निर्देशित किया गया कि प्रवर्जन मार्गो के भेड़पालकों का अंगूठे का इम्प्रेशन शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन प्रवास के दौरान शिविर आयोजित कर प्राप्त किये जायं। चिप बेस्ड स्मार्ट कार्ड प्रवर्जन मार्गो के भेड़पालकों को ही उपलब्ध कराये जाने हैं।

(कार्यवाही–समस्त उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/मु0अ0अ0 यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0)

3. **भेड़ एवं ऊन सुधार योजनान्तर्गत (SWIS) जनपद उत्तरकाशी एवं रूद्रप्रयाग को भेड़पालकों के सर्वे/पंजीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि क्रमशः रू0 85000.00 एवं रू0 15000.00 के सम्बन्ध में**

SWIS योजनान्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग द्वारा भेड़पालकों के सर्वे/पंजीकरण से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करायी गयी है। जनपद उत्तरकाशी के उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त सूचना बोर्ड को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही दोनों जनपदों से धनराशि के समायोजन लेखा प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/परि0नि0 लघु पशु)

4. **समस्त राजकीय भेड़, बकरी एवं शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण के विस्तृत प्रस्ताव प्रक्षेत्र प्रभारियों द्वारा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में**

प्रक्षेत्रों के उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण का प्रस्ताव किसी भी प्रक्षेत्र प्रभारी से प्राप्त नहीं हुए हैं। मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रक्षेत्रों के अनावासीय/आवासीय भवनों/चाहरदीवारी आदि मरम्मत कार्यो के इतर प्रक्षेत्र के आधुनिकीकरण, मैकेनाईजेशन, प्रयोगशाला, पोस्टमार्टम हाउस आदि के प्रस्ताव तैयार करते हुए सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से बोर्ड को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रस्ताव/योजना एन0एल0एम0/केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

(कार्यवाही– समस्त प्रक्षेत्र प्रभारी/उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0लघु पशु)

5. **भोटिया ग्रेजिग रूल्स 1927 में आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में**

इस सम्बन्ध में मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 09 जून, 2015 को मा0 मंत्रीमण्डल की उपसमिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि समस्त जनपदों के भेड़पालकों से पुनः विचार विमर्श कर विस्तृत प्रवर्जन मार्गो को चिन्हित किया जाय जिससे शासनादेश जारी होने के पश्चात किसी भी क्षेत्र के भेड़–बकरीपालक सुविधाओं से वंचित न हो।

बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/भेड़पालकों को वर्तमान में प्रचलित पांच प्रवर्जन मार्गो की सूची का प्रस्तुतीकरण किया गया। विषय पर चर्चा करते हुए जनपद चमोली से उपस्थित भेड़पालकों, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल के प्रतिनिधियों द्वारा प्रवर्जन मार्गो के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी प्रस्तुत की गयी। जनपद रूद्रप्रयाग, पौड़ी एवं देहरादून द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

निर्णय लिया गया कि जनपद रूद्रप्रयाग, पौड़ी एवं देहरादून के साथ–साथ पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, चमोली के उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी भेड़पालकों से पुनः विचार विमर्श करते हुए चर्चा उपरान्त तय किये गये प्रवर्जन मार्गो का पुनः परीक्षण कर सुस्पष्ट प्रस्ताव तत्काल बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि सूचना संकलित कर शासन को उपलब्ध करायी जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी प्रवर्जन मार्ग एवं पड़ावों की सूचना छूट न जाय।

(कार्यवाही– समस्त उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0लघु पशु)

6. भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान के सम्बन्ध में

मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड की अधिशासी कमेटी की बैठक दिनांक 11 मई, 2015 में प्रमुख सचिव, पशुपालन द्वारा निर्देशित किया गया कि शामालीती प्रक्षेत्र में भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान कार्यो में दक्षता लाई जाय तथा वर्तमान में प्रचलित नवीनतम एवं आधुनिकतम तकनीकी को अपनाते हुए Frozen Semen द्वारा भी भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान प्रारम्भ किया जाय किन्तु इसके लिए Minimally Invensive प्रक्रिया अपनाये जाने पर बल दिया जाय। Surgical प्रक्रिया से यथासम्भव बचा जाय। भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer Technology) पर भी कार्य किया जाय तथा श्रेष्ठतम नस्ल के नर मेढ़ों की उत्पत्ति सुनिश्चित की जाय।

बैठक में परियोजना निदेशक, लघु पशु विकास, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र शामालीती, बागेश्वर के माह अप्रैल 2015 में द्वितीय चरण के 49 भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया गया है को बुग्याल में चरान–चुगान हेतु भेजा जाय क्योंकि प्रक्षेत्र पर वर्षा ऋतु के दौरान जौंकों का प्रकोप अधिक होने एवं चारे की कमी के कारण पशुधन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना रहेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि कृत्रिम गर्भाधान से गर्भित भेड़ों को विशेष सावधानी के साथ बुग्याल भेजा जाय एवं यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि lambing प्रक्षेत्र पर ही निगरानी के अन्तर्गत करायी जाय।

(कार्यवाही– प्रक्षेत्र प्रभारी शामालीती/उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/परि0नि0लघु पशु)

7. भूमिहीन भेड़ बकरीपालकों के सम्बन्ध में

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1023/XV-1/14/8(1)/14 दिनांक 07 नवम्बर 2014 के द्वारा भूमिहीन भेड़–बकरीपालकों को आवास स्थल के लिए व पशुशाला प्रयोग हेतु 180 वर्ग गज भूमि उपलब्ध कराने का प्राविधान है। जनपदों से उपस्थित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदों में वर्तमान तक भूमिहीन भेड़–बकरीपालकों की सूचना प्राप्त नहीं है। अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त शासनादेश का व्यापक प्रचार–प्रसार जनपद स्तर पर बी0डी0सी0 बैठकों, शिविरों, गोष्ठियों एवं मीडिया के माध्यम से किया जाय जिससे अधिक से अधिक भूमिहीन भेड़–बकरीपालक लाभान्वित हो सके। प्रत्येक माह जनपदों में आयोजित समीक्षा बैठक में उक्त विषय पर चर्चा की जाय एवं प्रगति मुख्यालय प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही– समस्त उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0लघु पशु)

8. मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड के निर्देशों के क्रम में राज्य के भेड़–बकरीपालकों के पशुओं हेतु भेड़–बकरी बाड़े का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में

बैठक में उक्त विषय पर चर्चा करते हुए जनपदीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत पशुपालकों के व्यक्तिगत पशु बाड़े, भेड़–बकरी बाड़े, मुर्गी बाड़ा एवं चारा विकास योजना जनपदों में संचालित है जिसके अन्तर्गत इच्छुक भेड़–बकरी पालकों द्वारा श्रमांशःसामग्री 25:75 के अनुपात में बाड़ों का निर्माण कराया जा रहा है। अतः किसी अन्य योजना की आवश्यकता नहीं है। समस्त जनपदों से अपेक्षा की गयी कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षो में भेड़–बकरी बाड़ों के लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– समस्त उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0लघु पशु)

9. मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड के निर्देशों के क्रम में राज्य के भेड़पालकों द्वारा उत्पादित ऊन के विपणन की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में

बैठक में उक्त विषय पर चर्चा करते हुए निर्देशित किया गया कि वर्षवार जनपद के भेड़पालकों द्वारा उत्पादित ऊन से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं एवं ऊन के नमूनों को जांच हेतु प्रयोगशाला पशुलोक ऋषिकेश को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– समस्त उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/ परि0नि0लघु पशु/परि0नि0 भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक ऋषिकेश)

10. राजकीय प्रक्षेत्रों पर पशुधन क्षमता के अनुरूप एक ही प्रजाति के पशुधन व्यवस्थित किये जाने के सम्बन्ध में

बोर्ड की अधिशासी कमेटी की बैठक दिनांक 11 मई, 2015 के कार्यवृत्त में प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पशुधन गवालदम चमोली से डुण्डा उत्तरकाशी, कर्मी बागेश्वर से केदारकांठा चमोली, शामालीती, बागेश्वर से मक्कू, रूद्रप्रयाग, पीपलकोटी चमोली से खलियानबांगर रूद्रप्रयाग, खलियानबांगर, रूद्रप्रयाग से केदारकांठा चमोली तथा मक्कू रूद्रप्रयाग से थलकुण्डी उत्तरकाशी से स्थानान्तरित किये जाने हैं।

उक्त विषय पर चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित प्रक्षेत्र प्रभारी/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित होने वाले पशुधन हेतु आवश्यक तैयारी जैसे पशुधन हेतु चारा/दाना एवं पशुधन क्षमता के अनुरूप कार्मिकों की व्यवस्था आदि पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त पशुधन के स्थानान्तरण पर होने वाले व्यय का वहन बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

(कार्यवाही– सम्बन्धित प्रक्षेत्र प्रभारी/ उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0लघु पशु)

11. राजकीय भेड़, बकरी एवं शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के सम्बन्ध में

उक्त विषय से सम्बन्धित सूचना किसी भी जनपद से प्राप्त नहीं हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि समिति का गठन निम्नवत करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पूर्ण प्रस्ताव एक माह के अन्दर मुख्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें:–

डा0 पी0 एस0 रावत, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी टिहरी गढ़वाल	–	अध्यक्ष
डा0 लोकेश कुमार, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी चमोली	–	सदस्य
डा0 अशोक प्रहलाद रेड्डे, प0चि0अ0 ग्रेड–1 रा0भे0प्र0प्र0 थलकुण्डी उत्तरकाशी	–	सदस्य

समस्त सम्बन्धित जनपदों के प्रक्षेत्र प्रभारी/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी उक्त के सम्बन्ध में अपना पूर्ण सहयोग समिति को प्रदान करेंगे।

(कार्यवाही– समस्त प्रक्षेत्र प्रभारी/ उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0लघु पशु)

12. पशुधन की टैगिंग के सम्बन्ध में

इस सम्बन्ध में मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त प्रक्षेत्र प्रभारियों को पी0वी0सी0 रंगीन टैग उपलब्ध करा दिये गये हैं। अतः निर्देशित किया गया कि प्रक्षेत्र पर व्यवस्थित समस्त पशुधन की टैगिंग (नीला–नर, पीला–मादा, हरा–कृ0ग0) अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाय। भविष्य हेतु किसी प्रक्षेत्र में टैग की आवश्यकता हो तो उसकी मांग यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– समस्त प्रक्षेत्र प्रभारी/ उप पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0 लघु पशु)

13. प्रक्षेत्रों पर चारा उत्पादन के सम्बन्ध में

समस्त प्रक्षेत्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि प्रक्षेत्र में चारागाह विकास की योजना तैयार करते हुए सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि उनके द्वारा मनरेगा एवं अन्य योजनाओं से चारा उत्पादन की योजना स्वीकृत करते हुए प्रक्षेत्रों पर चारगाह विकास किया जा सके ताकि पशुधन के चारे की पूर्ति प्रक्षेत्र से ही पूर्ण की जा सके।

(कार्यवाही– समस्त प्रक्षेत्र प्रभारी/ उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी)

14. प्रक्षेत्रों पर अन्तः प्रजनन की समस्या के सम्बन्ध में

इस विषय पर चर्चा करते हुए मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा राज्य की पशु प्रजनन नीति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया एवं यह निर्देशित किया गया कि शत–प्रतिशत राजकीय पशुधन पर रंगीन पी.वी.सी. टैग लगाये जायं एवं नस्ल सुधार एवं पशुधन की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु selection, segregation and culling की विधि अपनायी जाय। ऊन की गुणवत्ता एवं मात्रा में वृद्वि तथा पशुधन के भार में वृद्वि लाने हेतु भी प्रयास किये जायं।

(कार्यवाही– समस्त प्रक्षेत्र प्रभारी/ उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0 लघु पशु)

15. प्रक्षेत्रों पर पशुधन के ग्रीष्मकालीन प्रवास पर न जाने के सम्बन्ध में

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी चमोली द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष से केदारकांठा एवं बंगाली प्रक्षेत्र के पशुधन ग्रीष्मकालीन प्रवास हेतु ले जाये जायेंगे। प्रक्षेत्र प्रभारी मक्कू द्वारा अवगत कराया गया कि प्रक्षेत्र के 4–5 कि0मी0 के अन्तर्गत ही भेड़ों/बकरियों का चरान–चुगान कराया जाता है। साथ ही प्रक्षेत्र प्रभारी खलियानबांगर को पशुधन के ग्रीष्मकालीन प्रवास पर ले जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– सम्बन्धित प्रक्षेत्र प्रभारी/ उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0 लघु पशु)

16. प्रक्षेत्र पर पानी/विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

इस विषय पर प्रक्षेत्र प्रभारी राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पांगू द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत का संयोजन करा लिया गया है एवं विद्युत संयोजन का भुगतान लम्बित है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रक्षेत्र प्रभारियों द्वारा विद्युत/पानी के आंगणन तैयार कर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। समस्त प्रक्षेत्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि जिन प्रक्षेत्रों में पानी/विद्युत का संयोजन न हो वे तत्काल आंगणन तैयार कर सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए संयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– समस्त प्रक्षेत्र प्रभारी/ उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0 लघु पशु)

17. प्रक्षेत्रों पर अनिवार्य रूप से मशीन द्वारा ऊन शियरिंग के सम्बन्ध में

मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष समस्त राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों पर मशीन द्वारा ऊन कतरन का कार्य किया गया जिस पर अध्यक्ष द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

वर्ष में केवल एक बार शियरिंग किये जाने के विषय पर मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी चमोली एवं प्रभारी राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र थलकुण्डी उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र केदारकांठा एवं थलकुण्डी के क्रासब्रीड भेड़ों में वर्ष में दो बार शियरिंग की जाती है। बुग्याल से पशुधन के लौटने पर ऊन की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण भेड़ों की शियरिंग की जाती है। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी चमोली द्वारा 'Control shearing' का सुझाव दिया गया जिसमें कि कुछ चयनित क्रासब्रीड पशुधन की शियरिंग वर्ष में एक ही बार की जाय तथा दो बार शियरिंग की गयी भेड़ों से ऊन की मात्रा एवं गुणवत्ता की तुलना कर ली जाय।

बैठक में निर्णय लिया गया कि समस्त प्रक्षेत्र प्रभारी पशुधन के बुग्याल से लौटने पर ही मशीन शियरिंग की जाय ताकि ऊन की अधिक मात्रा एवं अच्छी स्टेप्ल लेन्थ प्राप्त हो सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पशुधन के शियरिंग के पश्चात ऊन के नमूने भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक ऋषिकेश स्थित प्रयोगशाला को जांच हेतु भेजी जाय ताकि रिपोर्ट का उचित विश्लेषण कर प्रक्षेत्रों पर ऊन की गुणवत्ता में सुधार के उपाय किये जा सकें।

(कार्यवाही– समस्त प्रक्षेत्र प्रभारी/ उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/ परि0नि0 भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक ऋषिकेश)

18. प्रक्षेत्रों के मृत पशुओं के बट्टा खाता के सम्बन्ध में

इस सम्बन्ध में मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रक्षेत्र/भेड़ संस्थाओं द्वारा मृत पशुओं के बट्टा खाता प्रस्ताव समय से मण्डलों को प्रेषित नहीं किये गये जिस पर अध्यक्ष द्वारा खेद प्रकट किया गया। वर्तमान समय तक बट्टा खातों के प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति/निस्तारण निदेशक, पशुपालन से करा ली गयी है तथा शेष प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रक्षेत्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे भविष्य में बट्टा खाता प्रस्ताव पूर्ण रूप से भरकर समयान्तर्गत मृत्यु के वर्ष में ही उचित माध्यम (सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, परियोजना निदेशक लघु पशु एवं अपर निदेशालय मण्डल) द्वारा उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

(कार्यवाही– समस्त प्रक्षेत्र प्रभारी/ उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/ परि0नि0 लघु पशु/अपर निदेशक, पशुपालन विभाग मण्डल)

19. प्रक्षेत्रों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

इस विषय पर मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के कई भेड़ संस्थाओं द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवदेन में सूचना शून्य एवं अप्राप्त दर्शायी जा रही है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद की मासिक सहवर्गीय बैठकों में भेड़ संस्थाओं जहां से प्रगति शून्य दर्शायी जा रही है पर विशेष ध्यान देते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही समस्त भेड़, बकरी एवं शशक कार्यक्रमों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संकलित करते हुए उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन के नये प्रारूप प्रक्षेत्र प्रभारियों एवं अन्य राजकीय संस्थाओं को उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा भविष्य में नये प्रारूपों पर ही प्रत्येक माह की मासिक प्रगति संकलित कर सम्बन्धित कार्यालयों को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही– समस्त प्रक्षेत्र प्रभारी/ उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0 लघु पशु)

20. प्रक्षेत्रों पर स्प्रे मशीन एवं वेईंग मशीन के सम्बन्ध में

इस विषय पर मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 06 स्प्रे मशीन एवं इलेक्ट्रोनिक वेईंग मशीन विभिन्न प्रक्षेत्रों को उपलब्ध करायी गयी है। प्रक्षेत्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि प्रक्षेत्र हेतु स्प्रे मशीन एवं वेईंग मशीन की आवश्यकता हो तो उसकी मांग सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रत्येक तीन माह में पशुधन का वजन भार मापते रहें एवं इसका रिकार्ड भी रखा जाय।

(कार्यवाही– समस्त प्रक्षेत्र प्रभारी/ उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0 लघु पशु)

21. प्रक्षेत्रों पर उत्पादित ऊन के क्रय–विक्रय एवं अवशेष ऊन के निस्तारण के सम्बन्ध में

इस विषय पर चर्चा करते हुए परियोजना निदेश्क लघु पशु कुमाऊँ मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डल के समस्त प्रक्षेत्रों की उत्पादित ऊन का विक्रय किया जा चुका है। इस पर अध्यक्ष द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अन्य भेड़ संस्थाओं के प्रभारियों, उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संस्थाओं की अवशेष ऊन का तत्काल निस्तारण कर लिया जाय। इस हेतु उक्त प्रक्षेत्रों पर जिस व्यक्ति द्वारा ऊन क्रय की गयी थी उससे सम्पर्क किया जाय। ऊन निस्तारण होने तक इसकी गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु भण्डारित ऊन की विशेष देखभाल (धूप दिखाना, कीटनाशी स्प्रे, नैप्थलीन गोलियों का प्रयोग, चूहे से बचाने) आदि के निर्देश दिये।

(कार्यवाही– समस्त प्रक्षेत्र प्रभारी/ उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0 लघु पशु)

22. दिनांक 29 जनवरी 2015 को अपर निदेशक पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल की अध्यक्षता में आयोजित भेड़, बकरी विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में

उक्त विषय पर अध्यक्ष द्वारा समस्त प्रक्षेत्र प्रभारियों/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बैठक के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा उसके अनुपालन से मुख्यालय को भी अवगत करायें।

(कार्यवाही– समस्त प्रक्षेत्र प्रभारी/ उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0 लघु पशु)

23. अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत किये गये कार्यो के सम्बन्ध में

➢ स्थापित भेड़–बकरी इकाईयों के लाभार्थियों की सूची के सम्बन्ध में

इस विषय पर चर्चा करते हुए मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भेड़–बकरी इकाईयों की स्थापना हेतु लक्ष्य निर्धारित करते हुए अवमुक्त धनराशि माह फरवरी 2015 में जनपदों को प्रेषित की गयी थी। अध्यक्ष द्वारा खेद व्यक्त किया गया कि तीन माह व्यतीत होने के उपरान्त भी कुछ जनपदों द्वारा लाभार्थियों की सूची उपलब्ध नहीं करायी है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है वे तत्काल लाभार्थियों की पूर्ण सूचना एवं व्यय धनराशि का विवरण बोर्ड को उपलब्ध करायें एवं सूचना संकलित कर शासन को प्रेषित की जा सके ताकि शासन द्वारा योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 हेतु धनराशि अवमुक्त की जा सके।

(कार्यवाही– समस्त उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0 लघु पशु)

➢ भेड़पालकों को वितरित किये गये टेन्ट के लाभार्थियों की सूची

इस विषय पर मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2014–15 में जनपद उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर में प्रवर्जन मार्ग के भेड़पालकों हेतु 440 टेन्ट एवं 1760 मैट्रस (3–4 लाभार्थियों हेतु 1 टेन्ट + 4 मैट्रस) उपलब्ध कराये गये हैं किन्तु लाभार्थियों की सूची किसी भी जनपद द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि तत्काल लाभार्थियों की सूची पूर्ण विवरण सहित बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– सम्बन्धित उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0 लघु पशु)

➢ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत आयोजित किये गये शिविरों के सम्बन्ध में

इस सम्बन्ध में मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2014–15 में योजनान्तर्गत राज्य के कुल 95 विकासखण्डों में 02 शिविर प्रति वर्ष प्रति विकासखण्ड अर्थात कुल 190 शिविरों का आयोजन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी। जनपद नैनीताल, रूद्रप्रयाग द्वारा ही पूर्ण सूचना उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही जनपद हरिद्वार द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 12 शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें विकासखण्ड बहादाराबाद एवं भगवानपुर में 4–4 शिविर आयोजित किये गये हैं किन्तु विकासखण्ड खानपुर में एक भी शिविर आयोजित नहीं किये गये हैं के सम्बन्ध में अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अन्य जनपदों से अपूर्ण सूचना प्राप्त हई है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि अविलम्ब पूर्ण सूचना बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– समस्त उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0 लघु पशु)

24. भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (SWIS) के अन्तर्गत लाभान्वित भेड़पालकों के नाम/पता, अनुसूचित जाति/जनजाति/बी0पी0एल0 की सूचना के सम्बन्ध में

इस सम्बन्ध में मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर में योजना संचालित की जा रही है। उक्त सूचना टिहरी गढ़वाल एवं चमोली से ही प्राप्त हुई है अन्य जनपदों से सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– सम्बन्धित उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0 लघु पशु)

25. राजकीय प्रक्षेत्रों में कार्यरत पशुधन सहायकों को उनके ग्रेड पे का 50 प्रतिशत प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दिये जाने के सम्बन्ध में

इस सम्बन्ध में मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत से ही उक्त सूचना प्राप्त हुई है शेष जनपदों को सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया ताकि सूचना संकलित कर शासन को प्रेषित की जा सके।

(कार्यवाही– सम्बन्धित उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0 लघु पशु)

26. रैम रेंजिग यूनिट कोपड़धार (टिहरी), डुण्डा (उत्तरकाशी), बंगाली (चमोली), लीती (बागेश्वर), पांगू (पिथौरागढ़) के सम्बन्ध में

इस विषय पर उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि रैम रेंजिग यूनिट डुण्डा से जनपद देहरादून ने 14 मेढ़े वितरण हेतु प्राप्त किये हैं तथा पौड़ी द्वारा मेढ़े उठाने हेतु बार–बार पत्राचार/वार्ता के उपरान्त भी मेढ़ें नहीं उठाये गये हैं। प्रक्षेत्र पर चरान–चुगान के अभाव के कारण राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र थलकुण्डी में मेढ़ें स्थानान्तरित किये गये हैं।

उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी पौड़ी द्वारा बैठक में अवगत कराया कि उनके जनपद में मेढ़ों की मांग शून्य है जिसके सम्बन्ध में मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 19वीं पशुगणना वर्ष 2012 के अनुसार जनपद पौड़ी में कुल 25523 भेड़ें हैं। इस विषय पर अध्यक्ष द्वारा उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी पौड़ी से अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा उन्हें कार्यशैली में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया एवं अविलम्ब पौड़ी जनपद के भेड़ बाहुल्य विकासखण्डों का सर्वे कर तत्काल मेढ़ों की मांग रैम रेंजिग यूनिट डुण्डा, उत्तरकाशी एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि रैम रेंजिग यूनिट कोपड़धार से कुल 80 मेढ़ें उत्तरकाशी जनपद में वितरित किये गये हैं। अन्य जनपदों को भी यह निर्देशित किया गया कि भेड़पालकों से सम्पर्क कर मेढ़ों की मांग सम्बन्धित रैम रेंजिग यूनिट एवं बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– सम्बन्धित उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0 लघु पशु)

27. जनपदों में जनपदीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के बैंक खातों में जमा राशि के सम्बन्ध में

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जनपदों में बोर्ड के खातो में जमा लेवी/आय की धनराशि को उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून के खाता संख्या 10587496367 भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–कारगीग्रान्ट IFSC Code SBIN0022936 में जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा धनराशि का विवरण बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी)

28. राजकीय भेड़, बकरी/शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों की वर्ष 2014–15 की प्रगति के सम्बन्ध में

इस सम्बन्ध में मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा वर्ष 2014–15 में राजकीय भेड़/बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की समीक्षा की गयी। विभागीय नोर्मस के अनुसार पशुधन की जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत मान्य है तथा प्रक्षेत्र में उपलब्ध मादा पशुधन का औसत वितरण 25 प्रतिशत होना चाहिए।

समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर अध्यक्ष द्वारा समस्त प्रक्षेत्र प्रभारियों को विभागीय नोर्मस के अनुसार आगामी वर्ष में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही परियोजना निदेशक, लघु पशु कुमाऊँ मण्डल को निर्देशित किया गया कि वे भी गढ़वाल मण्डल के अनुसार कुमाऊँ मण्डल के समस्त प्रक्षेत्रों की वार्षिक समीक्षा एवं श्रेणीकरण कर रिपोर्ट बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही– समस्त प्रक्षेत्र प्रभारी /उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0लघु पशु)

29. एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP-IFAD) के सम्बन्ध में

इस विषय पर मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा Providing facilities to shepherds for wool and livelihood improvement by Machine Shearing, treatment camps and establishment of Sheep/Goat Paravet Centre योजना विकासखण्ड कपकोट (बागेश्वर), मुनस्यारी (पिथौरागढ़), पुरोला, भटवाड़ी (उत्तरकाशी), जोशीमठ (चमोली) एवं भिलगंना (टिहरी गढ़वाल) के 2000 भेड़–बकरीपालक परिवारों के सहायतार्थ स्वीकृत की गयी है। योजना के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।

निर्णय लिया गया कि योजना में पैरावेट का चयन व्यापक प्रचार–प्रसार के उपरान्त अर्हता प्राप्त विज्ञान वर्ग से इण्टरमीडिएट बेरोजगार युवक जो कि भेड़पालक परिवार से सम्बन्ध रखता हो का चयन निम्नवत चयन समिति के द्वारा किया जायेगाः–

I. सम्बन्धित जनपद के उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी
II. सम्बन्धित विकासखण्ड के पशुचिकित्सा अधिकारी,
III. एकीकृत आजीविकास सहयोग परियोजना ILSP के विकासखण्ड इकाई के प्रभारी

चयनित भेड़–बकरी पैरावेट की सूची मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी से अनुमोदित कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस सम्बन्ध में मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त योजना की कार्ययोजना पृथक से भेजी जा रही है।

(कार्यवाही– सम्बन्धित वि0ख0 प0चि0अ0 ग्रेड–1/ उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0लघु पशु)

30. सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भेड़पालकों का बीमा किये जाने के सम्बन्ध में

इस विषय पर भारतीय जीवन बीमा निगम के श्री तेज राम, सहायक प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2014–15 में 331 भेड़पालकों का बीमा किया गया। बीमित भेड़पालकों के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दो पाल्यों को छात्रवृत्ति का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 2014–15 में 37 पाल्यों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। वर्ष 2015–16 में माह मई, 2015 तक 171 भेड़पालकों का बीमा किया जा चुका है। भविष्य में आशा की जाती है कि भेड़पालक बीमा एवं छात्रवृत्ति का व्यापक प्रचार–प्रसार कर प्रदेश के अधिक से अधिक भेड़पालकों का बीमा कराया जाय।

(कार्यवाही– समस्त उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0लघु पशु)

31. प्रदेश के भेड़पालकों को प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में

बोर्ड की अधिशासी कमेटी की बैठक दिनांक 11 मई, 2015 के कार्यवृत्त में प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भेड़पालक बीमा के अतिरिक्त समस्त भेड़पालकों को प्रधानमंत्री जन–धन योजना एवं प्रधानमंत्री बीमा योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहित किया जाय।

(कार्यवाही– समस्त उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परि0नि0लघु पशु)

32. उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि का समायोजन लेखा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

इस सम्बन्ध में मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि उपलब्ध करायी गयी है का समायोजन लेखा, उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित बोर्ड मुख्यालय को अविलम्ब उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही– समस्त उप/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी)

अन्त में मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित भेड़पालकों एवं समस्त अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया गया।

Sd/-
(डा0 कमल मेहरोत्रा)
निदेशक
पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड

कार्यालय–उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड

पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग), मोथरोवाला रोड, पो0ओ0 मोथरोवाला, देहरादून–248115
फोन नं0 0135–2532926 फैक्स नं0 0135–2532816
Email- ceo.uswdb@yahoo.com, ceo.uswdb@gmail.com

पत्रांक 360 /स्था0–प्र0स0बै0/2015–16 दिनांकः 24 जून, 2015

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारी।
2. समस्त प्रक्षेत्र प्रभारी, राजकीय भेड़/बकरी/शशक प्रजनन प्रक्षेत्र, उत्तराखण्ड।
3. उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी (भेड़ बकरी विकास), उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. परियोजना निदेशक, लघु पशु विकास, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक–ऋषिकेश, देहरादून।
7. परियोजना निदेशक, भेड़ एवं फार्मस ओरियन्टेशन, मक्कू, रूद्रप्रयाग।
8. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
9. प्रभारी सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
10. प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।

Sd/-
मुख्य अधिशासी अधिकारी
यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0
देहरादून

उपस्थिति

क्र0सं0	नाम	पदनाम	पदस्थापना	मो0नं0
1	डा0 कमल मेहरोत्रा	निदेशक	निदेशालय पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	8937000901
2	डा0 एस0 एस0 बिष्ट	अपर निदेशक	निदेशालय पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	9412030763
3	डा0 ए0 के0 सच्चर	संयुक्त निदेशक	निदेशालय पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	9358108980
4	डा0 के0 के0 जोशी	संयुक्त निदेशक	निदेशालय पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	9412017662
5	डा0 अविनाश आनन्द	मुख्य अधिशासी अधिकारी	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड देहरादून	9358102780
6	डा0 पी0 एस0 रावत	परियोजना निदेशक	लघु पशु विकास कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल	9412362107
7	डा0 लोकेश कुमार	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	चमोली–गोपेश्वर	9411340406
8	डा0 के0 के0 मिश्र	उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	बागेश्वर	8859011400
9	डा0 अशोक कुमार	उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	रूद्रप्रयाग	9837088670
10	डा0 अभय कुमार	उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	पौड़ी गढ़वाल	8859002124
11	डा0 जी0 डी0 जोशी	उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	देहरादून	9412044990
12	डा0 हिमांशु पाण्डे	उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	उत्तरकाशी	941247929
13	डा0 एच0 एस0 बिष्ट	उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	टिहरी गढ़वाल–नरेन्द्रनगर	9411568515
14	डा0 रमन चोपड़ा	उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	हरिद्वार	9837109111
15	डा0 अशोक बिष्ट	अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड देहरादून	9412101723
16	डा0 मनीष पटेल	संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड देहरादून	9412829604
17	डा0 पूजा कुकरेती	उप प्रबन्धक	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड देहरादून	8171016961
18	डा0 अमित कुमार	पशुचिकित्सा अधिकारी	राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कोपड़धार, टिहरी गढ़वाल	9411501832
19	डा0 अविनाश चौहान	पशुचिकित्सा अधिकारी	राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र बंगाली, चमोली	7088494811
20	डा0 राजीव कुमार	पशुचिकित्सा अधिकारी	राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र बारापट्टा, पिथौरागढ़	9756415983
21	डा0 दीपक मेहरा	पशुचिकित्सा अधिकारी	राजकीय अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ग्वालदम, चमोली	9927188156
22	डा0 अशोक रेड्डे	पशुचिकित्सा अधिकारी	राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र थलकुण्डी, उत्तरकाशी	8126001680

क्र0सं0	नाम	पदनाम	पदस्थापना	मो0नं0
23	डा0 दीप मणी गुप्ता	पशुचिकित्सा अधिकारी	राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पांगू, पिथौरागढ़	9457888365
24	डा0 राजीव कुमार	पशुचिकित्सा अधिकारी	राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र खलियानबांगर, रूद्रप्रयाग	8192840562
25	डा0 हिमांशु पाठक	पशुचिकित्सा अधिकारी	राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कर्मी, बागेश्वर	9456776806
26	डा0 सुमित सिंह नयाल	पशुचिकित्सा अधिकारी	भेड़ एवं फार्मस ओरियन्टेशन मक्कू, रूद्रप्रयाग	9411160015
27	डा0 डी0 के0 आर्य	पशुचिकित्सा अधिकारी	प0चि0 बैलपड़ाव, नैनीताल	9411197782
28	डा0 डी0 एस0 मोलफा	पशुचिकित्सा अधिकारी	प0चि0 घनसाली, टिहरी गढ़वाल	9412018060
29	डा0 गुरप्रीत सिंह	पशुचिकित्सा अधिकारी	प0चि0 अल्मोड़ा	9557135311
30	श्री डी0 एस0 नेगी	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	राजकीय अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ग्वालदम, चमोली	9568501519
31	श्री पी0 एस0 पंवार	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पीपलकोटी, चमोली	9557432720
32	श्री यशवन्त सिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र केदारकांठा, चमोली	8859496283
33	श्री बिक्रम सिंह	पशुधन प्रसार अधिकारी	राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पांगू, पिथौरागढ़	9412925008
34	श्री तेज राम	सहायक प्रबन्धक	भारतीय जीवन बीमा निगम, देहरादून	9410214031
35	श्री रमेश चन्द्र सिंह फरस्वाण	भेड़पालक	चमोली	8449611135
36	श्री जमन सिंह	भेड़पालक	चमोली	8006507125
37	श्री राजकुमार	भेड़पालक	हरिद्वार	9720412691
38	श्री अनिल कुमार रावत	कनिष्ठ सहायक	अपर निदेशालय पशुपालन विभाग गढ़वाल मण्डल पौड़ी	7409582634
39	श्री विजय कुमार नवानी	सहायक प्रबन्धक, वित्त	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड देहरादून	9410355760
40	श्री रमेश चन्द्र भट्ट	सहायक प्रबन्धक	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड देहरादून	9411186994
41	श्री विक्रम सिंह कण्डवाल	प्रधान सहायक	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड देहरादून	9761423975
42	श्री प्रमोद थपलियाल	कम्प्यूटर आपरेटर	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड देहरादून	9410503414
43	श्रीमती मीना उनियाल	कम्प्यूटर आपरेटर	उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड देहरादून	9758267607

मा0 पशुपालन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की अध्यक्षता में पशुधन भवन, पशुपालन निदेशालय, मोथरोवाला, देहरादून के सभाकक्ष में दिनॉक 01 फरवरी 2016 को सम्पन्न हुई गवर्निंग बॉडी की 11 वीं बैठक का कार्यवृत

उपस्थिति संलग्नः

सर्वप्रथम मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्लू0डी0बी0 द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय पशुपालन मंत्री जी, सदस्यों का अभिवादन किया गया एवं शासन द्वारा मनोनीत बोर्ड के नये सदस्यो का स्वागत किया गया। तदोपरान्त माननीय अध्यक्ष जी से अनुमति प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जिसमें मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा बोर्ड से सम्बन्धित कार्यकलापों का पावरप्वाईन्ट प्रजेन्टेशन (प्रस्तुतीकरण) अध्यक्ष/सदस्यों के सम्मुख किया गया तथा बोर्ड से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं से अवगत कराये जाने पर विचार विमर्श उपरान्त बैठक में मा0 मंत्री पशुपालन/अपर मुख्य सचिव, पशुपालन द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

बिन्दु संख्या–01ः गत बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 से वर्तमान तक बोर्ड द्वारा निष्पादित महत्वपूर्ण कार्यों का गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 05 भेड़–बकरीपालकों के प्रवर्जन मार्गो हेतु 05 सुसज्जित सचल पशुचिकित्सा वाहन के माध्यम से पशुचिकित्सा शिविरों का आयोजन पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी जनपदों में साप्ताहिक रूट निर्धारित कर मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित की जा रही योजना का अनुमोदन किया गया।

2. एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP-IFAD) Providing facilities to shepherds for wool and livelihood improvement by Machine Shearing, treatment camps and establishment of Sheep/Goat Paravet Centre 06 भेड़–बकरी पैरावेट केन्द्रों की स्थापना विकासखण्ड मुनस्यारी, कपकोट, भटवाड़ी, पुरोला, जोशीमठ एवं घनसाली के भेड़ बाहुल्य क्षेत्रों में से बेरोजगार शिक्षित युवकों को प्रशिक्षण उपरान्त मासिक मानदेय पर केन्द्रों के संचालन हेतु योजना का अनुमोदन किया गया।

3. ऊन की दरों में वृद्धिः– राष्ट्रीय स्तर पर ऊन की वर्तमान दरें एवं राज्य के भेड़पालकों की मांग, राय के अनुरूप विगत वर्ष के अनुरूप ही वर्ष 2015–16 की ऊन दरों का निर्धारण किया गया। जिसमें उच्च गुणवत्ता की ऊन के ढुलान हेतु रू0 1.00/कि0ग्रा0 की वृद्वि की गयी।

4. मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड की घोषणा के अनुरूप संचालित **''अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना''** का अनुमोदन निम्नवत किया गयाः–

4.1 भेड़/बकरी पालकों का बायोमैट्रिक पंजीकरण प्रारम्भ।

4.2 भेड़/बकरी इकाईयों की स्थापना योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में स्थापित 200 इकाईयों एवं वर्ष 2015–16 में स्थापित नई इकाईयों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि स्थापित इकाईयों से भेड़ बकरी पालको को प्राप्त होने वाले लाभ का अध्ययन, योजना का अनुश्रवण एवं भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाय। निदेशक पशुपालन द्वारा माह अप्रैल 2016 से विभागीय संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों के माध्यम से उक्त कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./निदेशक, पशुपालन विभाग)

4.3 भेड़–बकरी पालकों के सहायतार्थ वर्ष 2014–15 में राज्य के समस्त 95 विकासखण्डों में 190 बहुउद्देशीय पशुचिकित्सा शिविर एवं गोष्ठियों का आयोजन किया गया एवं वर्ष 2015–16 में प्रत्येक विकासखण्ड में 4–4 बहुउद्देशीय पशुचिकित्सा शिविर एवं गोष्ठियों कुल 380 शिविरों के आयोजन का अनुमोदन किया गया ।

4.4 **भेड़–बकरी पालकों की कौशल वृद्विः–** वर्ष 2014–15 में 25 भेड़पालकों का एक्सपोजर विजिट केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर राजस्थान तथा 35 भेड़–बकरीपालकों का प्रशिक्षण केन्द्रीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र हिसार, हरियाणा में एवं वर्ष 2015–16 में 10 भेड़–बकरीपालकों को केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, फरह, मथुरा, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण, 20 भेड़–बकरीपालकों का प्रशिक्षण केन्द्रीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र हिसार, हरियाणा तथा केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान में 40 भेड़–बकरीपालकों को प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने का अनुमोदन किया गया।

4.6 **भेड़–बकरी पालकों का प्रशिक्षण कार्यक्रमः–** वर्ष 2014–15 में पशुलोक ऋषिकेश एवं भैंसवाड़ा अल्मोड़ा में 170 भेड़–बकरीपालकों के प्रशिक्षण एवं वर्ष 2015–16 में प्रस्तावित भेड़–बकरीपालकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

4.5 **भेड़–बकरी पालकों को अतिरिक्त सुविधाएंः–** प्रवर्जन मार्ग के भेड़–बकरीपालकों को वर्ष 2014–15 में 440 टेन्ट एवं 1760 मेट्रस वितरित किये गये तथा वर्ष 2015–16 में 474 टेन्ट एवं 978 मेट्रस वितरित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

5. **भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधानः–** वर्ष 2014–15 में राज्य में प्रथम बार राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र शामालीती बागेश्वर में 50 भेड़ों में सामूहिक कृत्रिम गर्भाधान का पायलेट प्रोजेक्ट माह जून 2014 में प्रारम्भ किया गया जिसके सफल परिणाम माह नवम्बर/दिसम्बर 2014 में प्राप्त हुए। 08 नर तथा 13 मादा कुल 21 मेमने कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न हुए (42 प्रतिशत)। इस प्रकार भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान की सफलता प्राप्त करने पर उत्तराखण्ड देश में तीसरा राज्य है, पर अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

कृत्रिम गर्भाधान के द्वितीय चरण (माह अप्रैल 2015) में आशानुरूप सफलता प्राप्त न होने पर अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि भेड़ों के प्राकृतिक ऋतुकाल ;भ्मंज च्मतपवकद्ध में ही पुनः माह जून 2016 में सामूहिक कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग शामालीती प्रक्षेत्र पर किया जाये।साथ ही बकरियों में भी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की योजना तैयार कर प्रारम्भ किया जाय।

(कार्यवाही–मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी बागेश्वर/मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)

6. भेड़–बकरी पालकों को उपलब्ध करायी गयी सुविधाएं जैसे–टीकाकरण, दवापान, दवास्नान, चिकित्सा, मशीन द्वारा ऊन कतरन प्रशिक्षण एवं गोष्ठियों के आयोजन का अनुमोदन किया गया।

7. **सामाजिक सुरक्षा योजनाः–** केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मत्रांलय, भारत सरकार, जोधपुर, राजस्थान द्वारा वर्तमान समय में भेड़पालक बीमा एवं भेड़ बीमा बन्द किये जाने पर चर्चा उपरान्त भेड़–बकरीपालकों का बीमा भारत सरकार द्वारा संचालित भारतीय जीवन बीमा निगम की **आम आदमी बीमा योजना** के अन्तर्गत व्यापक प्रचार प्रसार के साथ किये जाने का अनुमोदन किया गया। National Livestock Mission (NLM) योजना में भेड़–बकरी बीमा प्रारम्भ किया जा रहा है।

8. **भेड़ एवं ऊन सुधार योजनाः–** केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की एकीकृत भेड़ एवं ऊन सुधार योजना के अन्तर्गत Sheep and Wool Improvement Scheme (SWIS) 08 जनपदों उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में संचालित योजना का अनुमोदन किया गया।

8.1 **मेढ़ा पालन इकाई (Ram Raising Unit) की स्थापनाः–** केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से स्थापित राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले उन्नतशील मेढ़ों के वितरण हेतु राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पांगू (पिथौरागढ़) एवं राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र शामालीती (बागेश्वर) में मेढ़ा पालन इकाई की स्थापना एवं पूर्व में राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कोपड़धार (टिहरी), राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र बंगाली (चमोली) एवं राजकीय प्रक्षेत्र डुण्डा (उत्तरकाशी) में स्थापित मेढ़ा पालन इकाईयों के माध्यम से उन्नतशील मेढ़ों का निःशुल्क वितरण योजना का अनुमोदन किया गया।

2. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से भविष्य में योजना अन्तर्गत धनराशि न प्राप्त होने की स्थिति में 11 राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों से प्रति वर्ष उत्पादित रैम्बुले, मेरीनों एवं कश्मीर मेरीनों प्रजाति के लगभग 500 मेढ़े के निःशुल्क वितरण में समस्या उत्पन्न होगी।

3. चर्चा उपरान्त शासी निकाय द्वारा निर्णय लिया कि भविष्य में केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रैम रेंजिग यूनिट हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप मेढ़ो का वितरण व्यापक प्रचार प्रसार, प्रदर्शिनियों, किसान मेलो मे सहभागिता आदि के माध्यम से राज्य में एवं अन्य प्रदेशों में न्यूनतम रूपये 4000.00 प्रति मेढ़े अथवा बाजार भाव के अनुरूप शारीरिक भार के अनुसार, जो अधिक हो की दर से विक्रय/वितरण किया जाये।

4. भारत सरकार के पोर्टल mKisan, E-kisan आदि के माध्यम से भी राजकीय प्रक्षेत्रों पर उत्पादित भेड़–बकरी की निलामी/निस्तारण/वितरण/विक्रय न्यूनतम रूपये 4000.00 प्रति पशु अथवा बाजार भाव के अनुरूप शारीरिक भार के अनुसार, जो अधिक हो की दर से किये जाने का अनुमोदन किया गया।

5. राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाए जैसे अहिल्याबाई होल्कर योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान, ट्राईबल सब प्लान एवं राज्य योजना आदि के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली भेड़–बकरी इकाईयों हेतु मेढ़े एवं बकरे राजकीय प्रक्षेत्रों से ही प्राप्त किये जाये।

(कार्यवाही–समस्त भेड़–बकरी प्रक्षेत्र प्रभारी/समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/ मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./निदेशक, पशुपालन)

9. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 729/XV–1/15/7(7)/08 दिनॉक 18.08.2015 के द्वारा बोर्ड की गवर्निंग बॉडी में 09 नये प्रगतिशील भेड़पालक सदस्य के रूप में नामित किये गये हैं। डा0 यू0के0 अथैया, सेवानिवृत प्रोफेसर, सी–118 मायापुरी, अजबपुरकलां देहरादून को उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 730/ग्ट–1/15/7(7)/08 दिनॉक 18.08.2015 के द्वारा बोर्ड की गवर्निंग बॉडी में विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित किया गया है, का अनुमोदन किया गया।

10. राजकीय प्रक्षेत्रों पर भेड़–बकरियों की एक ही प्रजाति व्यवस्थित करने के सम्बन्ध में

दिनांक 11 मई, 2015 को आयोजित उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की अधिशासी कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य के राजकीय भेड़–बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों एवं शशक प्रक्षेत्रों की समीक्षा तथा भेड़–बकरियों की एक ही प्रजाति निम्नानुसार व्यवस्थित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

1. **राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र**

विवरण	पांगू पिथौरागढ़	बारापट्टा, पिथौरागढ़	शामालीती बागेश्वर	कर्मी बागेश्वर	थलकुण्डी उत्तरकाशी	पीपलकोटी चमोली	केदारकांठा चमोली	बंगाली चमोली	खलियानबांगर रूद्रप्रयाग	मक्कू रूद्रप्रयाग	कोपड़धार टिहरी
प्रजाति	रैम्बुलेट	रैम्बुलेट	कश्मीर मेरिनों	रैम्बुलेट	रैम्बुलेट	रैम्बुलेट	रैम्बुलेट	रशियन मेरिनों	रशियन मेरिनों	रैम्बुलेट	रैम्बुलेट
स्वीकृत पशुधन क्षमता	375	375	250	375	350	300	250	350	350	350	350
वर्तमान संख्या	375	297	124	405	326	207	210	171	72	331	228

- शामालीती प्रक्षेत्र पर 125 कश्मीर मेरिनों भेड़ें, जम्मू एवं कश्मीर राज्य से प्राप्त कर व्यवस्थित की जानी है। मक्कू प्रक्षेत्र पर 50 रैम्बुलेट भेड़े व्यवस्थित की जानी है। कोपड़धार प्रक्षेत्र पर 170 रैम्बुलेट भेड़े व्यवस्थित की जानी है।

2. **राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र**

विवरण	ग्वालदम, चमोली	डुण्डा, उत्तरकाशी	मक्कू, रूद्रप्रयाग
प्रजाति	अंगोरा बकरी	बरबरी बकरी	गद्दी बकरी
स्वीकृत पशुधन क्षमता	250	250	200
वर्तमान संख्या	142	41	44

- ग्वालदम प्रक्षेत्र पर 125 मादा अंगोरा बकरियां जम्मू एवं कश्मीर राज्य से प्राप्त कर व्यवस्थित की जानी है। डुण्डा प्रक्षेत्र पर 139 मादा बरबरी बकरियां व्यवस्थित की जानी है। मक्कू प्रक्षेत्र पर 156 मादा गद्दी बकरियां व्यवस्थित की जानी हैं।

3. **राजकीय शशक प्रजनन प्रक्षेत्र**

विवरण	ग्वालदम, चमोली	चम्पावत	कोपड़धार, टिहरी
प्रजाति	अंगोरा शशक	अंगोरा शशक	अंगोरा शशक
स्वीकृत पशुधन क्षमता	100	100	50
वर्तमान संख्या	80	45	0

- ग्वालदम प्रक्षेत्र पर 05 तथा चम्पावत प्रक्षेत्र पर 10 अंगोरा शशक, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, कूल्लू हिमाचल राज्य से प्राप्त कर व्यवस्थित की गयी है।

डा0 ए.के. सिंह, Assoc. Prof. K.V.K. ढकरानी पन्तनगर विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि C.S.W.R.I गरसा हिमाचल प्रदेश द्वारा सन् 1978 में जर्मन अंगोरा शशक आयात किये गये थे। पूरे देश में इसी लाइन के शशक वितरित किये गये है, जिनमें अब सघन Inbreeding की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इस कारण अंगोरा ऊन की मात्रा एवं गुणवत्ता में गिरावट आयी है। अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि अंगोरा शशक ऊन की मांग को देखते हुए राजकीय शशक प्रक्षेत्रों पर नया Germplasm आयात कर स्थापित किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त भेड़–बकरी, शशक प्रक्षेत्र प्रभारी/सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/ मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)

11. **भेड़–बकरीपालकों हेतु चरान–चुगान की व्यवस्थाः–** विषय पर चर्चा करते हुए मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड ने अवगत कराया कि भोटिया ग्रेंजिग एक्ट 1927 में संशोधन हेतु गठित माननीय मंत्रीमण्डल उपसमिति की दिनॉक 09 जून 2015 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि भेड़/बकरीपालकों की वर्तमान आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संभावनाओं के आधार चरान चुगान रूटों का पुनरावलोकन कर प्रस्तावित रूटों का वनों के वर्किंग प्लान में प्राविधान कराया जाय।

निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनॉक 12.6.2015 को आयोजित बैठक में क्षेत्रीय भेड़–बकरीपालकों से विचारोपरान्त उपलब्ध कराये गये नये प्रवास स्थल एवं चरान चुगान क्षेत्रों/मार्गो की सूचना पूर्व में चिन्हित पॉच प्रवर्जन मार्गो सहित पत्रांक 586/नियोजन/प्र0मा0/2015–16 दिनॉक 14 सितम्बर 2015 के द्वारा प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को भोटिया ग्रेजिंग रूल्स 1927 में संशोधन हेतु प्रेषित किया गया है। शासनादेश अपेक्षित है।

भेड़पालक सदस्यों द्वारा वन विभाग से चरान चुगान कम्पार्टमेन्ट के उचित परमिट न जारी किये जाने की समस्या उठाये जाने पर मा0 पशुपालन मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेर्शित किया गया कि वन विभाग, पशुपालन विभाग एवं उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के अधिकारियों की बैठक शीघ्र अपर मुख्य सचिव के कक्ष में आहूत की जाय जिसमें बोर्ड के समस्त भेड़ पालक के सदस्यों को भी सम्मलित किया जाय।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./निदेशक, पशुपालन विभाग/मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग)

12. प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु शीप हैण्डलर, भार मापक मशीन, दवास्नान हेतु स्प्रे मशीन राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कोपड़धार, डुण्डा, बंगाली, मक्कू, शामालीती एवं पांगू को वितरित किये जाने का अनुमोदन किया गया साथ ही यह भी निदेर्शित किया गया कि समस्त प्रक्षेत्रों पर उपरोक्तानुसार उपकरण संचाालित योजनाओं/बोर्ड की प्राप्तियों से उपलब्ध कराये जाये।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)

बिन्दु सं0 2:दिनॉक 29 अक्टूबर 2014 को सम्पन्न हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की गवर्निंग बॉडी की दसवीं बैठक मा0 मंत्री जी, पशुपालन, उत्तराखण्ड सरकार/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की अध्यक्षता में दिनॉक 29 अक्टूबर 2014 को सम्पन्न हुई थी। उक्त बैठक का कार्यवृत पत्रांक 1575/बैठक/ गवर्निंग बॉडी–यू. एस.डब्ल्यू.डी.बी./2014–15/दिनॉक 6 दिसम्बर 2014 के माध्यम से समस्त सदस्यों को प्रेषित किया गया जिसके सम्बन्ध में कोई भी टिप्पणी/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। कार्यवाही का गवर्निग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।

बिन्दु सं0 3: दिनॉक 11 मई 2015 को सम्पन्न हुई अधिशासी कमेटी की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की अधिशासी कमेटी की नवीं बैठक प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, अधिशासी कमेटी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की अध्यक्षता में दिनॉक 11 मई 2015 को सम्पन्न हुई थी। उक्त बैठक का कार्यवृत पत्रांक 203/बैठक/अधि.कमेटी–यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./2015–16/दिनॉक 20 मई 2015 के माध्यम से समस्त सदस्यों को प्रेषित किया गया जिसके सम्बन्ध में कोई भी टिप्पणी/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। कार्यवाही का गवर्निग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।

बिन्दु सं0 4: बोर्ड द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु सं0 5: वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित योजनाओं तथा बोर्ड की भावी रणनीति पर विचार

1. राज्य के भेड़पालकों द्वारा उत्पादित ऊन के विपणन के सम्बन्ध में:–

श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड एवं मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, भेड़–बकरीपालन, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनॉक 13.08.2015 तथा दिनॉक 04.01.2016 को बैठक आयोजित की गयी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड राज्य के भेड़पालकों से ऊन क्रय करने की योजना तैयार करेंगे। इस हेतु उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं उद्योग विभाग से सांमजस्य स्थापित कर 15 से 20 ऊन कतरन स्थलों पर क्रय/विपणन केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। ऊन का भण्डारण गढ़वाल मण्डल में मुनि की रेती, पशुपालन विभाग (टिहरी गढ़वाल) तथा कुमायूँ मण्डल में भैंसवाड़ा प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग (अल्मोड़ा) एवं काशीपुर, उद्योग विभाग (उधमसिंहनगर) में किया जायेगा। नीलामी के माध्यम से ऊन का विपणन किया जाना प्रस्तावित है।

इस आशय का प्रस्ताव डा0 आर0 एस0 टोलिया, से0नि0 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, NTPC Chair Professor, Centre for Public Policy, Doon University, Dehradun द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में Procurement and Marketing of Raw Wool in Uttarakhand की योजना तैयार कर National Mission on Himalayan Studies (NMHS) को प्रेषित की गयी है। प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए यह निर्देशित किया गया कि यदि उक्त योजना NMHS से स्वीकृत नहीं होती है तो सुसंगत प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति एवं अनुपूरक मांग हेतु शासन को शीघ्र प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./निदेशक, पशुपालन विभाग)

2. **उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के ढांचे के सम्बन्ध में:–**

अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.11.2015 को आयोजित समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 3930 दिनांक 26.12.2015 के द्वारा राज्य में राजकीय भेड़, बकरी एवं शशक से सम्बन्धित 33 संस्थाओं के 216 पद जो वर्तमान में पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत हैं को उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के अधीन किये जाने का प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसका अनुमोदन शासी निकाय की बैठक मे किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./निदेशक, पशुपालन विभाग)

3. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भारत सरकार के अर्न्तगत उत्तराखड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के तत्वाधान में संचालित योजना ' Strengthening of machine shearing and health care activities in sheep husbandry' के अन्तर्गत संचालित सचल वाहनों के सम्बन्ध में:–**

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 909/XV–1/2015/1(15)11 दिनांक 08.10.2015 के निर्देशों के अनुरूप गढ़वाल मण्डल के जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं कुमाऊँ मण्डल के जनपद उधमसिंहनगर व नैनीताल के मैदानी क्षेत्र के भेड़ व बकरी पालकों के हितार्थ एक–एक (कुल 2) वाहन क्रय की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके क्रम में एक वाहन अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल एवं एक वाहन मुख्यालय उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून पर स्थापित किया गया है, का अनुमोदन किया गया। **(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.)**

4. **राजकीय भेड़–बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में:–**

अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.11.2015 को आयोजित राजकीय भेड़, बकरी एवं शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड के द्वारा निम्नवत प्रेषित किये गये हैं, जिसका अनुमोदन किया गया।

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख रू0 में)	अभ्युक्ति
1	राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र खलियानबांगर, रूद्रप्रयाग	213.21	विशेष योजनागत सहायता–पुर्ननिर्माण के अन्तर्गत प्रस्तावित
2	राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र थलकुण्डी, उत्तरकाशी	168.61	
3	राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पांगू पिथौरागढ़	105.63	
4	भेड़ एवं फार्मस ओरियन्टेशन मक्कू, रूद्रप्रयाग	66.10	मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत प्रस्तावित
5	राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र केदारकांठा, चमोली	150.00	NLM के अन्तर्गत प्रस्तावित
6	राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पीपलकोटी, चमोली	173.10	
7	राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र डुण्डा, उत्तरकाशी	170.10	

5. **भेड़–बकरी प्रदर्शनियों के आयोजन के सम्बन्ध में:–**

गत वर्षो में भारत सरकार की योजना Integrated Development of Small Ruminants and Rabbits (IDSRR) के अन्तर्गत भेड़–बकरीपालकों के प्रोत्साहन हेतु 30 भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। वर्तमान में उक्त योजना National Livestock Mission (NLM) में सम्मिलित है जिसके अन्तर्गत विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर पशुधन मेलों के आयोजन का प्राविधान है। क्षेत्रीय भेड़–बकरीपालकों की मांग है कि भेड़–बकरियों हेतु पृथक से प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाय।

IDSRR योजना के अन्तर्गत पूर्व में प्रत्येक भेड़–बकरी प्रदर्शनी में रू0 30000.00 का प्राविधान था। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 10 भेड़–बकरी प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु नई योजना अथवा बोर्ड की प्राप्तियों से किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए अपर निदेशक उद्योग द्वारा प्रर्दशनियों के आयोजन में उद्योग विभाग एवं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की सहभागिता का आश्वासन दिये जाने पर निर्णय लिया गया कि भविष्य में भेड़ प्रर्दशिनियों के आयोजन में उद्योग विभाग एवं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के वित्तीय सहयोग के साथ उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की प्राप्तियों से धनराशि व्यय की जाय।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./निदेशक, उद्योग विभाग/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड)

बिन्दु सं0 6: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1. प्रगतिशील बकरीपालकों को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में:– विषय पर चर्चा करते हुए मुख्य अधिशासी अधिकारी यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी. द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में आधुनिक बकरी पालन के प्रति शिक्षित नव उद्यमियों में रूझान विकसित हुआ है। शिक्षित नवयुवकों द्वारा राज्य में वृहद्व स्तर पर बकरी पालन एवं बकरी दूध से बीममेम बनाये जाने के विषय में उत्सुकता व्यक्त की है। उद्यमियों द्वारा उत्तराखण्ड सरकार की विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत बकरी पालन को भी मुर्गी पालन की तर्ज पर उद्योग का दर्जा दिलाये जाने की मांग की है के प्रस्ताव पर निर्देशित किया गया कि सुसंगत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही–मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./निदेशक, उद्योग विभाग/ निदेशक, पशुपालन विभाग)

2. राजकीय प्रक्षेत्रों पर कार्मिकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में:–

अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.11.2015 को आयोजित राजकीय भेड़, बकरी एवं शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों की समीक्षा बैठक में राजकीय प्रक्षेत्रों में रिक्त पशुधन सहायकों के पद आउटसोंसिंग के माध्यम से भरे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है, का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही–समस्त भेड़–बकरी, शशक प्रक्षेत्र प्रभारी/सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./निदेशक, पशुपालन विभाग)

3. राज्य में ब्रायलर शशक इकाई के सम्बन्ध में:–

गत वर्ष में जनपद उधमसिंहनगर एवं देहरादून में मै0 ए–1 रैबिट फार्मिंग, करनाल हरियाणा एवं मै0 पैराडाईज रैबिट फार्म, कुरूक्षेत्र, हरियाणा के माध्यम से स्थानीय काश्तकारों ने ब्रायलर शशक इकाईयों की स्थापना की है। खरगोश पालकों द्वारा स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर इकाईयों की स्थापना की जा रही है, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा इस व्यवसाय को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है।

बैठक में उपस्थित शशक पालकों ने अवगत कराया कि इस व्यवसाय से लाभ प्राप्त किया जा रहा है। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में ईमू पक्षी के व्यवसाय में स्थानीय काश्तकारों को हुए नुकसान की तरह ही शशक पालकों को नुकसान न हो, की आशंका व्यक्त की गयी।

अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि ब्रायलर शशक व्यवसाय में सम्भावनाओं को देखते हुए शशक मांस की processing, frozen packed meat, branding & promotion, buy-back, subsidy on sale price आदि सम्मिलित करते हुए ब्रायलर शशक व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु सुसंगत योजना तैयार कर प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही– मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./निदेशक, पशुपालन)

बिन्दु सं0 7: बैलेन्स शीट वर्ष 2014–15

बोर्ड को वर्ष 2014–15 में राज्य सेक्टर तथा केन्द्र सहायतित विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त धनराशि तथा बोर्ड को लेवी एवं अन्य मदों में प्राप्त होने वाली धनराशि का चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिट करा लिया गया है। सम्बन्धित ऑडिट रिपोर्ट एवं बैलेन्स शीट का गवर्निंग बॉडी द्वारा अनुमोदन किया गया।

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक को समाप्त घोषित किया गया।

Sd/-
(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव, पशुपालन/
उपाध्यक्ष (यू0एस0डब्लू0डी0बी0)

कार्यालय उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून

पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग), मोथरोवाला रोड, पो0ओ0 मोथरोवाला, देहरादून–248115

पत्रांक 1123/बैठक/गवर्निंग बॉडी–यू.एस.डब्लू.डी.बी./2015–16 दिनॉकः 24 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि–निम्नांकित की सेवा में बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. बैठक में उपस्थित समस्त सदस्य।
2. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. परियोजना निदेशक, लघु पशु विकास, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक–ऋषिकेश।
5. अपर निदेशक पशुपालन विभाग, गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
6. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0, देहरादून।
7. अधिशासी निदेशक, हाईफीड, रानीचौरी, टिहरी गढवांल
8. निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
10. प्रबन्ध निदेशक, गढवाल मंडल विकास निगम, देहरादून।
11. मुख्य अधिशासी अधिकारी, हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, देहरादून।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 देहरादून।
13. परियोजना निदेशक, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP), देहरादून।
14. वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून।
15. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्व विद्यालय, (पर्वतीय परिसर) रानीचौरी टिहरी।
16. निदेशक, समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
17. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड (वस्त्र मत्रालय),भारत सरकार, जोधपुर, राजस्थान।
18. अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
19. प्रभारी सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
20. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
21. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
22. निजी सचिव, सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन।
23. प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
24. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
25. प्रमुख निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

Sd/-
(डा0 अविनाश आनन्द)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0, देहरादून

बैठक की उपस्थिति

क्र0सं0	नाम	पदनाम	
1.	श्री प्रीतम सिंह पंवार	माननीय पशुपालन मंत्री उत्तराखण्ड सरकार	अध्यक्ष
2.	डा0 रणवीर सिंह	अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष
3.	श्री जे0 पी0 जोशी	अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4.	श्री अर्जुन सिंह	अपर सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5.	डा0 कमल मेहरोत्रा	निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
6.	डा0 कमल सिंह	मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एल0डी0बी0, देहरादून	सदस्य
7.	डा0 एस0 एस0 बिष्ट	अपर निदेशक, पशुपालन निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून	–
8.	डा0 अविनाश आनन्द	मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 देहरादून	सदस्य सचिव
9.	श्री सुधीर चन्द्र नौटियाल	अपर निदेशक उद्योग विभाग उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, देहरादून	सदस्य
10.	डा0 यू0 के0 अथैया	से0नि0, प्रोफेसर पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पन्तनगर विश्वविद्यालय	सदस्य/विषय विशेषज्ञ
11.	डा0 ए0 के0 सच्चर	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग	–
12.	डा0 कमल बहुगुणा	निदेशक, हाईफीड, देहरादून	सदस्य
13.	श्री आर0 के0 तोमर	संयुक्त सचिव, वन विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड	सदस्य
14.	श्री एल0एम0 श्रीवास्तव	उप महाप्रबन्धक, प्रशासन प्रतिनिधि प्रबन्धक निदेशक गढवाल विकास निगम लिमिटेड, देहरादून	सदस्य
15.	डा0 ए0 के सिंह	एसोसिएयेट प्रोफेसर, गो0ब0पं0कृ0 एवं प्रौ0वि0, के0वी0के, ढकरानी	सदस्य
16.	श्री हुकुम सिंह मोल्फा	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून	सदस्य
17.	श्री जसपाल सिंह रावत	भेड़पालक उत्तरकाशी	सदस्य
18.	श्री वीर सिंह	भेड़पालक टिहरी गढ़वाल	सदस्य
19.	श्री भगत सिंह	भेड़पालक चमोली	सदस्य
20.	डा0 सत्य स्वरूप	संयुक्त निदेशक, निदेशालय, पशुपालन विभाग,	–
21.	डा0 ए0 के0 डिमरी	उप निदेशक, निदेशालय, पशुपालन विभाग,	–
22.	श्री बी0 एस0 तोपाल	टेक्नीशियन, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून	–
23.	डा0 ए0 एल0 बिष्ट	अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0	–
24.	डा0 मनीष पटेल	संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0	–
25.	डा0 पूजा कुकरेती	उप–प्रबन्धक यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0	
26.	श्री राजेश कुमार	पैराडाईस रैबिट फार्म, कुरूक्षेत्र, हरियाणा	–
27.	श्री रामायण सिंह	शशक पालक, विकासनगर, देहरादून	–
28.	श्री वी0 के0 सैनी	शशक पालक, विकासनगर, देहरादून	–
29.	श्री हितेन्द्र यादव	प्रभारी अधिकारी, ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय–विक्रय केन्द्र मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल	–
30.	श्री जितेन्द्र कुमार	बिन निरीक्षक, ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय–विक्रय केन्द्र मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल	–
31.	श्री रमेश चन्द्र भट्ट	सहायक प्रबन्धक, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0, देहरादून	–
32.	श्री पदम सिंह	सहायक प्रबन्धक, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0, देहरादून	–
33.	श्रीमती इन्दु कोटनाला	प्रधान सहायक, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0, देहरादून	–
34.	श्री विक्रम सिंह कण्डवाल	प्रधान सहायक, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0, देहरादून	–
35.	श्री प्रमोद थपलियाल	कम्प्यूटर ऑपरेटर, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0, देहरादून	–
36.	श्रीमती मीना उनियाल	कम्प्यूटर ऑपरेटर, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0, देहरादून	–
37.	श्री सुमित त्यागी	प्रोजेक्ट असिस्टेन्ट, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0, देहरादून	–

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून के तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय भेड़–बकरीपालकों का प्रशिक्षण/कार्यशाला का कार्यवृत्त

दिनॉक : 5 मार्च 2016

स्थानः पशुधन प्रसार अधिकारी, प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक–ऋषिकेश

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के तत्वाधान में अहिल्याबाई होलकर भेड़–बकरी विकास योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के अन्तर्गत भेड़–बकरीपालकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन दिनॉक 05 मार्च 2016 को पशुधन प्रसार अधिकारी, प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक–ऋषिकेश में किया गया। मुख्य अतिथि श्री प्रीतम सिंह पॅवार, मा0 पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार थे। कार्यशाला में डा0 कमल मेहरोत्रा, निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, डा0 एस0 एस0 बिष्ट, अपर निदेशक, पशुपालन निदेशालय, मुख्यालय, डा0 अशोक कुमार, अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौडी, श्री विनोद कुमार बिष्ट, उप महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री संजय सक्सेना, स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, आई0एल0एस0पी0, विभागीय/अन्य विभागों के अधिकारी/कर्मचारी तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न जनपदों से आए भेड़–बकरीपालक कुल 160 प्रतिभागियों द्वारा कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया।

कार्यवृत्तः

सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि मा0 पशुपालन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तद्परान्त डा0 अविनाश आनन्द, मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के गठन के उद्देश्य तथा वर्तमान में बोर्ड में संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई तथा भेड़–बकरीपालन हेतु पुराने तरीके छोड़कर नये एवं आधुनिक तरीके अपनाने पर बल दिया गया।

प्रशिक्षण/कार्यशाला में विभिन्न संस्थाओं जैसे 1. The Goat Village, Naagtibba, Pantwari, Tehri Garhwal 2. मनस्वी एग्रो फॉर्म, लामग्रान्ट, रूड़की, हरिद्वार 3. बक्रिस्तान, मंगलौर, हरिद्वार 4. पैराडाईज रैबिट फॉर्म, जिन्द, कुरूक्षेत्र, हरियाणा के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव के आधार पर बकरी/शशक पालन से सम्बन्धित समस्या, उनके समाधान तथा इस व्यवसाय से होने वाले लाभ तथा उनकी संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं से अवगत कराते हुए अपने विचार प्रकट किये।

1. The Goat Village – कार्यशाला में इस संस्था के प्रतिनिधि श्री रूपेश राय द्वारा अपने विचार रखे गये तथा अवगत कराया गया कि–

- बकरी पालन व्यवसाय में बकरी दूध से cheese उत्पादन में लाभ की अपार सम्भावनायें है।
- बकरी पालन को इको–टूरिज्म के साथ जोड़ते हुए मार्केटिंग का कार्य बेहतर तरीके से किया जा सकता है।
- बकरी पालन व्यवसाय में इनब्रीडिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे शुद्ध उन्नत नस्ल का विकास नहीं हो पा रहा है। शुद्ध नस्ल को बढ़ावा दिये जाने पर जोर दिया गया।

श्री रूपेश राय द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि बकरी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु नागटिब्बा, पंतावाड़ी, टिहरी गढ़वाल में भविष्य में एक **''बकरी विवाह/बकरी स्वयंवर''** का आयोजन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बकरियों की शुद्ध नस्ल विकसित करने में सहायता मिलेगी साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देकर क्षेत्र के विकास में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

ऊन विकास के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि संस्था द्वारा श्री सव्यसॉची चक्रवर्ती, मशहूर फैशन डिजाइनर से सम्पर्क किया गया है। फैशन शो में ऊन के वस्त्र celebrities को पहनाकर ऊन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। संस्था द्वारा **बकरी छाप ब्राण्ड** को प्रचलित किया गया।

2. ''बक्रिस्तान'' बकरी प्रक्षेत्र से आये श्री कॉजी मौनिस जी द्वारा कार्यशाला विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया तथा बकरी पालन को उद्योग के रूप में विकसित किया जाने पर बल दिया गया। श्री मौनिस द्वारा राज्य में बकरी पालन को विकसित करने हेतु निम्न सुझाव दिये गये–

- बकरी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु बकरीपालक जहॉ बकरियों को चुगान हेतु ले जाते हैं वही जाकर उनसे सम्पर्क कर चिकित्सा शिविर एवं गोष्ठियों का आयोजन कर व्यवसाय हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

- बकरियों में इनब्रीडिंग न कराकर शुद्ध नस्ल विकसित की जाय। शुद्ध उन्नतनस्ल के बकरे/बकरियों का क्रय उचित मूल्य पर उनकी संस्था द्वारा किये जाने का आश्वासन दिया।
- बकरी व्यवसाय दूध, पनीर एवं मॉस उत्पादन हेतु उपयोगी है। लाभ हेतु माल की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिए।
- बकरियों की खाद का उपयोग फूल उगाने तथा मूत्र का उपयोग दवा उत्पादन में किया जाता है, जो अत्यन्त उपयोगी है।
- ईद में कुर्बानी के लिए बकरे तैयार किये जा सकते हैं, जिनका कई गुना मूल्य प्राप्त होता है। इस हेतु बकरे के शरीर का भार बढाया जाय।
- बीमारी की रोकथाम हेतु टीकाकरण करवाकर मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है।
- जहॉ चरान–चुगान की व्यवस्था नहीं है वहॉ Stall feeding में बकरियों का पालन किया जाय।
- सुझाव दिया गया कि दुग्ध उत्पादन हेतु सिरोही प्रजाति की बकरियॉ अति उत्तम हैं ये एक समय में 3 ली0 दूध देती है। इस प्रजाति को विशेष पहचान दिलाई जाय तथा क्रास ब्रीड को समाप्त किया जाय।

3. मनस्वी एग्रो फॉर्म– फॉर्म के प्रतिनिधि डा0 इब्ने अली द्वारा अवगत कराया गया कि फार्म माह अगस्त, 2015 में प्रारम्भ हुआ है तथा उनके द्वारा मॉस हेतु Goat Kids की supply की जा रही है। उनके फॉर्म का मुख्य उद्देश्य है–

- To develop highly productive multipurpose breed of goat
- Explore the goat farming
- Improve the breeding stock, meat and milk product
- फॉर्म 10 एकड भूमि में लामग्रान्ट, रूड़की, हरिद्वार में स्थापित है। फार्म की क्षमता 6000 बकरियों की है। स्थानीय बकरी पालकों का समूह तैयार कर फार्म से उत्पादित 10 बकरी एवं 1 बकरे की यूनिट स्थापित की जा रही है।
- फार्म में सिरोही नस्ल की बकरियॉ पाली जा रही हैं जो तेजी से weight gain कर रही है। बकरियों की शुद्ध नस्ल सुनिश्चित करने हेतु उनका वंशावली रिकार्ड रखा जा रहा है।
- मॉस की होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित है।
- सुझाव दिया गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में बकरी दूध की आपूर्ति की समस्या है। यदि दूध उपलब्ध है तो बकरीपालक दो–तीन दिन का दूध एकत्र एवं preserve कर किसी चयनित सोसाइटी/संस्था को आपूर्ति कर सकते है।
- बकरीपालक द्वारा बकरियॉ पालने के उपरान्त मनस्वी एग्रो फॉर्म को वापस भी की जा सकती है।
- बकरियों में फैलने वाली आम बीमारियॉ जैसे निमोनिया, दस्त, डिवर्मिग हेतु मैडिकल किट भी उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाऍगे।

4. पैराडाईज रैबिट फॉर्म– कार्यशाला में पैराडाईज रैबिट फॉर्म के प्रतिनिधि श्री राजेश जी द्वारा सर्वप्रथम शशक पालन व्यवसाय की उपयोगिता से अवगत कराया गया–

- खरगोश का मॉस उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन युक्त होता है।
- खरगोश शाकाहारी जीव है। घर में बची हुई सब्जियों से तथा चने आदि खिलाकर भी पाले जा सकते है।
- खरगोश छोटी जगह में भी पाले जा सकते है।
- खरगोश मॉस के अतिरिक्त इसका उपयोग फर (ऊन) व खाल के लिए भी होता है।
- वैक्सीन शोध कार्य में भी इसका उपयोग होता है।
- खरगोश की प्रजनन क्षमता अधिक होती है। एक बार में 6 से 10 बच्चे पैदा होते हैं। ब्रायलर खरगोश का वजन 3 माह में 1.8 से 2.2 किग्रा0 हो जाता है।

सम्बन्धित फर्म द्वारा निम्न प्रकार सुविधायें भी दी जा रही है–

1.सात दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण 2. परिवहन 3. अनुभवी डॉक्टरों व ट्रेनरों द्वारा फार्म विजिट 4. Purchase for buy back with agreement 5. Medicine kit and study material also free

कार्यशाला में क्षेत्रीय भेड़पालकों द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये –

1.हर्षिल क्षेत्र के भेड़पालक श्री किशोर सिंह द्वारा बताया गया कि पर्वतीय क्षेत्र में हर्षिल की बकरियों से प्रोडक्शन अच्छा है। वहॉ की स्थानीय नस्ल को भी विकसित किया जाय तथा हर्षिल क्षेत्र से भी बकरियॉ क्रय की जा सकती है। भेड़पालक द्वारा पूछे जाने पर उन्हें बताया गया कि बरबरी बकरियॉ केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान (CIRG) फरह, मथुरा से प्राप्त की जा सकती है।

2. जनपद हरिद्वार के बकरी पालक श्री शशिभूषण घिल्ड़ियाल द्वारा बकरी के दूध दोहन हेतु मिल्किंग मशीन की मांग गयी है।

3.सरनौल क्षेत्र के भेड़पालक ने क्षेत्रीय समस्याओं/मॉगों से निम्न प्रकार अवगत कराया–

- मसूरी व ऋषिकेश क्षेत्र में भेड़ों के चरान चुगान हेतु परमिट न मिलने के कारण चरान चुगान में परेशानी हो रही है।
- भेड़ों की शियरिंग हेतु शियरिंग मशीनें उपलब्ध कराई जाय।
- ऊन कातने के लिए चरखे उपलब्ध कराये जायं।
- बकरी का दूध तथा भेड़ों की ऊन विक्रय हेतु उपयुक्त स्थान नियत किया जाय, ताकि दूध व ऊन उस स्थान पर लाकर विक्रय किया जा सके।
- पहाड़ी बकरे का मॉस बहुत स्वादिष्ट व पौष्टिक होता है, अतः इसकी पहचान व विकास की आवश्यकता है।

श्री विनोद कुमार बिष्ट, उप महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने कार्यशाला के आयोजन की सराहना करते हुए प्रतिभागियों को सम्बोधित किया कि :–

- नाबार्ड पॉलिसी तय कर बैंकों के माध्यम से कृषकों/पशुपालकों के लिए लाभदाई योजनायें निर्धारित करता है।
- पूर्व में भारत सरकार से बजट प्राप्त न होने के कारण योजनाओं में सब्सिडी नहीं दी जा सकी है।
- वर्ष 2016–17 में नया बजट रू0 200 करोड़ का है, जिसके अन्तर्गत संचालित योजनाओं में सब्सिडी की सम्भावना है।
- प्रशिक्षण, ऊन उत्पादन/निस्तारण /एक्सपोजर विजिट आदि कार्य नाबार्ड के सहयोग से किये जा सकते है।

श्री संजय सक्सेना, स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (आई0एल0एस0पी0) ने अपने सम्बोधन में कहा कि–

- एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना उत्तराखण्ड के 11 जिलों में कार्यान्वित है।
- यह एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है परन्तु इसका कार्यक्षेत्र सीमित विकासखण्डों में है।
- यह गरीबों के हितों के लिए कार्य कर रही है।
- भेड़–बकरीपालकों के हितार्थ भेड़–बकरीपालन व्यवसाय को एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जा सकते हैं।

श्री बी0 डी0 कुशवाहा, सेवानिवृत्त, जिला उद्यान अधिकारी एवं प्रगतिशील बकरी पालक जो स्वयं भी जमुनापारी बकरीपालन का कार्य कर रहे हैं द्वारा बकरीपालन व्यवसाय के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये गये। बकरी के दूध का उपयोग दवा बनाने में होने के कारण इसका मूल्य अत्यधिक है। डेंगू व घुटने के दर्द में यह अत्यन्त उपयोगी है। बकरीपालन व्यवसाय के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक हैः–

- सर्वप्रथम बकरीपालन हेतु नस्ल का चयन किया जाय। बकरी मॉस हेतु बरबरी, ब्लैक बंगाल तथा दूध उत्पादन हेतु जमुनापारी व सिरोही उपयुक्त रहती है।
- आवास व्यवस्था, आहार एवं टीकाकरण

डा0 अविनाश आनन्द, मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा भेड़–बकरीपालकों को अवगत कराया कि –

- बोर्ड द्वारा पूरे राज्य में शियरिंग कैम्पों का आयोजन कर भेड़ों में मशीन द्वारा शियरिंग का कार्य उनके स्थलों पर ही कराया जा रहा है।
- भेड़ों के चरान–चुगान के सम्बन्ध में वन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है।

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत माइग्रेटरी रूट्स पर सुसज्जित सचल पशु चिकित्सा वाहनों का संचालन जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ एवं बागेश्वर में किया जा रहा है, जिनके माध्यम से प्रवर्जन मार्गों पर भेड़–बकरीपालकों को सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है।
- भेड़पालकों को चरखे उपलब्ध कराने व दूध–ऊन विक्रय हेतु स्थान नियत करने के सम्बन्ध में शीघ्र ही विचार कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।
- उपस्थित पशुपालकों को यह भी सुझाव दिया गया कि वे शशक पालन व्यवसाय पर भी विचार करें।
- भेड़–बकरीपालन व्यवसाय के पुराने तरीकों के स्थान पर नये एवं आधुनिक तरीके अपनाने हेतु बल दिया गया।
- बंगलोर में किये जा रहे बकरीपालन व्यवसाय की प्रस्तुतीकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियॉ दी गई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा0 मंत्री जी, पशुपालन, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि–

- भेड़–बकरीपालन व्यवसाय काफी लाभप्रद एवं उत्साहजनक है।
- इस व्यवसाय को बढ़ावा देकर पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाले पलायन पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार इस व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु हर सम्भव प्रयास कर रही है।
- भेड़–बकरीपालन में आधुनिक तकनीक को अपनाये जाने पर बल दिया गया ।
- राज्य के पॉच जनपदों में प्रवर्जन मार्गो पर सचल पशु चिकित्सा वाहनों के माध्यम से भेड़–बकरीपालकों को टीकाकरण, दवापान, दवास्नान, ऊन कतरन आदि सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है।
- बोर्ड की गवर्निंग बॉडी में भेड़पालकों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
- भेड़पालक सदस्यों को समय–समय पर आयोजित होने वाली बैठकों में आमंत्रित किया जाता है तथा उनसे भेड़पालन में होने वाली समस्याओं एवं समाधान की जानकारी ली जाती है।
- भेड़–बकरीपालकों को आश्वासन दिया गया कि सरकार भेड़–बकरीपालन में होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु विभागीय हर सम्भव सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी।

इस अवसर पर कार्यशाला में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के सौजन्य से भेड़–बकरीपालकों को मैडिसन किट, तिरपाल एवं सोलर लालटेन का वितरण किया गया। भारतीय ग्रामोत्थान संस्था, ढालवाला–टिहरी गढ़वाल एवं औषधि निर्माता कम्पनियों द्वारा अपने–अपने स्टॉल प्रदर्शित किये गये जिनका अवलोकन मुख्य अतिथि एवं अन्य प्रतिभागियों द्वारा किया गया।

डा0 पूजा कुकरेती, उपप्रबन्धक द्वारा मंच का संचालन किया गया तथा डा0 ए0 एल0 बिष्ट, अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यशाला में उपस्थित समस्त भेड़–बकरीपालकों एवं अन्य प्रतिभागियों/अतिथियों को धन्यवाद दिया गया।

Sd/-

(डा0 अविनाश आनन्द)
मुख्य अधिशासी अधिकारी

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड

''पशुधन भवन'' द्वितीय तल (दायीं विंग)मोथरोवाला रोड,
पो0ओ0 मोथरोवाला, देहरादून–248115
फोन संख्या 0135–2532926 फैक्स नं0–0135–2532816
Email-ceo.uswdb@yahoo.com, ceo.uswdb@gmail.com

पत्रांक 1221 / स्था0 / भे0ब0–कार्यशाला / 2015–16 **दिनॉकः 14 मार्च, 2016**

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उपस्थित समस्त प्रतिभागी।
2. समस्त उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी / नोडल अधिकारी (भेड़–बकरी विकास)उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. परियोजना निदेशक, लघु पशु विकास, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
5. परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक–ऋषिकेश।
6. परियोजना निदेशक, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, आई0एल0एस0पी0, देहरादून।
7. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8. अपर निदेशक, उद्योग विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. कृषि निदेशक, कृषि विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) देहरादून।
13. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
14. अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
15. प्रभारी सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
16. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन एवं भेड़–बकरीपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
17. प्रमुख निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री / अध्यक्ष, गवर्निंग बॉडी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

Sd/-
(डा0 अविनाश आनन्द)
मुख्य अधिशासी अधिकारी

मैनुअल–2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

2.1 उत्तराखण्ड शासन के वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, पशुपालन विभाग से जारी शासनादेश सं056/XI/व.ग्रा.वि./प.पा./1050/यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./2003 देहरादून, दिनांक 19 जनवरी, 2004 के अनुरूप मार्ग निर्देश संख्या–2 के अनुसार उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड (परिषद्) के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार व दायित्व पूर्णतः मुख्य अधिशासी अधिकारी/सचिव परिषद् में निहित होंगे।

उत्तराखण्ड शासन के पशुपालन अनुभाग–1 शासनादेश संख्या 856/XV-1/2(90) /2005 देहरादून दिनांक 02 जून, 2006 के अनुरूप निम्न आठ दिशा–निर्देश सचिव, पशुपालन द्वारा दिये गये।

1. कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेंवलपमेन्ट बोर्ड का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य होगा।

2. कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेंवलपमेन्ट बोर्ड की वार्षिक सामान्य बैठक तथा बोर्ड की अन्य बैठकों की अध्यक्षता की जायेगी। अध्यक्ष/कार्यवाहक अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

3. कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष परिषदों की बैठकों में प्रतिभाग कर परिषद के विकास कार्यो की समीक्षा करेगें तथा परिषद के माध्यम से तद्विषयक सुझाव शासन को उपलब्ध करायेगें।

4. परिषद के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार व दायित्व पूर्णतः मुख्य अधिशासी अधिकारी/सचिव परिषद् में निहित होंगे।

5. कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को परिषद से सम्बन्धित कार्यो हेतु यात्रा करने पर दैनिक भत्ता देय होगा।

6. परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व सदस्यों द्वारा परिषद की बैठक में भेड़ एवं अंगोरा शशक कार्यक्रमों से सम्बन्धित विषयों का एण्जेडा सम्मिलित किया जायेगा।

7. बैठकों के आयोजन पर होना वाला व्यय परिषद के आय–व्ययक के अन्य व्यय के मद से वहन किया जायेगा, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय हस्तपुस्तिका में निहित प्राविधानों तथा वित्त विभाग के समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

1. परिषद की बैठकें मुख्य अधिशासी अधिकारी/सचिव, उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा आहूत की जायेगी। मुख्य अधिशासी अधिकारी/सचिव द्वारा सभी सदस्यों को सूचना कम से कम दो सप्ताह पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी। मुख्य अधिशासी अधिकारी/सचिव, उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड का दायित्व होगा कि वास्तविक सामान्य बैठक में भेड़/बकरी एवं अंगोरा शशक से सम्बन्धित विषयों को ही एजेण्डा में सम्मिलित किया जायेगा।

Sd/-
(श्री नवीन शर्मा)
सचिव
पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन

2.2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य– वर्तमान समय में उत्तरांखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड में कार्यरत पदाधिकारियों द्वारा निम्न कर्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है।

पद का नाम	प्रशासकीय	वित्तीय	अन्य
कार्यकारी अध्यक्ष	––	––	अध्यक्ष की अनुपलब्धता में बोर्ड की कार्यवाही हेतु दिशा–निर्देश देना तथा विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता करना।
उपाध्यक्ष	––	––	अध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष की अनुपलब्धता में बोर्ड की कार्यवाही हेतु दिशा–निर्देश देना तथा विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता करना।
मुख्य अधिशासी अधिकारी	समस्त प्रशासनिक अधिकारों तथा दायित्वों का निर्वहन	भेड़ प्रक्षेत्रों से सम्बन्धित समस्त वित्तीय अधिकारों तथा दायित्वों का निर्वहन	अध्यक्ष तथा अधिशासी कमेटी के निर्णयों के अनुरूप बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों का संचालन।
अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी	–	–	कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रशिक्षण प्रदान करना

पद का नाम	प्रशासकीय	वित्तीय	अन्य
संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी	–	–	कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रशिक्षण प्रदान करना
उप प्रबन्धक	–	–	कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रशिक्षण प्रदान करना
सहायक प्रबन्धक (वित्त)	–	–	बजट का सदुपयोग करना
वरिष्ठ सहायक	–	–	लेखा तथा कैशियर से सम्बन्धी कार्य
कनिष्ठ सहायक	–	–	स्थापना, सहायक लोक सूचना अधिकारी का कार्य। डिस्पेच तथा रिसीप्ट आदि कार्य
पशुधन प्रसार अधिकारी	–	–	प्रशिक्षण/औषधि वितरण
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	–	–	चतुर्थ श्रेणी से सम्बन्धित कार्य

मैनुअल–3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं –

3.1– किसी विषय पर विनिश्चय करने की या निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया–वित्त हस्तपुस्तिका, विभागीय नियम एवं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 तथा केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों आदि के अर्न्तगत किया जाता है।

बोर्ड द्वारा भेड़ पालकों को दी जाने वाली सुविधायें :–

1–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम।
2–नस्ल सुधार कार्यक्रम।
3–उत्पादकता विकास कार्यक्रम।
4– भेड़ों को ऊन कतरन से पूर्व नहलाया जाना।
5– ऊन की ग्रेडिंग।
6– मशीन द्वारा ऊन कतरन।
7– उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में सहायता।
8– प्रशिक्षण कार्यक्रम।

उक्त सभी सुविधायें केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप सीधे बोर्ड द्वारा भेडपालकों से सम्पर्क कर एवं जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों के माध्यम से उनके अधिन कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

(क) पशुचिकित्सा अधिकारी– भेड़ पालकों को दी जाने वाली समस्त सुविधायें पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा उनके अधीन कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारियो की सहायता से भेड़ पालकों की समस्याओं का समाधान किया जाता है।

(ख) विकास खण्ड स्तर पर पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1– ब्लाक स्तर पर पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1 द्वारा अपने अधीन पशुधन प्रसार अधिकारी के माध्यम से भेड़ पालकों को दी जाने वाली सुविधाओं के कार्यो की समीक्षा तथा समस्याओं का समाधान किया जाता है।

(ग) मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)– जनपद स्तर पर कियान्वित कार्यक्रमों की समीक्षा तथा समस्याओं का समाधान आदि।

(घ) मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)– राज्य स्तर पर कियान्वित कार्यक्रमों की समीक्षा, समस्याओं का निदान, नई रणनीति/योजनायें तैयार करना आदि।

लिये गये निर्णय को जनता तक पहुॅचाने की व्यवस्था– समाचार–पत्र, फैक्स, ई0मेल आदि द्वारा।

विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है –

निदेशक/अपर सचिव/सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।

अन्तिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकृत अधिकारी– सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।

मुख्य विषय जिस पर लोकप्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना है–

विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है)	विभागीय
दिशा निर्देश	शासनादेश संग्रह अनुसार
निर्णय लेने की प्रकिया	उक्तानुसार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम–	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)/ मुख्य अधिशासी अधिकारी(संयुक्त निदेशक समकक्ष)/अपर निदेशक/निदेशक
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	निदेशक, पशुपालन विभाग, देहरादून 0135–2532909 मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी., देहरादून, फोन– 0135–2532926 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), टिहरी फोन–01378–227296

	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), पौड़ी फोन– 01368– 223084 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), देहरादून 0135– 2712572 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), रूद्रप्रयाग 01364–233251 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), चमोली– 01372–252273 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), उत्तरकाशी 01374–222320 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), अल्मोडा 05962–232289 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), बागेश्वर 05963–221475 मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), पिथौरागढ़ 05964–225319

3.2 अन्तिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी–
सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन

3.3 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना है –

विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है)	**राज्य स्तर पर**
दिशा निर्देश	शासनादेश संग्रह अनुसार
निर्णय लेने की प्रक्रिया	उक्तानुसार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी. 0135–2532926 निदेशक, पशुपालन विभाग 0135–2532809 अपर सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन 0135–2651833 अपर मुख्य सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन 0135–2712057

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) के अन्तर्गत Providing facilities to shepherds for wool and livelihood improvement by Machine Shearing, treatment camps and establishment of Sheep/Goat Paravet Centre की कार्ययोजना

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (**ILSP**) के अन्तर्गत Providing facilities to shepherds for wool and livelihood improvement by Machine Shearing, treatment camps and establishment of Sheep/Goat Paravet Centre योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट, जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुनस्यारी, जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला, भटवाड़ी, जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ तथा जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलगंना के भेड़पालकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने एवं उनके जीवन–यापन में सुधार लाने से सम्बन्धित रू0 54.74 लाख की प्रस्तुत एवं स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो से सम्बन्धित कार्ययोजना निम्नवत प्रस्तुत की जा रही हैः–

Target Households Coverage

Target Households	Blocks						Total
	Kapkot	Munsyari	Bhilangana	Bhatwari	Purola	Joshimath	
SC	193	50	17	55	45	80	440
ST	102	67	07	177	25	160	538
Others	301	107	96	198	130	190	1022
Total	**596**	**224**	**120**	**430**	**200**	**430**	**2000**

Project targets:- 50% women outreach; and 20% SC as vulnerable.

Project Location

District	Block	No. of Villages	Name of Villages
Bageshwar	Kapkot	13	Jagthana, Sorag, Badiykot, Karmi, Jhni, Khaljhoni, Lahoor, Soupi, Gogina, Liti, Gadiyatuni, Kuwari, Baghar
Pithoragarh	Munsyari	09	Sainpolu, Kwirijimya, Dhapa, Paato, Fafa, Gandhinagar, Jainthi, Khoyam, Hokra
Uttarkashi	Purola	31	Dhikalgaon, Lewtari, Moltari, Nagjhala, Dingari, Kimdar, Kansalo, Sargaon, Dukra, Ron, Ponti, Chanika, Gaul, Baina (Mahargaon), Udakoti (Tok) Mahargaon, Mahargaon, Alivesti, Bestipalli, Rama, Kandiyalgaon, Binai, Danmana, Dakrda, Kantari, Karda, Kufar, Mairana, Naladi, Panigaon, Sikaru
	Bhatwari	27	Bagori, Mukhwa, Sukhi, Jhala, Jaspur, Pulri, Silla, Pilang, Judawa, Hina, Maneri, Bayan, Kyark, Pala, Barsu, Palang, Malla, Lata, Saura, Saari, Salu, Raithal, Bukhi, Kunjan, Tihar, Nateen, Bandrani
Chamoli	Joshimath	56	Khiroi, Thaing, Arurhi Paruri, Bhyudar, Pandukaswar, PailChakBhyudar, TolilagaChiae, Chaien. Urgam, Bharkichak-Urgam, BhetiChak, LyariThina, SalnaChak Urgam, Hailang, Paini, Selong, Dhumak, Kalgoth, Uchougaur, Palla, Jakhola, Kimana, Pokhani, Lanjhi, Tirosi, Dwing, Tapon, Gulabkoti, Langsi, Tangnital, Tangnimal, Jalgwar, Pakhi, Marwadi Chak Pakhi, Aira, Inara, *Topovan, Gahar, Sukhi, Raini Chak Subhai, Ringi, Bampa, Gamsali, Niti, Gurguti, Mahargaon, Malari, Kailashpur, RewalChakKurkuti, Farkiagaon, Kosa, Jalam, Jumma.*
Tehri	Bhilangna	08	Gangi, Devlang, Kailbagi, Gwanatalla, Gwanamalla, Devanj, Gawalli, Bhudakedar.
	Total	**144**	

भेड़–बकरी पैरावेट केन्द्रों की स्थापना

जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट, जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुनस्यारी, जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला, भटवाड़ी, जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ तथा जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलगंना के भेड़पालकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने एवं उनके जीवन–यापन में सुधार लाने हेतु भेड़–बकरी पैरावेट केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

कार्ययोजनाः–

1.भेड़–बकरी पैरावेट का चयन

1. भेड़–बकरी पैरावेट का चयन सम्बन्धित विकासखण्ड के उपरोक्त चयनित भेड़ बाहुल्य ग्रामों में से किया जायेगा।
2. भेड़–बकरी पैरावेट इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण बेरोजगार युवक जो कि भेड़पालक परिवार से सम्बन्ध रखता हो, चयनित किया जाना प्रस्तावित है।
3. पैरावेट की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष हो।
4. भेड़–बकरी पैरावेट के चयन के समय यह भी ध्यान रखा जाय कि चयनित पैरावेट के माध्यम से अधिक से अधिक भेड़–बकरी बाहुल्य क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की जा सके।
5. विकासखण्ड में पैरावेट का चयन व्यापक प्रचार–प्रसार के उपरान्त अर्हता प्राप्त इच्छुक अभ्यर्थियों में से निम्नवत चयन समिति के द्वारा किया जायेगाः–
    I. सम्बन्धित जनपद के उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी
    II. सम्बन्धित विकासखण्ड के पशुचिकित्सा अधिकारी
    III. एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के विकासखण्ड इकाई के प्रभारी

चयनित भेड़–बकरी पैरावेट की सूची मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी से अनुमोदित कराते हुए इस कार्यालय में भेजी जाय।

6. पैरावेट के चयनोपरान्त उनसे रू0 100.00 का नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर बॉण्ड प्रत्येक वर्ष भराया जायेगा। इसके उपरान्त ही औपचारिक रूप से पैरावेट के चयन के आदेश मुख्य अधिशासी अधिकारी उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से जारी किया जायेगा।
7. चयनित पैरावेट का 15 दिनों का प्रशिक्षण उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित संस्थाओं पर कराया जायेगा।
8. इस परियोजना के अन्तर्गत चयनित पैरावेट को तीन वर्ष/परियोजना अवधि तक ₹ 3000.00 प्रतिमाह के अनुसार मानदेय दिया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में भी मानदेय की सुविधा अनुमन्य होगी।
9. पैरावेटों द्वारा प्रतिमाह किये गये कार्यो की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित विकासखण्ड के पशुचिकित्सा अधिकारियों के साथ–साथ उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून को प्रेषित करनी होगी। प्रतिमाह के कार्यो के आधार पर ही बोर्ड मुख्यालय द्वारा मानदेय अवमुक्त किया जायेगा।
10. पैरावेटों को मानदेय का भुगतान सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारियों के द्वारा पैरावेट द्वारा किये गये कार्यो का मूल्यांकन करते हुए एवं जनपद के उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी की संस्तुति के आधार पर मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून द्वारा मानदेय का भुगतान करेंगे।
11. पैरावेट द्वारा किये गये कार्यो की त्रैमासिक समीक्षा उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून द्वारा की जायेगी जिसमें पैरावेट का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
12. चयनित भेड़–बकरी पैरावेट अपने निवास स्थल से ही निर्धारित कार्यो का सम्पादन करेंगे जहां पर उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा निर्धारित साईन बोर्ड का प्रदर्शन करेगा।
13. चयनित पैरावेट के मुख्य कार्य निम्नवत होंगेः–

i. पैरावेट का कार्यक्षेत्र सम्बन्धित विकासखण्ड का समस्त क्षेत्र होगा।

ii. पशुपालन विभाग एवं एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना से समन्वय स्थापित करते हुए भेड़–बकरीपालकों के उत्पादकता समूहों (Producer Group) का समयान्तर्गत गठन करेंगे।

iii. उत्पादकता समूहों (Producer Group) का संघ (Federation) तैयार करना।

iv. उत्पादकता समूहों (Producer Group) एवं संघ (Federation) का बैंक खाता खुलवाना, नियमित बैठकें कराना, कार्यवृत्त जारी करना एवं कार्यकारी सचिव के रूप में कार्य करना।

v. संघ (Federation) के समस्त भेड़पालकों का बायोमैट्रिक पंजीकरण में सहयोग प्रदान करना।

vi. कार्य क्षेत्र में टीकाकरण, दवापान, दवास्नान, प्राथमिक उपचार एवं मशीन द्वारा ऊन शियरिंग सुविधा भेड़पालक के द्वार पर प्रदान करना।

vii. ऊन के नमूने की जांच में सहयोग प्रदान करना।

viii. कार्य क्षेत्र में भेड़ सर्वेक्षण एवं विभागीय/बोर्ड द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करना। प्रचार–प्रसार का समुचित अभिलेख उदाहरणार्थः बैठकों/कार्यशालाओं/गोष्ठियों में किसानों/भेड़पालकों की उपस्थिति का विवरण आदि।

ix. भेड़पालक बीमा, भेड़–बकरी बीमा करवाने में सहयोग प्रदान करेंगे।

x. उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड एवं पशुपालन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित समस्त कार्यो एवं दिशा निर्देशों का निष्पादन करेंगे।

2. चिकित्सा शिविरों के आयोजन

मद	लक्ष्य			
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	योग
चिकित्सा शिविर	14	18	18	50

शिविर आयोजन हेतु दिशा निर्देश :–

1. शिविर के आयोजन का पूर्ण विवरण निम्न प्रारूप के अनुसार पंजिका में अंकित किया जायः–

प्रारूप–1 (पंजीकरण)

क्र0सं0	भेड़–बकरी पालक का नाम/ पिता का नाम/पता व मोबाईल नं0	भेड़–बकरी पालक के हस्ताक्षर	गोष्ठी में चर्चा किये गये विषयों की जानकारी	भेड़–बकरी पालक से प्राप्त समस्या सुझाव/ समाधान
1	2	3	4	5

प्रारूप–2 (चिकित्सा शिविर में किये गये कार्यो का पूर्ण विवरण)

क्र0 सं0	भेड़–बकरी पालक का नाम/ पिता का नाम/पता व मोबाईल नं0	पशुओं की संख्या								
		भेड़ों की संख्या				बकरियों की संख्या				अन्य पशु
		भेड़		मेमने		बकरी		किड		
		नर	मादा	नर	मादा	नर	मादा	नर	मादा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

शिविर में किये गये कार्यो का विवरण (संख्या में)				प्राप्त लेवी रू0 में	भेड़पालक के पास उपलब्ध/ उत्पादित ऊन की मात्रा
चिकित्सा	दवापान	दवास्नान	टीकाकरण		
12	13	14	15	16	17

2. शिविरों में **''भेड़–बकरी पालक समूह''** का निर्माण एवं पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।
3. शिविर में बैनर, साहित्य, पम्पलेटस आदि का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।
4. शिविर में बोर्ड से सम्बन्धित समस्त योजनाओं की जानकारी जैसे केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा भेड़ एवं ऊन सुधार योजना, केन्द्रीय भेड़पालक बीमा योजना एवं भेड़ बीमा योजना आदि के सम्बन्ध में जानकारी भेड़ बकरी पालकों को दी जाय।
5. भेड़पालकों का बायोमैट्रिक पंजीकरण के सम्बन्ध में जानकारी के विषय में चर्चा की जाय।
6. भेड़पालकों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करते हुए यदि स्थलीय निराकरण हो सकें तो करें अन्यथा बोर्ड कार्यालय को अवगत करायें ताकि समस्याओं का निराकरण किया जा सके।
7. भेड़पालकों को नवीनतम तकनीकी की जानकारी जैसे जैविक ऊन उत्पादन व भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान आदि की जानकारी उपलब्ध करायी जाय।
8. शिविर में भेड़पालकों से प्राप्त की गयी लेवी को उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून के भारतीय स्टेट बैंक, कारगी ग्रान्ट, देहरादून के बैंक खाता संख्या 10587496367 में जमा की जाय।

3. मशीन ऊन कतरन शिविरों के आयोजन

मद	लक्ष्य			
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	योग
मशीन ऊन कतरन शिविर	06	07	07	20

मशीन ऊन कतरन शिविर के आयोजन हेतु दिशा निर्देश :–

1. शियरिंग शिविर में भेड़पालकों की भेड़ों की ऊन के नमूनों को अधिक से अधिक संख्या में प्राप्त करते हुए परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक ऋषिकेश को जाँच हेतु भेजी जाय।
2. भेड़पालकों द्वारा किन–किन दरों पर ऊन बेची जा रही के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाय तथा भेड़पालकों की आर्थिकी की पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाय।
3. शियरिंग के विवरण का प्रारूप निम्नवत हैः–

प्रारूप (शियरिंग कैम्प में किये गये कार्यो का पूर्ण विवरण)

क्र0 सं0	शियरिंग की तिथि/स्थान वि0ख0/जनपद	भेड़पालक का नाम, पिता का नाम व पता तथा मो0नं0	भेड़ की प्रजाति	भेड़ों की संख्या	शियरिंग की गयी भेड़ों की संख्या	प्रत्येक भेड़ का वजन		प्रति भेड़ ऊन की मात्रा		ऊन की किस्म	ग्रेडिंग काली/सफेद
						नर	मादा	नर	मादा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4. मशीन द्वारा ऊन कतरन पर प्राप्त कच्चे ऊन की ग्रेडिंग, विपणन को प्रोत्साहित किये जाने हेतु ऊन उत्पादक संघ/गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं/उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/ऊन क्रेता आदि को रू0 1.00 प्रति कि0ग्रा0 ऊन की ग्रेडिंग एवं रू0 2.00 प्रति कि0ग्रा0 कच्चे ऊन के विपणन जिसमें परिवहन व्यय, भण्डारण आदि की व्यवस्था सम्मिलित है, हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा धनराशि दी जायेगी।
5. ऊन कतरन से उत्पादित ऊन की मात्रा का लक्ष्य का निर्धारण निम्नवत हैः–

विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	योग
ऊन की मात्रा कि0ग्रा0 में	30,000	60,000	60,000	1,50,000

4. मशीन ऊन कतरन प्रशिक्षण शिविर

मद	लक्ष्य			
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	योग
मशीन ऊन कतरन प्रशिक्षण शिविर 05 प्रशिक्षणार्थी प्रति शिविर	30	35	35	100

मशीन ऊन कतरन प्रशिक्षण शिविरों हेतु दिशा निर्देश :–

1. प्रत्येक मशीन ऊन कतरन शिविरों में कम से कम 05 भेड़पालकों को मशीन द्वारा ऊन कतरन का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. प्रशिक्षित भेड़पालकों को बोर्ड द्वारा मशीन कतरन प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

5. भेड़पालकों को अतिरिक्त सुविधाएं

1. योजनान्तर्गत राज्य के भेड़–बकरी बाहुल्य छः विकासखण्डों में 2000 भेड़–बकरीपालक परिवारों को आजीविका सुधार एवं सहायतार्थ निम्नलिखित सामग्रियां उपलब्ध करायी जानी हैं।

क्र.सं.	सामग्री	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	योग
1	एल्पाईन टेन्ट	20	40	40	100
2	मैट्स सेट	20	40	40	100
3	फोल्डिंग डीपिंग टैंक/स्प्रे मशीन	10	15	15	40
4	मेडिसन सहित कैरी बैग (मेडिसन किट)	100	100	100	300
5	सोलर लैम्प	20	40	40	100

2. सामग्रियों का वितरण भेड़–बकरीपालकों के मध्य भेड़ प्रदर्शनी आयोजित कर पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।
3. भेड़ प्रदर्शनी का आयोजन पशुचिकित्सा शिविर एवं ऊन कतरन के साथ आयोजित की जायेगी।

4. भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन निम्नवत गठित समिति के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगाः–
   I. उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी का प्रतिनिधि
   II. सम्बन्धित क्षेत्र के पशुचिकित्सा अधिकारी
   III. उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के प्रतिनिधि
   IV. क्षेत्र के जनप्रतिनिधि
5. पशुचिकित्सा, ऊन कतरन एवं भेड़ प्रदर्शनी शिविरों के आयोजन में होने वाले सामग्री परिवहन, यातायात व्यय आदि का वहन योजना के अन्तर्गत ट्रांसपोटेशन मद से किया जायेगा।
6. योजना का लाभ व्यापक रूप से लाभार्थियों तक पहुंचाये जाने के उद्देश्य से वृहद्व प्रचार–प्रसार, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता, पूर्ण पारदर्शिता एवं मितव्ययता के साथ समस्त कार्यक्रमों में सुनिश्चित की जाय।
7. योजना के अन्तर्गत आयोजित समस्त कार्यक्रमों में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) के विकासखण्ड स्तरीय/जनपद स्तरीय प्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाय।

6. कार्यक्रमों का वार्षिक कैलेण्डर

क्र0 सं0	वर्ष	अप्रैल–जून	जुलाई–सितम्बर	अक्टूबर–दिसम्बर	जनवरी–मार्च
1	प्रथम वर्ष 2015–16	–	छः विकासखण्डों में पैरावेट का चयन, नियुक्ति एवं प्रशिक्षण	चिकित्सा शिविर, ऊन कतरन शिविर एवं भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन	चिकित्सा शिविर, ऊन कतरन शिविर एवं भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन
			भेड़पालकों को सुविधा हेतु सामग्रियों का क्रय	पैरावेट के कार्यो की समीक्षा	पैरावेट के कार्यो की समीक्षा
			चिकित्सा शिविर, ऊन कतरन शिविर एवं भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन	आई0एल0एस0पी0 के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय	ऊन विपणन एवं प्रोत्साहन कार्य
				उत्पादक समूहों का निर्माण	भेड़पालकों के साथ विचार विमर्श
2	द्वितीय वर्ष 2016–17	गत वर्ष में किये गये कार्यो के प्रभाव का अध्ययन (Impact study)	चिकित्सा शिविर, ऊन कतरन शिविर एवं भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन	ऊन विपणन एवं प्रोत्साहन कार्य	चिकित्सा शिविर, ऊन कतरन शिविर एवं भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन
		फैडरेशन का निर्माण	आई0एल0एस0पी0 के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय	चिकित्सा शिविर, ऊन कतरन शिविर एवं भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन	पैरावेट के कार्यो की समीक्षा
		भेड़पालकों को सुविधा हेतु सामग्रियों का क्रय	पैरावेट के कार्यो की समीक्षा		भेड़पालकों के साथ विचार विमर्श
3	तृतीय वर्ष 2017–18	गत वर्ष में किये गये कार्यो के प्रभाव का अध्ययन (Impact study)	चिकित्सा शिविर, ऊन कतरन शिविर एवं भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन	ऊन विपणन एवं प्रोत्साहन कार्य	चिकित्सा शिविर, ऊन कतरन शिविर एवं भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन
		फैडरेशन का निर्माण	आई0एल0एस0पी0 के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय	चिकित्सा शिविर, ऊन कतरन शिविर एवं भेड़ प्रदर्शनियों का आयोजन	पैरावेट के कार्यो की समीक्षा
		भेड़पालकों को सुविधा हेतु सामग्रियों का क्रय	पैरावेट के कार्यो की समीक्षा		योजना में किये गये कार्यो के प्रभाव का अध्ययन (Impact study)

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड
प्रगति वर्ष 2015–16

क्र0सं0	योजना / मद	लक्ष्य	प्रगति
1	**केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड (CWDB) - भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (SWIS) (उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर)**		
1.1	स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम		
	दवापान	**2.50 लाख भेड़**	278436
	दवास्नान		259640
	टीकाकरण		103474
	चिकित्सा		99527
1.2	नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत मेढ़ों का वितरण		
	पौड़ी	-	-
	देहरादून	-	14
	उत्तरकाशी	-	49
	बागेश्वर	-	44
	टिहरी	-	37
	रूद्रप्रयाग	-	09
	पिथौरागढ़	-	50
	चमोली	-	45
	योग	250	248
1.3	**05 रैम रेंजिग यूनिट के अन्तर्गत वितरित मेढ़ों की संख्या**	-	248
1.4	बीमित भेड़पालकों की प्रगति	-	501
	बीमित भेड़पालकों के पाल्यों को छात्रवृत्ति (कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दो पुत्र / पुत्रियों)	-	73
2	**अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना**		
2.1	भेड़–बकरी इकाईयों की स्थापना (10+1) (राज्य सेक्टर)	200	200
2.2	बहुउद्देशीय पशुचिकित्सा शिविरों व गोष्ठियों का आयोजन (RKVY)	380	380
2.3	भेड़ एवं बकरी पालकों को प्रवर्जन मार्गो पर अतिरिक्त सुविधाओं में एल्पाईन टैन्ट / मैटरस विवरण का वितरण (RKVY)	टैन्ट	474
		मैट्रस	948
2.4	भेड़ एवं बकरी पालकों की कौशल वृद्वि (RKVY)		
	एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन	20	20
	अध्ययन भ्रमण / एक्सपोजर विजिट(लाभार्थी)	70	70
3	**एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)**		
3.1	भेड़–बकरी पैरावेट केन्द्रों की स्थापना (कपकोट, मुनस्यारी, पुरोला, भटवाड़ी, जोशीमठ, भिलगंना)	06	06
	भेड़पालक सर्वे	-	386
	चिकित्सा	-	86
	टीकाकरण	-	235
	दवास्नान	-	1885
	दवापान	-	1162
3.2	चिकित्सा शिविर	07	06
3.3	मशीन ऊन कतरन शिविर	06	08
3.4	मशीन ऊन कतरन में भेड़पालकों को प्रशिक्षण	30	32

3- पांच सचल पशुचिकित्सा वाहनों की प्रगति (RKVY)

क्र. सं.	जनपद	शिविरों की संख्या	चिकित्सा	टीकाकरण	बधियाकरण	दवापान	दवास्नान	प्राप्त शुल्क रू0 में
1	पिथौरागढ़	66	2180	2756	10	1839	1534	1822
2	बागेश्वर	84	1541	4707	80	5905	5980	26552
3	उत्तरकाशी	57	1671	700	21	1918	2270	14845
4	चमोली	68	4441	4800	-	5940	3806	30981
5	टिहरी	67	2300	1971	169	5006	4572	25605
	योग	**342**	**12133**	**14934**	**280**	**20608**	**18162**	**116204**

मैनुअल–4

कृत्यों के निर्वहन हेतु स्वयं द्वारा

स्थापित मापमान

4.1 –कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम–

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के वर्ष 2016–16 के मुख्य कार्य

1. वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर द्वारा वित्त पोषित योजनाएं:

भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (वर्ष 2015–16 की प्रगति)

स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमः–उत्तराखण्ड राज्य के भेड़ बाहुल्य जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रूद्रप्रयाग, देहरादून एवं पौड़ी में वर्ष 2015–16 में 227547 दवापान, 213578 दवास्नान, 80521 चिकित्सा एवं 71622 टीकाकरण का कार्य किया गया।

नस्ल सुधार कार्यक्रमः–भेड़पालकों को उच्च वंशावली के 248 मेढ़ों का वितरण नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में किया गया।

उत्पादकता विकास में प्रोत्साहनः–उत्पादित ऊन के विपणन एवं ग्रेडिंग के प्रोत्साहन कार्यक्रम में 7468 कि0ग्रा0 ऊन की ग्रेडिंग व विपणन किया गया।

सामाजिक सुरक्षा योजनाः– 501 भेड़पालकों को केन्द्रीय भेड़पालक बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में बीमित किया गया तथा 73 बीमित भेड़पालकों के पाल्यों को रू0 100.00 प्रतिमाह की दर से रू0 87,600.00 की छात्रवृत्ति प्रदान की गयी।

प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरणः– राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पांगू, पिथौरागढ़ एवं राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र शामालीती, बागेश्वर पर मेढ़ा पालन इकाईयों की स्थापना की गयी।

2. अहिल्याबाई होलकर भेड़–बकरी विकास योजना :–

- वर्ष 2015–16 में 200 उन्नत प्रजाति की भेड़–बकरी (10+1) इकाईयों की स्थापना की गयी। इकाई लागत रू0 99,770.00 (राजकीय अनुदान 90 प्रतिशत)।
- बहुउद्देशीय पशुचिकित्सा शिविर एवं गोष्ठियों का आयोजन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वित्त पोषित। वर्ष 2015–16 में भी 380 बहुउद्देशीय पशुचिकित्सा शिविर एवं गोष्ठियों का आयोजन किया गया।
- भेड़–बकरी पालकों की कौशल वृद्वि का आयोजन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वित्त पोषित। वर्ष 2015–16 में माह जनवरी–फरवरी में राज्य के 10 प्रगतिशील भेड़–बकरीपालको का केन्द्रीय बकरी अनुसंधान केन्द्र मखदूम, मथुरा में दस दिवसीय अध्ययन भ्रमण आयोजित किया गया। साथ ही माह मार्च 2016 में 40 भेड़–बकरीपालकों का तीन दिवसीय अध्ययन भ्रमण केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर राजस्थान में आयोजित किया गया।
- भेड़–बकरीपालकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वित्त पोषित। गढ़वाल मण्डल में पशुलोक ऋषिकेश एवं कुमाऊँ मण्डल में प्रशिक्षण केन्द्र भैंसवाड़ा, अल्मोड़ा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- भेड़–बकरीपालकों को अतिरिक्त सुविधाएं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वित्त पोषित। प्रवर्जन मार्गो के भेड़पालकों को 474 एल्पाईन टैन्ट एवं 948 मैट्रस का वितरण वर्ष 2015–16 में किया गया।

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

05 भेड़–बकरीपालकों के प्रवर्जन मार्गो हेतु 05 सचल पशुचिकित्सा वाहन (05 Mobile Veterinary Van) जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली एवं टिहरी गढ़वाल हेतु मा0 पशुपालन मंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को हरी झण्डी दिखाकर उक्त जनपदों हेतु रवाना गया किया। सुसज्जित सचल पशुचिकित्सा सचल वाहन के माध्यम से राज्य के भेड़–बकरीपालकों एवं अन्य पशुपालकों के सहायतार्थ पशुचिकित्सा सेवाएं, दवापान, दवास्नान, टीकाकरण, मशीन द्वारा ऊन कतरन, शिविर स्थल पर ही प्रयोगशाला जांच की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

4. एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)

- **06 भेड़–बकरी पैरावेट केन्द्रों की स्थापनाः–** विकासखण्ड मुनस्यारी, कपकोट, भटवाड़ी, पुरोला, जोशीमठ एवं घनसाली के भेड़ बाहुल्य क्षेत्रों में से बेरोजगार शिक्षित युवकों को प्रशिक्षण उपरान्त मासिक मानदेय पर केन्द्रों के संचालन हेतु रखा गया है। योजना के अन्तर्गत ऊन उत्पादक समूहों, फैडरेशन का निर्माण एवं टीकाकरण, दवापान, दवास्नान, प्राथमिक उपचार एवं मशीन द्वारा ऊन शियरिंग सुविधा भेड़पालक के द्वार पर प्रदान किया जाना है।
- उपरोक्त विकासखण्डों में चिकित्सा एवं मशीन द्वारा ऊन कतरन शिविरों का आयोजन तथा भेड़पालकों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है।

मैनुअल–5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख

5– अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख–

लोक प्राधिकरण तथा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूची–

(प्रथम)

अभिलेख का नाम एवं विवरण	**अभिलेख का प्रकार/अन्य जानकारी**
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो भाग–दो–चार	नियम/विनियम
नियम/विनियम	स्थापना, अवकाश प्रकरण, वेतन निर्धारण, आदि से सम्बन्धित नियम
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं	1– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)सम्बन्धित जनपद 2– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल 3– अपर निदेशक पशुधन कार्यालय गोपेश्वर चमोली। 4–निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	––

(द्वितीय)

अभिलेख का नाम एवं विवरण	**अभिलेख का प्रकार/अन्य जानकारी**
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–तीन	नियम/विनियम
नियम/विनियम	यात्रा भत्ता से सम्बन्धित
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं	1– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)सम्बन्धित जनपद 2– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल 3– अपर निदेशक पशुधन कार्यालय गोपेश्वर चमोली। 4–निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	––

(तृतीय)

अभिलेख का नाम एवं विवरण	अभिलेख का प्रकार/अन्य जानकारी
वित्त नियम संग्रह खण्ड–पांच	नियम/विनियम
नियम/विनियम	यात्रा भत्ता से सम्बन्धित
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं	1– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)सम्बन्धित जनपद 2– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल 3– अपर निदेशक पशुधन कार्यालय गोपेश्वर चमोली। 4–निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	––

(चतुर्थ)

अभिलेख का नाम एवं विवरण	अभिलेख का प्रकार/अन्य जानकारी
पशुपालन विभाग की नियमावली	नियम/विनियम
नियम/विनियम	यात्रा भत्ता से सम्बन्धित
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं	1– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष)सम्बन्धित जनपद 2– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल 3– अपर निदेशक पशुधन कार्यालय गोपेश्वर चमोली। 4–निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	––

(पंचम)

अभिलेख का नाम एवं विवरण	अभिलेख का प्रकार/अन्य जानकारी
उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड से सम्बन्धित शासनादेशों का संकलन	बोर्ड के स्थापना के बाद जारी शासनादेशों का संग्रह
नियम/विनियम	स्थापना/लेखा/बजट/यात्रा भत्ता इत्यादि से सम्बन्धित विषय।
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं	1– मुख्य अधिशासी अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), उत्तरखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून 2– सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	––

संख्या 3484 पत्रावली सं0–19539D दिनांक 28.01.2014

उत्तराखण्ड शासन

सोसाईटी के नवीनीकरण का प्रमाण–पत्र

नवीनीकरण संख्या 340 / 2013–2014

फाईल संख्या 19539D

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग) मोथरोवाला रोड, पो0ओ0 मोथरोवाला देहरादून को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या 731/2003-2004 दिनांक 31-Oct-13 को दिनांक 30-Oct-13 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नवीकृत किया गया है

रू0 500.000 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 26-Dec -13

Sd/-
सोसाइटी–रजिस्ट्रार
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड

पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग), मोथरोवाला रोड़,
पो0ओ0 मोथरोवाला, देहरादून–248115
फोन नं0 0135–2532926 फैक्स नं0 0135–2532816
ई0मेल0– ceo.uswdb@yahoo.com, ceo.uswdb@gmail.com

पत्रांक 486 /नियोजन/ऊन दर निर्धारण/2015–16 **दिनांकः 17 अगस्त, 2015**

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय– वर्ष 2015–16 में राज्य में उत्पादित होने वाली ऊन की न्यूनतम दरें।

महोदय,

शासनादेश सं0 316/प0म0दु0/पशुपालन/1050/2004 दिनांक 11 मई, 2004 के द्वारा गठित समिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, निदेशक, उद्योग विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित होने वाली ऊन की दर निर्धारण हेतु आयोजित बैठक के जारी कार्यवृत्त पत्रांक 483 दिनांक 14 अगस्त, 2015 के अनुसार ऊन की न्यूनतम दरों का निर्धारण निम्नवत किया जाता हैः–

क्र0 सं0	ऊन की किस्म		वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित न्यूनतम दरें (रू0 प्रति कि0ग्रा0)
1.	रशियन मैरिनों/रैम्बुलेट (बाडी ऊन) Dia. Below 24 micron Length 68-70 mm		110.00
2.	रशियन मैरिनों/रैम्बुलेट (स्कर्ट ऊन)		50.00
3.	क्रास ब्रेड (बॉडी ऊन) Length 66-68 mm		106.00
4.	क्रास ब्रेड (स्कर्ट ऊन)		39.00
5.	स्थानीय देशी भेड़ (बॉडी ऊन) Length 66-68 mm	सफेद	105.00
		काली	77.00
6.	स्थानीय देशी भेड़ (बॉडी ऊन) Length 66 mm Below	सफेद	46.00
		काली	44.00
7.	स्थानीय देशी भेड़ (स्कर्ट ऊन)	सफेद	28.00
		काली	28.00
8.	अंगोरा शशक ऊन ''A'' grade		1500.00
9.	क्रास मोहयर		61.00

1. यह न्यूनतम दरें उत्तराखण्ड राज्य के समस्त ऊन उत्पादित क्षेत्र, स्थान तथा राजकीय एवं गैर राजकीय संस्था आदि पर लागू होगी।
2. उपरोक्त न्यूनतम दरों के अतिरिक्त क्रेता को नियमानुसार व्यापार कर, अन्य देयकर एवं ऊन भण्डारण के लिये पैंकिग चार्ज आदि पृथक से देना होगा।
3. क्षेत्र, स्थान तथा संस्था आदि से ऊन का ढुलान सम्बन्धित क्रेता द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा।

4. उत्तराखण्ड राज्य की राजकीय संस्थाओं की उत्पादित ऊन को बॉडी एवं स्कर्ट ऊन के रूप में भली प्रकार पृथक–पृथक भण्डारित करना होगा।
5. राजकीय संस्थाओं से भविष्य में उत्पादित होने वाली ऊन से सम्बन्धित ऊन कतरन कार्यक्रम को कतरन से एक माह पूर्व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को अवगत कराना होगा, ताकि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रतिनिधि सम्मुख ऊन कतरन कार्य सम्पादित कराते हुये क्रय की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
6. उपरोक्त निर्धारित दरें पूर्णतया न्यूनतम हैं। किसी भी दशा में इससे कम मूल्य पर ऊन का विक्रय न किया जाय। न्यूनतम दरों से अधिक मूल्य पर ऊन विक्रय करने से ऊन दर निर्धारण समिति को कोई आपत्ति नहीं होगी।
7. वर्ष में विक्रय हेतु उपलब्ध ऊन का निस्तारण प्रत्येक दशा में उसी वर्ष में अवश्य कर दिया जाय, जिससे कोई भी ऊन निस्तारण हेतु अवशेष न रह जाय।
8. यह आदेश आगामी वित्तीय वर्ष में नये आदेश जारी होने तक लागू रहेगा।

भवदीय,

Sd/-
(डा0 अविनाश आनन्द)
मुख्य अधिशासी अधिकारी

पत्रांक 486 /नियोजन/ऊन दर निर्धारण/2015–16 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. परियोजना निदेशक, लघु पशु विकास, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
2. परियोजना निदेशक, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, मक्कू, रूद्रप्रयाग।
3. परियोजना निदेशक, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक, ऋषिकेश।
4. अधिशासी निदेशक, हाईफीड, रानीचौरी, टिहरी–गढ़वाल।
5. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/गोपेश्वर–चमोली।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, उद्योग विभाग उत्तराखण्ड, पटेल नगर, देहरादून।
8. निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
10. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, जोधपुर, राजस्थान।
11. प्रभारी सचिव, पशुपालन, भेड़–बकरी पालन, उत्तराखण्ड शासन।
12. प्रमुख सचिव, पशुपालन, भेड़–बकरी पालन, उत्तराखण्ड शासन।
13. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन।
14. संयुक्त सचिव (ऊन), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

Sd/-
(डा0 अविनाश आनन्द)
मुख्य अधिशासी अधिकारी

मैनुअल–6

ऐसे दस्तावेजों के जो उनके द्वारा धारित या उनके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण–

6.11 ऐसे दस्तावेजों के जो उनके द्वारा धारित या उनके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण–

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, पशुधन भवन, द्वितीय तल, मोथरोवाला, देहरादून में निम्न दस्तावेज उपलब्ध है –

क– पंजिकायें :

1– उपस्थिति पंजिका
2– यात्रा/भ्रमण पंजिका
3– डाक डिस्पैच पंजिका
4– डाक टिकट पंजिका
5– जनरल स्टाक बुक
6– अधिशासी कमेटी तथा बोर्ड की बैठकों की कार्यवाही पंजिका
7– बजट नियंत्रण पंजिका
8– देयक पंजिका
9– डैड स्टाक बुक
10–सूचना के अधिकार से सम्बन्धित

ख– पत्रावलियां–

1– योगदान आख्या, कार्मिकों की मांग, स्थानान्तरण/स्थगन से सम्बंन्धित
2– वेतन आहरण मांग पत्र से सम्बन्धित
3– दूरभाष/विद्युत/जल/जलकर देयक से सम्बन्धित
4– बोर्ड में तैनात कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली
5– विविध विषयों से सम्बन्धित
6– शासनादेशों के संकलन से सम्बन्धित
7– पशुपालन/दुग्ध विकास विभाग, यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी. की बैठक के सम्बन्ध में
8– बजट मांग/स्वीकृति/आहरण वितरण से सम्बन्धित
9– भुगतान हेतु प्राप्त देयकों से सम्बन्धित
10– भवन किराये की स्वीकृति से सम्बन्धित
11– अधिशासी कमेटी की बैठकों से सम्बन्धित
12– अंगोरा शशक (पत्र व्यवहार) पत्रावली
13– प्रशासनिक सुधार आयोग से सम्बन्धित।
14– मुख्य सचिव की बैठकों में लिये गये निर्णयों का परिपालन सम्बन्धी।
15– प्रदर्शनी से सम्बन्धित।
16– फार्मो की वार्षिक प्रगति।
17– बोर्ड के रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित।
18– अधिशासी कमेटी तथा अन्य बैठकों के कार्यवृत्त के संकलन से सम्बन्धित।
19– मानदेय की स्वीकृति से सम्बन्धित।
20– समीक्षा बैठक से सम्बन्धित।
21– समायोजन से सम्बन्धित।
22– मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 की अध्यक्षता में की गई बैठकों से सम्बन्धित।
23– समीक्षा केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड से सम्बन्धित।
24– विज्ञापनों से सम्बन्धित
25– कोटेशन प्रक्रिया से सम्बन्धित।
26– अवकाश हेतु प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित।
27– उत्तराखण्ड सूचना आयोग से सम्बन्धित
28– सूचना का अधिकार–2005 की एम.पी.आर. से सम्बन्धित।
29– यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 कार्यक्रम समीक्षा
30– भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मासिक प्रगति (2005–06)
31– भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मासिक प्रगति (2006–07)
32– बहुउददेशीय सेवा केन्द्र, एम0पी0आर0/लेवी

33– एम0पी0आर0 (2005–06)
34– एम0पी0आर0 (2006–07)
35– समीक्षा केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड
36– यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 कार्यक्रम समीक्षा
37– भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मासिक प्रगति (2005–06)
38– भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मासिक प्रगति (2006–07)
39– बहुउददेशीय सेवा केन्द्र, एम0पी0आर0 / लेवी
40– एम0पी0आर0 (2005–06)
41– एम0पी0आर0 (2006–07)
42– भेड़ / शशक आहार
43– ब्रीडिंग पोलिसी
44– एकीकृत ऊन सुधार योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण
45– प्रशिक्षण पत्रावली
46– Field Visit (Deligates)
47– भेड़ पालकों को शिविर के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में
48–उत्तराखण्ड राज्य में अंगोरा शशक कार्यक्रम योजना
49– अंगोरा शशक विकास कार्यक्रम
50–एकीकृत ऊन सुधार योजना के अन्तर्गत जनपद स्तरीय प्रशिक्षण
51– मेढ़ा नीलामी
52– अंशदान (मेढ़ा / अंगोरा / बकरा)
53– भूमि आवंटन (धूतू)
54– ग्रोथ पोल परियोजना
55– क्वारनटाईन स्टेशन से सम्बन्धित पत्रावली
56– मेढ़ा (अपलेखन) बट्टा खाता
57– शीप पैरावेट्स
58– Evaluation Reports [C.V.O.(Joint Director equivalent)]
59– यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 योजना कार्यक्रम लक्ष्य
60– चौगरखा बकरी से सम्बन्धित पत्रावली
61– अनुसूचित जनजाति के लिए भेड़–बकरी पालन योजना के सम्बन्ध में
62– यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 के तत्वाधान में नये संचालित कार्यक्रम
63–शासन द्वारा प्रेषित पत्र (Grazing Act/Board Regarding)
64– ऊन भाव / ऊन पत्रावली
65– केन्द्रीय सरकार / शासन को प्रस्तावित योजना
66– चरान–चुगान
67– Woolen Expo.
68– भेड़–बकरियों में बीमारियों से सम्बन्धित पत्रावली
69– वाहन सम्बन्धित पत्रावली
70– योजना कार्यक्रम एन0जी0ओ0
71– भूमि पशुलोक पर एम्स की स्थापना से विभागीय अनुभागों के पुर्नस्थापना पत्रावली
72– Monthly Progress Report of Rabbit (हाईफीड)
73– भ्रमण निरीक्षण बैठक (मु0अ0अ0 यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0)
74– बी0एस0एन0एल0 को शामालीती की भूमि / भवन आवंटन के सम्बन्ध में
75– ग्रीष्मकालीन / शीतकालीन प्रवास मार्गो पर दी जाने वाली सुविधाएँ
76– भेड़पालकों का सर्वेक्षण
77– भेड़पालकों का पंजीकरण / सूची
78– भेड़पालकों के समूह का विवरण
79– ऊन निस्तारण
80– ऊन विश्लेषण
81– स्वयं सहायता समूह / चारा
82– यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 भवन आंगणन

83– ऊन उद्योग में लगे व्यक्तियों की सूचना
84– मेढ़ा वितरण (Ram Distribution)
85– भेड़पालकों/मेढ़ों का बीमा पत्रावली
86– मेढ़ा वितरण अनुबन्ध पत्रावली
87– मेढ़ा बीमा क्लेम (मृत्यु होने पर)
88– प्रशिक्षण उपस्थिति
89– वैक्सीन सम्बन्धी पत्रावली
90– स्टोर सम्बन्धी (औषधि वितरण आदि)
91– स्टोर विविध पत्रावली
92– स्टोर सामग्री/औषधि क्रय आदेश
93– जनपदों से सामग्री प्राप्ति पत्रावली
94– बैंकों से धनराशि आहरण सम्बन्धी पत्रावली
95– लेवी से सम्बन्धी पत्रावली
96– पशुधन/मक्कू
97– चारा विकास
98– स्थानीय औषधि क्रय
99– बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र सम्बन्धी (अन्य)
100–सेमिनार/कान्फ्रेन्स
101–हिमालय बुग्याल सर्वेक्षण
102–परिसम्पत्ति (भेड़/बकरी/शशक/मुनिकीरेती फार्म)
103–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत बरबरी बकरी पायलट प्रोजेक्ट
104– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अंगोरा बकरी प्रोजेक्ट ग्वालदम चमोली
105–केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड – रैम रेजिंग यूनिट
106–केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड – शीप पैन
107–केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड – बहुउद्देशीय प्रसार केन्द्र
108–आई0डी0एस0आर0आर0 सम्बन्धी भेड़ प्रदर्शनी
109–आई0डी0एस0आर0आर0 सम्बन्धी भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र शामालीती, बागेश्वर का सुदृढ़ीकरण
110–आई0डी0एस0आर0आर0 सम्बन्धी भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कोपड़धार, टिहरी का सुदृढ़ीकरण
111–आई0डी0एस0आर0आर0 सम्बन्धी भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र शामालीती, बागेश्वर में कृत्रि गर्भाधान
112–विकासखण्ड मोरी, उत्तरकाशी में आई0एल0डी0सी0 के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में
113–बरबरी बकरी पायलट प्रोजेक्ट सम्बन्धी पत्रावली

मैनुअल–7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

7–किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबध में जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

7.1 लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधि का परामर्श/भागीदारी का प्राविधान :–

क्रस	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है?	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	योजना का निर्माण	हां	बोर्ड की गवर्निंग बॉडी में कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं भेड़ पालकों का नामांकन है। भेड़ पालक समाज के प्रगति शील भेड़ पालक है।

7.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु :–

लोक प्राधिकरण हेतु नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधियों का परामर्श/भागीदारी का प्राविधान

क्रमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है?	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1–	योजना का निर्माण	हां	बोर्ड की गवर्निंग बॉडी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, 09 प्रगतिशील भेड़ पालक सदस्य एवं 01 विषय विशेषज्ञ नामित हैं ।

मैनुअल–8

ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति है जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

8– बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण–

8.1 बोर्ड का संक्षिप्त विवरण–

- सम्बद्व संस्था का नाम एवं पता – पशुपालन विभाग से सम्बद्ध उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग) मोथरोवाला रोड़ पो0 मोथरोवाला, देहरादून 248115

- **सम्बद्ध संस्था का प्रकार** (बोर्ड, परिषद्, समिति, निकाय या अन्य)– **उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड।**
- सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय

ज्ञापन वर्ष– अक्टूबर, 2003

स्थापना वर्ष– 29 अक्टूबर, 2003

संक्षिप्त उद्देश्य– उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों को लाभ पहुॅचाना/भेड़ पालन कार्यक्रम में प्रोत्साहित करना।

- **सम्बद्ध संस्था की भूमिका–** कार्यकारिणीः
- **स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य–**गवर्निंग बॉडी/23 सदस्यीय गवर्निंग बाडी जिसमें 09 सदस्य प्रगतिशील भेड़ पालक नामित है तथा दो जनता के प्रतिनिधि तथा शेष सदस्य पदेन राजकीय अधिकारी हैं। 09 सदस्यीय अधिशासी कमेटी में सभी सदस्य पदेन है।
- मुख्य अधिशासी अधिकारी का नाम–डा0 अविनाश आनन्द (मुख्य अधिशासी अधिकारी/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड)
- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते–
- 1– उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग) मोथरोवाला रोड़ पो0 मोथरोवाला, देहरादून 248115

  2– परियोजना निदेशक, लघु पशु विकास, पौड़ी।

  3– परियोजना निदेशक, लघु पशु विकास, नैनीताल।

  4–अन्य शाखायें –जनपदीय प्रबन्धक/जनपदीय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक समकक्ष), उत्तराखण्ड।

  5– **बैठक की आवृत्ति–** गवर्निंग बॉडी की वर्ष में 02 बार तथा अधिशासी कमेटी की बैठक वर्ष में चार बार बैठक आयोजित की जाती है।

- क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है – नहीं, केवल सदस्य
- क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है– हां।
- क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है– हां।
- प्रक्रिया का विवरण– प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।

मैनुअल–9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

9– अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका–

9.1 उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत राजकीय अधिकारी / कर्मचारी :–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष / फैक्स संख्या
1	डा0 अविनाश आनन्द	मुख्य अधिशासी अधिकारी / सदस्य सचिव	0135–2532926 / 2532816
2	डा0 अशोक लीलाधर बिष्ट	अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी	0135–2532926 / 2532816
3	डा0 मनीष पटेल	संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी	0135–2532926 / 2532816
4	डा0 पूजा कुकरेती	उप प्रबन्धक	0135–2532926 / 2532816
5	श्री विजय कुमार नवानी	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	0135–2532926 / 2532816
6	श्रीमती इन्दु कोटनाला	प्रधान सहायक	0135–2532926 / 2532816
7	श्री विक्रम सिंह कण्डवाल	प्रधान सहायक	0135–2532926 / 2532816
8	श्री रमेश चन्द्र भट्ट	सहायक प्रबन्धक	0135–2532926 / 2532816
9	श्री पदम सिंह	सहायक प्रबन्धक	0135–2532926 / 2532816

जिला स्तरीय उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के नोडल अधिकारियों की निदेशिकाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	दूरभाष सं0
1.	डा0 लोकेश कुमार	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) चमोली– गोपेश्वर	01372–252273
2.	डा0 बी0 सी0 कर्नाटक	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) उत्तरकाशी	01374–222320, 224816
3.	डा0 राजेन्द्र वर्मा	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) पौडी	01368–223084
4.	डा0 पी0 एस0 रावत	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) टिहरी–नरेन्द्रनगर	01378–227296
5.	डा0 आर0 एस0 नेगी	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) देहरादून	0135–2712572
6.	डा0 आर0 एस0 नितवाल	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) रूद्रप्रयाग	01364–233251
7.	डा0 भूपेन्द्र जंगपांगी	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) अल्मोडा	05962–232289
8.	डा0 उदय शंकर आर्य	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) बागेश्वर	05963–221475
9.	डा0 जी0 एस0 धामी	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) पिथौरागढ़	05964–225319
10.	डा0 प्रेमसागर भण्डारी	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) चम्पावत	05965–230843
11.	डा0 पी0 सी0 काण्डपाल	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) नैनीताल	05942–248367
12.	डा0 रवीन्द्र चन्द्रा	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) उधमसिंहनगर	05944–250264
13.	डा0 एम0 एस0 नयाल	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (संयुक्त निदेशक) हरिद्वार	01334–239978

मैनुअल–10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

10– प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड में कार्यरत समस्त राजकीय अधिकारी/कर्मचारी पशुपालन विभाग से सम्बद्ध किये गये है तथा इनके वेतन निर्धारण एवं आहरण की कार्यवाही पशुपालन विभाग के जनपदीय मुख्य पशु चिकिसाधिकारियों/परियोजना निदेशक पशुलोक परिसर आदि द्वारा की जाती है तथा वेतन आदि का निर्धारण प्रचलित शासनादेशों/वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार की जाती है।

क्र0सं0	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक वेतनमान रू0	पारितोषिक/ पारितोषिक भत्ता
1	डा0 अविनाश आनन्द	मुख्य अधिशासी अधिकारी/ सचिव, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड	15600–39100 ग्रेड पे–7600	–
2	डा0 अशोक लीलाधर बिष्ट	अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी	15600–39100 ग्रेड पे–7600	–
3	डा0 मनीष पटेल	संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी	15600–39100 ग्रेड पे–6600	–
4	डा0 पूजा कुकरेती	उप प्रबन्धक	15600–39100 ग्रेड पे–5400	–
5	श्री विजय कुमार नवानी	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	9300–34800 ग्रेड पे–4200	–
6	श्रीमती इन्दु कोटनाला	प्रधान सहायक	9300–34800 ग्रेड पे–4200	–
7	श्री विक्रम सिंह कण्डवाल	प्रधान सहायक	9300–34800 ग्रेड पे–4200	–
8	श्री रमेश चन्द्र भट्ट	सहायक प्रबन्धक	9300–34800 ग्रेड पे–4600	–
9	श्री पदम सिंह	सहायक प्रबन्धक	9300–34800 ग्रेड पे–4600	–

मैनुअल–11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्ठियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

निदेशालय, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 1587 / लेखा–2 / एक(60) / 2015–16 देहरादूनः दिनांक 23 जुलाई, 2016

सेवा में,

1. सचिव,
   उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग,
   देहरादून।
2. सचिव,
   पशु कल्याण बोर्ड,
   देहरादून।
3. मुख्य अधिशासी अधिकारी,
   उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड,
   देहरादून।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

अनुदान संख्या 28 लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनेत्तर के मानक मद 20–सहायक अनुदान / अंशदान / रा0स0 हेतु शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आवंटित बजट के सापेक्ष रू0 7.50 लाख की धनराशि का आवंटन आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय को किया जा चुका है। उपरोक्त आवंटित धनराशि में से प्रत्येक बोर्ड हेतु रू0 2.50–2.50 लाख की धनराशि नियत की गई है। कृपया उपरोक्त सीमा तक ही व्यय को सीमित रखने का कष्ट करेंगे।

शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाय। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि वर्ष के आरम्भ से ही मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाय और तद्नुसार आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाय। आप अवगत ही होंगे कि 20–सहायक अनुदान मानक मद में व्यय की विभिन्न मदों के अन्तर्गत धनराशि व्यय की जाती है जिसमें फर्नीचर, साज सज्जा, उपकरण, विद्युत प्रभार, स्टेशनरी / कम्प्यूटर स्टेशनरी एवं पेट्रोल / डीजल की मदों में अनिवार्य रूप से बचत सुनिश्चित की जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप धनराशि का व्यय किया जाय।

भवदीय

Sd/-

(एस0बी0डोभाल)

वित्त अधिकारी

निदेशालय, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 2226 / लेखा–2 / आह0वित0 / 2013–14 दिनांक 03 सितम्बर, 2015

सेवा में,

1. मुख्य अधिशासी अधिकारी,
   उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड,
   देहरादून।
2. सचिव,
   उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग,
   देहरादून।
3. सचिव,
   उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
   देहरादून।

विषयः– अनुदान संख्या 28 लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–आयोजनेत्तर योजना के मानक मद 20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता में बजट आवंटन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुदान संख्या–28 लेखाशीर्षक 2403–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशालय–00–आयोजनेत्तर योजना के मानक मद 20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज्य सहायता के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन से 900 जार की धनराशि आवंटित हुई है जिसे आपकी मांग के अनुसार पूर्व में प्रत्येक बोर्ड को 250–250 हजार (कुल रू0 750 हजार) की धनराशि आवंटित की गयी थी तथा अवशेष धनराशि रू0 150 हजार का आवंटन निदेशालय के पत्र संख्या 2067 / लेखा–2(एक) / 60 / 2015–16 दिनांक 24 अगस्त 2015 द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसे प्रत्येक बोर्ड को धनराशि व्यय करने हेतु निम्न आवंटित की जा रही हैः–

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0सं0	बोर्ड का नाम	पूर्व में आवंटित धनराशि	वर्तमान में आवंटित धनराशि	कुल आवंटन
1	सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।	250	80	330
2	सचिव, गौ सेवा आयोग, देहरादून	250	20	270
3	मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून	250	50	300
	योग	**750**	**150**	**900**

कृपया आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही धनराशि व्यय करने का कष्ट करें।

भवदीय

Sd/-

(डा0 ए0 के0 सच्चर)
संयुक्त निदेशक /
आहरण वितरण अधिकारी
मुख्यालय।

निदेशालय, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 4730/लेखा–2/आह0वित0/2015–16 दिनांक 20 फरवरी, 2016

सेवा में,

1. मुख्य अधिशासी अधिकारी,
   उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड,
   देहरादून।
2. सचिव,
   उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग,
   देहरादून।
3. सचिव,
   उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड,
   देहरादून।

विषयः– अनुदान संख्या 28 लेखाशीर्षक 2403– आयोजनेत्तर योजना के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में बजट आवंटन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुदान संख्या–28 लेखाशीर्षक 2403–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशालय–00–आयोजनेत्तर योजना के मानक मद 20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज्य सहायता के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त धनराशि आपकी मांग के अनुसार प्रत्येक बोर्ड को निम्न प्रकार आवंटित की जा रही है। आवंटित धनराशि का शत–प्रतिशत उपयोग करने का कष्ट करें।

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0सं0	बोर्ड का नाम	पूर्व में आवंटित धनराशि	वर्तमान में आवंटित धनराशि	कुल आवंटन
1	सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।	330	900	1230
2	सचिव, गौ सेवा आयोग, देहरादून	270	400	670
3	मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून	300	900	1200
	योग	**900**	**2200**	**3100**

कृपया आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही धनराशि व्यय करने का कष्ट करें।

भवदीय

Sd/-

(डा0 ए0 के0 सच्चर)
संयुक्त निदेशक/
आहरण वितरण अधिकारी
मुख्यालय।

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट वर्श 2015–16
(सभी योजनाओं व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

केन्द्र पोषित योजनाएँ

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	योजना का नाम	अवमुक्त बजट	व्यय
1	केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार जोधपुर राजस्थान के वित्तीय सहयोग से भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (SWIS)	51.25	51.25
2	Improving the Livelihood of Sheep Breeders Using 5 Mobile Veterinary Van On Migratory Routes (RKVY)	22.50	–
3	अहिल्याबाई होलकर भेड़–बकरी विकास योजना (RKVY)	100.00	100.00
4	Providing facilities to shepherds for wool and livelihood improvement by Machine Shearing, treatment camps and establishment of Sheep/Goat Paravet Centre (ILSP)	13.00	7.00

राज्य पोषित योजनाएँ

क्र0सं0	योजना का नाम	स्वीकृत बजट	कुल व्यय
1	राज्य सेक्टर योजना अनुदान संख्या–28	12.00	12.00

मैनुअल–12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसे आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

12– सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसे आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा चलायें जाने वाले समस्त कार्यों के लिए जिलों के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, की सहायता ली जाती है। भेड़पालकों से सम्बन्धित किसी भी कार्यक्रम को चलाने से पहले मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी से उनके नामों की एक सूची मॉगी जाती है। उसके बाद सभी भेड़पालकों को सूचित किया जाता है कि उन्हें प्रदान की जानी वाली सुविधायें कहॉ से प्राप्त की जा सकती हैं।

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय में केन्द्रीय भेड़ पालक तथा केन्द्रीय भेड़ बीमा योजना चलायी जा रही है। जिसके अर्न्तगत निम्नलिखित भेड़पालकों को लाभ पहुंचाया गया।

1.2–<u>सामाजिक सुरक्षा योजना–</u>

Central Shepherd /Sheep Breeder Insurance Scheme Sponsored by Central Wool Development Board Jodhpur Rajasthan
Insured by L.I.C. Dehradun for the Year 2015-16

जनपद उत्तरकाशी विकासखण्ड भटवाड़ी

क्र0स0	भेड़पालक का नाम	पिता /पति का नाम	जन्म तिथि	ग्राम
1	श्री चन्दन सिंह	श्री मोर सिंह	1/7/1969	सिल्ला
2	श्री रविन्द्र सिंह	श्री कौर सिंह	1/7/1989	जखोल
3	श्री कुशाल सिंह	श्री कुन्दन सिंह	1/7/1974	जखोल
4	श्री रामचन्द्र सिंह	श्री विजेन्द्र सिंह	10/12/1975	कुंजन
5	श्री चतर सिंह	श्री गैणा सिंह	1/7/1963	द्वारी
6	श्री जयेन्द्र सिंह रमोला	श्री मोर सिंह रमोला	6/4/1963	जखोल
7	श्री प्रमोद सिंह	श्री शूरवीर सिंह	1/7/1990	द्वारी
8	श्री पूरन सिंह रमोला	श्री तेग सिंह	1/7/1970	द्वारी
9	श्री राम प्रसाद	श्री जबर सिंह	3/9/1974	कुंजन
10	श्री राजवीर सिंह	श्री कौर सिंह	1/7/1981	द्वारी
11	श्री धर्म सिंह	श्री तेग सिंह	1/7/1973	द्वारी
12	श्री अमीर सिंह	श्री उम्मेद सिंह	3/3/1976	वार्सू
13	श्री धर्मन्द्र सिंह	श्री केवल सिंह	16/8/1991	कुंजन
14	श्री सुरेन्द्र सिंह	श्री नैन सिंह	1/7/1970	द्वारी
15	श्री विनोद सिंह	श्री शूरवीर सिंह	1/7/1984	द्वारी
16	श्री भरत सिंह	श्री बचन सिंह	1/7/1971	भुक्की
17	श्री कमल सिंह	श्री माधो सिंह	1/7/1962	बगोरी
18	श्री मुकेश चन्द्र रमोला	श्री उम्मेद चन्द्र रमोला	1/7/1979	जखोल
19	श्री जबर सिंह	श्री प्रम सिंह	1/7/1962	रैथल
20	श्री चन्द्रमोहन	स्व0 रतन सिंह	1/7/1970	द्वारी
21	श्री सुमन सिंह राणा	स्व0 विशन सिंह	1/7/1967	रैथल
22	श्री कर्णचन्द	श्री कुन्दन सिंह	1/7/1974	गंगनानी
23	श्री रविन्द्र सिंह	श्री नैन सिंह	1/7/1971	द्वारी
24	श्री जगमोहन सिंह	श्री लाखी सिंह	1/7/1961	रैथल
25	श्री भागवत सिंह	श्री विजेन्द्र सिंह	1/7/1983	कुंजन
26	श्री प्रेम सिंह	श्री सुरजन सिंह	1/7/1964	बगोरी
27	श्री गोपाल सिंह	श्री गंगाराम	10/12/1964	बगोरी
28	श्रीमती नारायणी देवी	स्व0 काशीराम	10/8/1961	बगोरी

29	श्री धर्मेन्द्र सिंह	श्री दयाल सिंह	11/11/1971	बगोरी
30	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्री मदन सिंह	5/7/1979	छोलमी (धराली)
31	श्री गंगा प्रसाद	श्री छिंगराम	1/7/1960	बगोरी
32	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री भवान सिंह	10/12/1967	बगोरी
33	श्री मनोज सिंह	श्री प्रेम सिह	6/8/1972	वीरपुर
34	श्री गोर्वधन	श्री सुन्दर सिंह	10/4/1974	बगोरी
35	श्री सुन्दर सिंह	श्री अब्बल सिंह	10/12/1958	बगोरी
36	श्री सोहन लाल	श्री मनीराम	1/7/1965	बगोरी
37	श्री जीत सिंह	श्री जबर सिंह	1/7/1964	रैथल
38	श्री राजकेन्द्र	श्री जगमोहन सिंह	1/7/1987	रैथल
39	श्री कमल सिंह	श्री कौर सिंह	1/7/1963	रैथल
40	श्री गजेन्द्र सिंह रावत	श्री जयपाल सिंह	1/7/1979	रैथल
41	श्री राजेश रावत	श्री पदम सिंह	1/6/1973	रैथल
42	श्री दिगम्बर सिंह	श्री लाखी सिंह	1/7/1965	रैथल
43	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री जबर सिंह	1/7/1977	रैथल
44	राम चन्द्र सिंह	श्री कौर सिंह	1/7/1968	रैथल
45	श्री नत्थी सिंह	श्री जयपाल सिंह	1/7/1974	रैथल
46	श्री मंगल सिंह	श्री गौर सिंह	1/7/1958	तिहार
47	श्री रविन्द्र सिंह रावत	श्री कौर सिंह	1/7/1988	द्वारी
48	श्री जगत सिंह	श्री गौर सिंह	1/7/1965	रैथल
49	श्री विजय सिंह रावत	श्री कलम सिंह	1/7/1971	द्वारी
50	श्री सुमन सिंह	श्री कर्ण सिंह	17/9/1984	द्वारी
51	श्री प्रवीन	श्री स्व0 धीरपाल सिंह	1/7/1986	बार्सू

जनपद उत्तरकाशी विकासखण्ड मोरी

क्र0स0	भेड़पालक का नाम	पिता /पति का नाम	जन्म तिथि	ग्राम
1	श्री नारायण सिंह	श्री हिमराम	25/2/1980	भितरी
2	श्री भरत सिंह	श्री जबर सिंह	19/8/1961	फिताड़ी
3	श्रीमती सुमित्रा देवी	श्री सरदार सिंह	12/3/1962	भितरी
4	श्री गिरधारी	श्री नत्थी सिंह	10/11/1964	भितरी
5	श्री महावीर सिंह	स्व0 तेगी सिंह	11/2/1976	भितरी
6	श्री गजेन्द्र सिंह	स्व0 ठाकुर सिंह	15/2/1981	भितरी
7	श्री रतन सिंह	श्री आनन्द सिंह	2/1/1970	भितरी
8	श्री सरण सिंह	श्री कुण्डल सिंह	5/2/1982	भितरी
9	श्री ज्ञान देव	श्री कुमर सिंह	5/4/1990	भितरी
10	श्री रामपाल सिंह	श्री गन्दर सिंह	5/5/1987	भितरी
11	श्री जूनी लाल	श्री बनासू	12/9/1962	सट्टा
12	श्री खजान सिंह	श्री हिमराम	2/4/1985	भितरी
13	श्री चन्द्रमणी	श्री नत्थी सिंह	16/6/1969	सट्टा
14	श्रीमती सन्तोषी देवी	श्री मुंशी राम	1980	हड़वाडी
15	श्रीमती मीना देवी	श्री ज्वालाराम	1/1/1979	ल्ड़वाडी
16	श्रीमती कविता देवी	श्री सन्तोष सिह	2/10/1990	हड़वाडी
17	श्रीमती जगदारी	श्री सत्या सिंह	5/5/1988	हड़वाडी
18	श्रीमती चैनी देवी	श्री मोहन सिंह	1971	हड़वाडी
19	श्रीमती कुमारी देवी	श्री मुरत सिंह	1980	हड़वाडी
20	श्रीमती सन्ती देवी	श्री विर्दा सिंह	1966	हड़वाडी
21	श्रीमती ठाणा देवी	श्री सत्यापाल	1964	हड़वाडी
22	श्रीमती चैनी देवी	श्री शिवलाल	1962	हड़वाडी

23	श्री प्रवेश दत्त	श्री कृष्णी प्रसाद	7/7/1993	दोणी
24	श्री बनीदास	श्री भूंगर दास	15/9/1963	दोणी
25	श्री बिहारी सिंह	श्री धमा सिंह	1/3/1968	दोणी
26	श्री रामपाल	श्री बानी सिंह	7/2/1985	दोणी
27	श्री रमेश	श्री पौनी सिंह	9/9/1969	दोणी
28	श्री चन्द्र सिंह	श्री कर्जूनन्द	1/4/1964	दोणी
29	श्री उरूलाल	श्री नीरू	18/10/1973	दोणी
30	श्री सुन्दर लाल	श्री बनासू	10/6/1991	सेवा

जनपद उत्तरकाशी विकासखण्ड पुरोला

क्र0स0	भेड़पालक का नाम	पिता /पति का नाम	जन्म तिथि	ग्राम
1	श्री चन्द्रमोहन सिंह	श्री फिशन सिंह	10/1/1975	वेष्टी पल्ली
2	श्री अजयपाल सिंह	श्री गोपाल सिंह	1/7/1977	वेष्टी पल्ली
3	श्री गजेन्द्र सिंह	श्री भोपाल सिंह	1/7/1988	वेष्टी पल्ली
4	श्री दुगल किशोर	श्री गुलाबू	3/7/1972	खलाड़ी
5	श्री रमेश	श्री किशन	1/7/1974	ढकाड़ा
6	श्री श्याम चंद	श्री हिमा	15/9/1971	वेष्टी पल्ली
7	श्री जयवीर सिंह	श्री सीलीराम	30/1/1963	वेष्टी पल्ली
8	श्री सोवेन्द्र	श्री खीमा	1/7/1981	रामा
9	श्री उपेन्द्र सिंह	श्री जयवीर सिंह	1/7/1977	दणमाणा
10	श्री यशवीर सिंह	श्री राम सिंह	10/4/1971	वेष्टी पल्ली
11	श्री डब्बल सिंह	श्री भोपाल सिंह	5/5/1956	कसलौ
12	श्री किशन सिंह रावत	श्री गंगा सिंह रावत	1/7/1957	किमडार
13	श्री मेघनाथ सिंह	श्री सूरत सिंह	1/7/1969	मोल्टाड़ी
14	श्री मंगल सिंह	श्री सच्चे सिंह	1/7/1962	महरगांव
15	श्री बचन सिंह	श्री गंगा सिंह	1/7/1959	किमडार.
16	श्री सुचेत सिंह	श्री जयपाल सिंह	1/7/1979	डोखरी
17	श्री जयेन्द्र सिंह	श्री उतिम चन्द	1/7/1981	नागझाला
18	श्री जगवीर सिंह	श्री अकबर सिंह	1/4/1978	मोल्टाड़ी
19	श्री सुरजपाल	श्री सोबन सिंह	1/7/1975	वेष्टी पल्ली
20	श्री अमर सिंह	श्री नत्थी सिंह	1/7/1960	वेष्टी पल्ली
21	श्री मेम्बर सिंह	श्री सोवन सिंह	4/3/1991	वेष्टी पल्ली
22	श्री जगवीर सिंह	श्री रजन सिंह	1/7/1977	छानिका
23	श्री प्रेम लाल	श्री जीत	1/7/1968	घुण्डाडा
24	श्री प्रेम लाल	श्री खेलणू	1/7/1965	सुनाली
25	श्री अर्जन सिंह	श्री सूरत सिंह	1/7/1985	मोलटाड़ी
26	श्री श्यामू	श्री मुसा	1/7/1965	ढ़ोकरो
28	श्री रमेश चनद्र	श्री झापुल्या	1/7/1966	सुनाली
29	श्री श्याम लाल	श्री चन्दनिया	1/7/1987	सर
30	श्री राकेश सिंह	श्री कुंवर सिंह	1/7/1980	रेवड़ी(स्यालुकड़ी)
31	श्री भजन सिंह	श्री जयानन्द	1/7/1963	वेष्टी वल्ली
32	श्री मनमोहन सिंह	श्री किशन सिंह	1/7/1977	वेष्टी वल्ली
33	श्री दशरथ सिंह	श्री दाता राम	1/1/1972	वेष्टी पल्ली
34	श्री मोहन सिंह	श्री वालम सिंह	1/7/1957	गोल्टाड़ी

35	श्री सुखदेव सिंह	श्री जगन्नाथ सिंह	1/7/1991	गोल्टाड़ी
36	श्री प्रहलाद सिंह	श्री जालम सिंह	1/7/1961	वेष्टी पल्ली
37	श्री चन्द पाल सिंह	श्री वीरेन्द्र सिंह	1/7/1990	नागझाला
38	श्री चरण सिंह	श्री पूरण सिंह रावत	1/7/1987	डिगाड़ी
39	श्री त्रेपन सिंह	श्री बालम सिंह	1/7/1961	मोल्टाड़ी
40	श्री वीरन्द्र	श्री नैनीयाल सिंह	1/7/1962	मठ
41	श्री देवेन्द्र सिंह	श्री नौनियाल सिंह	1/7/1965	मठ
42	श्री शीशपाल सिंह	श्री कुन्दरा	1/7/1970	ढुकारा
43	श्री यशवीर सिंह	स्व0 जगत सिंह	1/7/1980	कांसलौ
44	श्री गरीबदास	श्री भिकरू	1/7/1970	स्यालुका
45	श्री जयेन्द्र सिंह	श्री बालम सिंह	1/7/1957	लेवटाड़ी
46	श्री यशमोहन सिंह	श्री नैन सिंह	1/7/1990	किमडार
47	श्री चन्द्रमोहन सिंह	श्री पुष्कर सिंह	1/7/1975	मोल्टाड़ी
48	श्री जयेदव सिंह	श्री जयेन्द्र सिंह	1/7/1981	मोल्टाड़ी
49	श्री सियाराम सिंह रावत	श्री पूर्ण सिंह रावत	2/2/1976	कण्डियाल गांव
50	श्री शिशपाल सिंह	श्री जीवा सिंह	26/3/1966	डिंगाडी
51	श्री उपेन्द्र सिंह	श्री हरि सिंह	1/7/1984	मोल्टाड़ी
52	श्री चन्द्र सिंह	श्री सत्य सिंह	1/1/1959	घुण्ड
53	श्री लोकेन्द्र	श्री श्रीपति	1/7/1990	ढुकरा
54	श्री जगत सिंह	श्री सूरत सिंह	1/7/1965	खडक्यासेम
55	श्री विजल्या	री घुस्या	1/7/1972	माण्डिया
56	श्री विजयपाल सिंह	श्री नैन सिंह	1/7/1969	मोल्टाड़ी
57	श्री धीरपाल सिंह	श्री चन्दन सिंह	1/7/1964	कण्डियाल गांव
58	श्री प्रताप सिंह	स्व0 किमी सिंह	1/7/1970	गौल
59	श्री भूरालाल	स्व0 पत्तू	1/7/1960	नागझाला
60	श्री गिरवीर सिंह	श्री पूर्ण चन्द	1/7/1977	वेष्टी पल्ली
61	श्री सोबत सिंह पंवार	श्री सूरत सिंह पंवार	1/7/1965	सुनाली
62	श्री तिलक चन्द	श्री फते सिंह	1/7/1967	वेष्टी पल्ली
63	श्री सोवेन्द्र सिंह पंवार	श्री सुन्दर सिंह	1/7/1967	सुनाली
64	श्री कृपाल सिंह	श्री नारायाण सिंह	1/7/1956	कसलो
65	श्री सुरेश कुमार	श्री हरीभज	1/7/1973	ढिकाल गांव
66	श्री बलवीर सिंह	श्री सूरत सिंह	1/7/1974	कसलो
67	श्री गजेन्द्र सिंह	श्री डबबल सिंह	1/1/1989	कसलौ
68	श्री बीरेन्द्र सिंह	श्री सुन्दर सिंह	1/7/1972	कसलौ
69	श्री अनिल सिंह	श्री रामकला सिंह	1/7/1984	सुनाली
70	श्री जयदेव सिंह	श्री कर्मचन्द चौहान	2/6/1993	मठ
71	श्री आशाराम सिंह	श्री बालम सिंह	1/7/1960	जरवाली
72	श्री चरण सिंह	श्री कृपाल सिंह	1/1/2082	मोल्टाड़ी
73	श्री इर्शमोहन	श्री कर्मचन्द चौहान	1/7/1973	मठ
74	श्री उपेन्द्र सिंह	श्री सुन्दर सिंह	1/7/1970	मठ
75	श्री पूर्णिया	श्री खेलणू	1/7/1959	ढुकरा
76	श्री गोविन्द सिंह	श्री भजन सिंह	1/7/1965	महरगांव
77	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री सूरत सिंह	1/7/1972	मोल्टाड़ी
78	श्री हिरवीर सिंह	श्री सुन्दर सिंह	1/1/1973	स्यालुका

79	श्री परमयान सिंह	श्री जयपाल सिंह	1/7/1974	ढुकरी
80	श्री वीरपाल सिंह	श्री गुलाब सिंह	1/7/1965	महरगांव
81	श्री प्रेम लाल	श्री धनपुर	1/7/1976	मोल्टाड़ी
82	श्री अमीन सिंह	श्री जयेन्द्र सिंह	1/7/1994	वेष्टी पल्ली
83	श्री नरेन्द्र सिंह	श्री मण्डल सिंह	1/7/1981	कसलौ
84	श्री बचनू	श्री जमनू	1/7/1957	करड़ा
85	श्री सोवन सिंह	श्री जयराम सिंह	1/7/1957	सर
86	श्री प्रताप सिंह	श्री नीला सिंह	1/7/1970	सुनाली
87	श्री शिशपाल सिंह	श्री गंगा सिंह	1/7/1967	किमडार
88	श्री वीरपाल सिंह	श्री गोपोचन्द	1/7/1970	कुफारा
89	श्री मेहानाथ सिंह	श्री नैन सिंह	1/7/1964	डिगाडी
90	श्री रजन सिंह	श्री नारायाण सिंह	1/7/1962	वेष्टी पल्ली
91	श्री बलवीर सिंह	श्री ललितराम	1/7/1978	ढकाड़ा
92	श्री ठाकुर सिंह	स्व0 जयपाल सिंह	1/7/1975	कोटी
93	श्री उपेन्द्र सिंह	श्री जयवीर सिंह	1/7/1977	दरमाणा
94	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री सूरत सिंह	1/7/1985	कसलौ
95	श्री जयकृष्ण सिंह	श्री सूरत सिंह	1/7/1985	मोल्टीड़ी
96	श्री अर्जन सिंह चौहान	श्री जयेन्द्र सिंह चौहान	8/5/1985	मैराणा
97	श्री अमीन सिंह	श्री पूर्ण सिंह	2/5/1995	डोखरी
98	श्री जगमोहन सिंह	श्री सुन्द्रर सिंह	1/7/1967	कन्डियाल गांव
99	श्री सोबेन्द्र सिंह	श्री अजयपाल सिंह	1/7/1985	कसलौ
100	श्रीमती बचनदेई	श्री जयपाल सिंह	1/7/1970	कसलौ
101	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री बालम सिंह	1/7/1960	लेवटाडी

जनपद चमोली विकासखण्ड घाट एवं जोशीमठ

क्र0स0	भेड़पालक का नाम	पिता /पति का नाम	जन्म तिथि	ग्राम
1	श्री दोलत सिंह	श्री सबर सिंह	14/10/1976	आला, घाट
2	श्री कंचन सिंह	श्री हरक सिंह	1/10/1977	पेरी, घाट
3	श्री मोहन सिंह	श्री नारायण सिंह	3/6/1968	गैरी, घाट
4	श्री जसपाल सिंह	श्री शिव सिंह	1/11/1978	लंगसी
5	श्री दौलत सिंह	श्री उमेद सिंह रावत	25/05/1971	ल्यारी
6	श्री बलवन्त सिंह	श्री केदार सिंह	1/7/1962	थैग
7	श्री हयात सिंह	श्री फागना सिंह	11/5/1966	सूकी
8	श्रीमती सीता देवी	स्व0 गजेन्द्र सिंह	1/71978	गणाई
9	श्री प्रेम लाल	श्री अब्बल सिंह	1/7/1964	लंगसी
10	श्रीमती सरोप देवी	स्व0 हरीश चन्द्र	1/7/1981	गणाई
11	श्री गुमान सिंह	श्री सोवन सिंह	1/6/1973	रिंग
12	श्री जयकृष्ण भट्ट	श्री सोवन सिंह फरस्वाण	1/7/1986	बड़ा गांव
13	श्री देवेश सिंह पंवार	स्व0 कुन्दन सिंह	8/6/1988	मोल्य

14	श्री रमेश सिंह पंवार	श्री कुन्दन सिंह पंवार	15/6/1975	मोंल्य
15	श्री जसपाल सिंह पंवार	श्री स्व0 बचन सिंह पंवार	9/10/1988	मोंल्य
16	श्री दलवीर सिंह	श्री कृपाल सिंह	5/8/1977	ट्वींग
17	श्री बीरेन्द्र सिंह	श्री बद्वी सिंह	8/3/1976	सलड डूँगा
18	श्री कुन्दन सिंह राणा	श्री इन्दर सिंह	5/6/1966	पगनौ
19	श्री प्रताप सिंह	श्री बादर सिंह भण्ड़ारी	7/3/1975	पगनौ
20	श्री दीवान सिंह भण्ड़ारी	स्व0 बादर सिंह भण्ड़ारी	14/10/1973	पगनौ
21	श्री द्वारिका लाल	श्री नैनू लाल	25/3/1966	गुलाबकोटी
22	श्री शिव सिंह	स्व0 नारायण सिंह नेगी	15/2/1972	थैग
23	श्री मेहरबान सिंह	श्री दीवान सिंह	1/7/1962	ल्यारी थैणा
24	श्रीमती दीपा देवी	स्व0 अमर सिंह	1/7/1979	गणाई
25	श्री शिव लाल	श्री फगणू लाल	1/7/1983	गणाई
26	श्री दिनेश लाल	श्री बचनी लाल	1/7/1981	तुगासी
27	श्री भगत सिंह	श्री पान सिंह	11/5/1991	पगनौ

जनपद पिथौरागढ़ विकासखण्ड मुनस्यारी

क्र0स0	भेड़पालक का नाम	पिता /पति का नाम	जन्म तिथि	ग्राम
1	श्री नैन सिंह	स्व0 पुष्कर सिंह	22/9/1963	माणीटुण्ड़ी
2	श्री महेन्द्र सिंह	श्री कुँवर सिंह	6/10/1977	माणीटुण्ड़ी
3	श्री नारायण सिंह	श्री दुर्गा सिंह	10/11/1978	रिंगू
4	श्री गंगा सिंह	श्री मंगल सिंह	25/5/1972	नितौली
5	श्री हिम्मत सिंह रावत	स्व0 पदम सिह	1/7/1965	सिरतोला
6	श्री नारायण सिंह	श्री जगत सिंह	7/2/1989	गोल्फा
7	श्री हयात सिंह	स्व0 दीवान सिह	14/1/1969	गोल्फा
8	श्री हिम्मत सिंह रावत	स्व0 मोहन सिंह	18/1/1963	सिरतोला
9	श्री बाला सिंह जेष्ठा	स्व0 खीम सिंह	15/6/1969	बोना
10	श्री प्रेम सिंह तोमक्याल	स्व0 नेत्र सिंह	1/2/1964	तोमिक
11	श्री तेज सिंह धर्मशक्तू	स्व0 दरवान सिंह	28/10/1966	गोल्फा
12	श्री जगत सिंह रावत	स्व0 धन सिंह	4-Oct	गोल्फा
13	श्री मोहन सिंह	श्री त्रिलोक सिंह	5/7/1977	वैगा
14	श्री धाम सिंह	श्री लाल सिंह	1/9/1971	रिंगू

जनपद रूद्रप्रयाग विकासखण्ड ऊखीमठ

क्र0स0	भेड़पालक का नाम	पिता /पति का नाम	जन्म तिथि	ग्राम
1	श्री वीरबल सिंह	स्व0 गजे सिंह	22/1/1976	गोण्डार
2	श्री शिवानन्द	श्री पदम सिंह	28/12/1959	गौण्डार
3	श्री संग्राम सिंह	श्री पदम सिंह	16/11/1975	गौण्डार
4	श्री शिशुपाल सिंह	श्री पदम सिंह	16/5/1963	गौण्डार
5	श्री जीतपाल सिंह	श्री बादर सिंह	26/3/1974	गौण्डार
6	श्रीमती रंगोली देवी	श्री दलीप सिंह	13/12/1976	गौण्डार
7	श्री विनोद सिंह	श्री कार्तिक सिंह	17/4/1981	गौण्डार
8	श्री मदन सिंह	श्री सिताब सिंह	10/1/1965	रांसी
9	श्री श्रीधर सिंह	श्री चैन सिंह	5/10/1905	गडगू
10	श्री दिलबर सिंह	स्व0 मकर सिंह	15/9/1983	दौणी
11	श्री दिनेश सिंह	श्री राम सिंह	10/11/1984	दौणी
12	श्री विनोद सिंह	श्री अब्बल सिंह	8/4/1988	जग्गी
13	श्री ज्ञान सिंह	श्री बचन सिंह	1966	रांसी
14	श्री दिबवर सिंह	श्री भवान सिंह	28/5/1987	जग्गी
15	श्री दिलबर सिंह	श्री शेर सिंह	5/8/1978	गैड़
16	श्री बीरेन्द्र सिंह	श्री बैशाख सिंह	20/8/1965	बुरूवा
17	श्री अमर सिंह	श्री पुष्कर सिंह	10/7/1968	गैड़
18	श्री रघुबीर सिंह	श्री पुष्कर सिंह	22/6/1978	गैड़
19	श्री यशवन्त सिंह	श्री अब्बल सिंह	4/7/1987	गैड़
20	श्री अब्बल सिंह	श्री देव सिंह	8/2/1964	गैड़
21	श्री महावीर सिंह	स्व0 वचन सिंह	15/9/1959	गोण्डार
22	श्री लव सिंह	श्री महावीर सिंह	5/6/1986	गोण्डार
23	श्री प्रेम सिंह	श्री गुमान सिंह	1964	बुरूवा
24	श्री शिवराज सिंह	स्व0 लाल सिंह	9/5/1970	राऊलेक
25	श्री नौरती देवी	स्व0 कमल सिंह	18/8/1980	जग्गी
26	श्रीमती पार्वती देवी	श्री दलीप कुमार	17/12/1986	राऊॅ
27	श्री देवेन्द्र सिंह नेगी	श्री लाल सिंह नेगी	1/1/1982	दैडा
28	श्री प्रकाश लाल	स्व0 सैनदास	6/10/1972	देवली
29	श्री पुष्कर सिंह	श्री गोपाल सिंह	1972	मचकण्डी

जनपद बागेश्वर विकासखण्ड कपकोट एवं जनपद उत्तरकाशी विकासखण्ड मोरी

क्र0स0	भेड़पालक का नाम	पिता /पति का नाम	जन्म तिथि	ग्राम	तहसील/ विकास खण्ड़
1	श्री चंचल सिंह	श्री खीम सिंह	1965	लाहुर	कपकोट
2	श्री तारा सिंह	श्री हयात सिंह	1/4/1972	लाहुर	कपकोट
3	श्री शेर सिंह	श्री दान सिंह	1964	लाहुर	कपकोट
4	श्रमती देववकी देवी	श्री भीम सिंह	1969	लाहुर	कपकोट
5	श्री विशन सिंह	श्री रतन सिंह	1966	लाहुर	कपकोट
6	श्री मोहन सिंह	श्री दलीप सिंह	5/31/1905	लाहुर	कपकोट
7	श्री उत्तम सिंह	श्री दोलत सिंह	1977	लाहुर	कपकोट
8	श्री पुरन सिह	श्री केदार सिंह	1975	नाचती	कपकोट
9	श्री रजीया	श्री दाकर्मा	10/10/1982	भितरी	कपकोट
10	श्री बिरेन्द्र सिंह	स्व0 प्रजार्पात	15/2/1977	भितरी	कपकोट
11	श्री राम लाल	श्री शेर सिह	11/1/1982	भितरी	मोरी
12	श्री जोगेश्वर	श्री चतर सिंह	1/1/1967	भितरी	मोरी
13	श्री सुरेन्द्र सिंह	श्री मोहन लाल	26/6/1989	भितरी	मोरी
14	श्री मुकेश सिंह	श्री रेवन सिंह	15/3/1992	भितरी	मोरी
15	श्री सत्य देवी	स्व0 कुन्दन सिंह	15/9/1970	भितरी	मोरी
16	श्री सुनील सिंह	श्री गुरूदेव सिंह	25/10/1986	भितरी	मोरी
17	श्री वीरबल सिंह	श्री सुन्दर सिंह	1/1/1979	भितरी	मोरी
18	श्री ज्ञान सिंह	श्री युद्ववीर सिंह	1/2/1985	भितरी	मोरी
19	श्री टुणी सिंह	श्री सुचीराम	1/1/1957	भितरी	मोरी
20	श्री मखन सिंह	स्व0 मुन्नी सिंह	29/3/1976	भितरी	मोरी
21	श्री सन्तोष सिंह	श्री गोवर्धन सिंह	10/9/1980	दोणी	मोरी
22	श्री नैपाल सिंह	श्री खुशीराम	12/10/1972	सट्टा	मोरी
23	श्री रचपाल सिंह	श्री खुशीराम	12/9/1974	दोणी	मोरी
24	श्री मनीराम	श्री मदन सिंह	1957	खनियासणी	मोरी
25	श्री भरत सिंह	श्री नत्थी सिंह	1968	खनियासणी	मोरी
26	श्री गजेन्द्र सिंह	श्री लाखम सिह	5/28/1905	कलाप	मोरी
27	श्री विरेन्द्र सिंह	श्री नैन सिंह	7/8/1966	हल्टाड़ी	मोरी
28	श्री धनीराम	श्री तालीराम	6/4/1967	सिदरी	मोरी
29	श्रीमती सायबी देवी	श्री मिलमी लाल	12-May	जखोल	मोरी

30	श्री सुरेश कुमार	श्री रागू लाल	20/7/1980	ढ़ाटमीर	मोरी
31	श्री जगदीश लाल	श्री रामू लाल	25/8/1986	ढ़ाटमीर	मोरी
32	श्री रामू लाल	श्री मदन लाल	4/5/1964	ढ़ाटमीर	मोरी
33	श्री इजयवीर सिह	श्री सिली सिंह	1/3/1976	ढ़ाटमीर	मोरी
34	श्री खजान सिंह	श्री पाली सिंह	3/4/1960	ढ़ाटमीर	मोरी
35	श्री हरिचन्द	श्री बरबल सिंह	9/3/1974	ढ़ाटमीर	मोरी
36	श्री सुरपाल	श्री जीत लाल	1/1/1983	ढ़ाटमीर	मोरी
37	श्री उमराल सिंह	श्री मनिराम	1/1/1990	ढ़ाटमीर	मोरी
38	श्री राजेश कुमार	श्री जीता लाल	5/7/1980	ढ़ाटमीर	मोरी

जनपद चमोली विकासखण्ड घाट एवं जनपद उत्तरकाशी विकासखण्ड मोरी

क्र0स0	भेड़पालक का नाम	पिता /पति का नाम	जन्म तिथि	ग्राम	तहसील/ विकास खण्ड़
1	श्री बलवन्त सिंह	श्री खिलाप सिंह	6/8/1972	सीकं	घाट
2	श्री मोहन सिंह	श्री मदन सिंह	27/11/1980	सीकं	घाट
3	श्री संजय सिंह	श्री सराद सिंह	15/2/1985	चरबंग	घाट
4	श्री कमल सिंह	श्री भवान सिंह	14/5/1980	चरबंग	घाट
5	श्री गुलाब सिंह	श्री भरत सिंह	28/8/1958	फाली	घाट
6	श्री सराद सिंह	श्री भजन सिंह	8/6/1970	उस्तौली	घाट
7	श्री रमेश राम	श्री किशनी राम	3/1/1970	उस्तौली	घाट
8	श्री पुष्कर सिंह	श्री खीम सिंह	9/5/1983	सीकं	घाट
9	श्री भवान सिंह	श्री केदार सिंह	10/11/1971	सीकं	घाट
10	श्री भरत सिंह	श्री हुकम सिंह	5/4/1981	सीकं	घाट
11	श्री गोपाल सिंह	श्री बख्तावर सिंह	7/3/1961	आला	घाट
12	श्री त्रिलोक सिंह	श्री बख्तावर सिंह	29/12/1965	आला	घाट
13	श्री त्रिलोक सिंह	श्री हुकम सिंह	4/9/1961	आला	घाट
14	श्री कुन्दन सिंह	श्री धर्म सिंह	2/12/1963	चरबंग	घाट
15	श्री भवान सिंह	श्री मेर सिंह	19/3/1964	आला	घाट
16	श्री लखपत सिंह	श्री बाग सिंह	1/8/1994	चरबंग	घाट
17	श्री हिम्मत सिंह	श्री कुंवर सिंह	8/7/1976	भटई	घाट
18	श्री साधू राम	श्री कलम सिंह	1975	नूराणू	मोरी
19	श्री विरेन्द्र सिंह	श्री इन्दर सिंह	1977	भितरी	मोरी
20	श्री राम किशन	श्री शिवा सिंह	22/10/1962	फिताड़ी	मोरी

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून के तत्वाधान में भेड़ बकरी पालकों के लिये वर्ष 2015–16 में चिकित्सा शिविरों में किये गये कार्यो का विवरण

क0 सं0	दिनांक	शिविर का स्थान	भेड़/बकरी पालकों की संख्या	किये गये कार्यो का विवरण			
				चिकित्सा		दवापान	दवास्नान
				बड़े पशु	छोटे पशु		
1	09-12-15	गेवाली, टिहरी गढ़वाल	9	–	10	100	–
2	14/9/2015 एवं 15/9/2015	टडवांण गांव, पन्तवाडी, थत्यूड, टिहरी गढ़वाल	12	–	50	50	200
3	23/12/2015	गुजराडा,ऋषिकेश टिहरी गढ़वाल	8	13	166	1071	710
4	01-01-16	मालसी, देहरादून	6	3	37	285	–
5	01-02-16	बसवालगांव, देहररदून	10	2	47	130	230

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड देहरादून (यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0)
वर्ष 2015–16
Impact of Machine Shearing and Buyer Sellers Meet

क्र0 सं0	दिनांक	दिवस	शियरिंग का स्थान / वि0ख0 / जनपद	मशीन शियरिंग की गयी भेड़ों की संख्या	एकत्रित ऊन प्रथम शियरिंग (कि0ग्रा0)	एकत्रित ऊन के नमूनों की संख्या
1	23.08.2015 से 28.08.2015 तक	6	गाड़ीब्रिज, तपोवन, चमोली	260	340.00	–
2	12.09.2015 से 13.09.2015 तक	2	गेवाली, टिहरी गढ़वाल	88	110.00	–
3	14.09.2015	1	टडवाणगांव पंन्तवाड़ी टिहरी गढ़वाल	109	140.00	24
4	15.09.2015 से	1	श्रीकोट भटवाड़ी, पंन्तवाड़ी टिहरी गढ़वाल	10	23.00	13
5	20.09.2015 से 28.09.2015 तक	9	थलकुण्डी, उत्तरकाशी	350	437.50	–
6	9.10.2015 से 15.10.2015 तक	7	पांगू , पिथौरागढ़	350	437.50	–
7	20.12.2015 से 26.12.2015 तक	7	मनइच्छादेवी मन्दिर के समीप गुजराड़ागांव के वन क्षेत्र में	400	500.00	216
8	29.12.2015 से 02.01.2016 तक	5	नीरगड्डू के समीप वन क्षेत्र में	350	437.00	200
9	03.01.2016 से 05.01.2016 तक	3	रानीपोखरी भोगपुर के समीप वन क्षेत्र में	200	250.00	120
10	06.01.2016 से 12.01.2016 तक	7	भोपालपानी वन क्षेत्र में	500	625.00	80
योग		**48**		**2617**	**3300.00**	**653**

मैनुअल–13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों/ अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

13–अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों/अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण :–

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के वर्ष 2015–16 के मुख्य कार्य

1. वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर द्वारा वित्त पोषित योजनाएंः

भेड़ एवं ऊन सुधार योजना

स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमः–उत्तराखण्ड राज्य के भेड़ बाहुल्य जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रूद्रप्रयाग, देहरादून एवं पौड़ी में वर्ष 2015–16 में 227547 दवापान, 213578 दवास्नान, 80521 चिकित्सा एवं 71622 टीकाकरण का कार्य किया गया।

नस्ल सुधार कार्यक्रमः–भेड़पालकों को उच्च वंशावली के 248 मेढ़ों का वितरण नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में किया गया।

उत्पादकता विकास में प्रोत्साहनः–उत्पादित ऊन के विपणन एवं ग्रेडिंग के प्रोत्साहन कार्यक्रम में 7468 कि0ग्रा0 ऊन की ग्रेडिंग व विपणन किया गया।

सामाजिक सुरक्षा योजनाः– 501 भेड़पालकों को केन्द्रीय भेड़पालक बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में बीमित किया गया तथा 73 बीमित भेड़पालकों के पाल्यों को रू0 100.00 प्रतिमाह की दर से रू0 87,600.00 की छात्रवृत्ति प्रदान की गयी।

प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरणः– राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पांगू, पिथौरागढ़ एवं राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र शामालीती, बागेश्वर पर मेढ़ा पालन इकाईयों की स्थापना की गयी।

2. अहिल्याबाई होलकर भेड़–बकरी विकास योजना :–

- भेड़–बकरीपालकों का पंजीकरण प्रारम्भ।
- योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में भी 200 उन्नत प्रजाति की भेड़–बकरी (10+1) इकाईयों की स्थापना की गयी।
- बहुउद्देशीय पशुचिकित्सा शिविर एवं गोष्ठियों का आयोजन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वित्त पोषित। वर्ष 2015–16 में भी 380 बहुउद्देशीय पशुचिकित्सा शिविर एवं गोष्ठियों का आयोजन किया गया।
- भेड़–बकरी पालकों की कौशल वृद्वि का आयोजन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वित्त पोषित। वर्ष 2015–16 में माह जनवरी–फरवरी में राज्य के 10 प्रगतिशील भेड़–बकरीपालको का केन्द्रीय बकरी अनुसंधान केन्द्र मखदूम, मथुरा में दस दिवसीय अध्ययन भ्रमण आयोजित किया गया। साथ ही माह मार्च 2016 में 40 भेड़–बकरीपालकों का तीन दिवसीय अध्ययन भ्रमण केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर राजस्थान में आयोजित किया गया।
- भेड़–बकरीपालकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वित्त पोषित। गढ़वाल मण्डल में पशुलोक ऋषिकेश एवं कुमाऊँ मण्डल में प्रशिक्षण केन्द्र भैंसवाड़ा, अल्मोड़ा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया किया गया।

- भेड़–बकरीपालकों को अतिरिक्त सुविधाएं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वित्त पोषित। प्रवर्जन मार्गो के भेड़पालकों को 474 एल्पाईन टैन्ट एवं 948 मैट्रस का वितरण वर्ष 2015–16 में किया गया।

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

05 भेड़–बकरीपालकों के प्रवर्जन मार्गो हेतु 05 सचल पशुचिकित्सा वाहन (05 Mobile Veterinary Van) जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली एवं टिहरी गढ़वाल हेतु मा0 पशुपालन मंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को हरी झण्डी दिखाकर उक्त जनपदों हेतु रवाना गया किया। सुसज्जित सचल पशुचिकित्सा सचल वाहन के माध्यम से राज्य के भेड़–बकरीपालकों एवं अन्य पशुपालकों के सहायतार्थ पशुचिकित्सा सेवाएं, दवापान, दवास्नान, टीकाकरण, मशीन द्वारा ऊन कतरन, शिविर स्थल पर ही प्रयोगशाला जांच की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

4. एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)

- **06 भेड़–बकरी पैरावेट केन्द्रों की स्थापनाः–** विकासखण्ड मुनस्यारी, कपकोट, भटवाड़ी, पुरोला, जोशीमठ एवं घनसाली के भेड़ बाहुल्य क्षेत्रों में से बेरोजगार शिक्षित युवकों को प्रशिक्षण उपरान्त मासिक मानदेय पर केन्द्रों के संचालन हेतु रखा गया है। योजना के अन्तर्गत ऊन उत्पादक समूहों, फैडरेशन का निर्माण एवं टीकाकरण, दवापान, दवास्नान, प्राथमिक उपचार एवं मशीन द्वारा ऊन शियरिंग सुविधा भेड़पालक के द्वार पर प्रदान किया जा रहा है।
- उपरोक्त विकासखण्डों में चिकित्सा एवं मशीन द्वारा ऊन कतरन शिविरों का आयोजन तथा भेड़पालकों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है।

5. **भेड़–बकरीपालकों हेतु चरान–चुगान की व्यवस्थाः–** भोटिया ग्रेंजिग एक्ट 1927 में संशोधन हेतु गठित माननीय मंत्रीमण्डल उपसमिति की बैठक दिनांक 09.06.2015 को आयोजित हुई। उपसमिति के निर्देशों के क्रम में चरान–चुगान के स्थल चिन्हित कर वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को शासनादेश जारी करने हेतु प्रेषित किया गया है।

6. भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान राज्य में प्रथम बार भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र शामालीती बागेश्वर में भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान सफलतापूर्वक किया गया। भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान करने वाला देश में उत्तराखण्ड तीसरा राज्य है।

7. ऊन की दरों का निर्धारण वर्ष 2015–16 हेतु किया गया है।

मैनुअल–14

किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो

14– किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो–

बोर्ड के पास नागरिकों को सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न प्रणालियां उपलब्ध है–

(क) उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की वैब साईट www.uswdbdehradun.in

(ख) विज्ञापनों द्वारा

(ग) गोष्ठियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा

(घ) रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा

वर्तमान समय में बोर्ड के पास कोई भी पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है जहां से नागरिकों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकें।

मैनुअल–15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है

15– सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है

सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण–

- समाचार पत्र
- पत्रिकायें
- सूचना पटल
- दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था–प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर।
- विभागीय मैनुअल– जनपदीय कार्यालय एवं मुख्यालय।
- विभागीय वैब साईट www.ahd.uk.gov.in
- टेलीविजन, रेडियो पम्पलेट इत्यादि।
- बोर्ड की वेब साइट– www.uswdbdehradun.in

मैनुअल–16

लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

16– लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

16.1 लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलेट अथोरिटी के सम्बन्ध में सूचना–

क– लोक सूचना अधिकारी–

क्रमांक	नाम	पदनाम	टेलीफोन / फैक्स नं0	पता
1.	डा0 मनीष पटेल	संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी	0135–2532926 / 2532816	पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग), मोथरोवाला रोड़, पो0ओ0 मोथरोवाला, देहरादून–248115

ख– विभागीय अपीलेंट अथोरिटी

क्र.सं.	नाम	पदनाम	टेलीफोन / फैक्स नं0	पता
1.	डा0 अविनाश आनन्द	मुख्य अधिशासी अधिकारी	0135–2532926 / 2532816	पशुधन भवन, द्वितीय तल (दायीं विंग), मोथरोवाला रोड़, पो0ओ0 मोथरोवाला, देहरादून–248115

मैनुअल–17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय

17– ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय–

17.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा उनके उत्तर प्रकरण पर कार्यवाही अपेक्षित है।

17.2 सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में–

- आवेदन–पत्र प्रारूप शासन द्वारा निर्धारित किया जा रहा है।
- शुल्क–शासन द्वारा निर्धारित किया जा रहा है।
- सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह मांगी जाय–आवेदन प्रारूप निर्धारित होने के उपरान्त
- सूचना न देने व अपील करने के सम्बन्ध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया– किसी भी बिन्दु पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा सूचना न देने पर शासन द्वारा राज्य सूचना आयुक्त से अपील की जा सकती है। जिसकी प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित की जा रही है।

17.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के सम्बन्ध में:–

- प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण– भेड़ पालकों को भेड़पालन ,प्रबन्धन, मशीन द्वारा ऊन कतरन, संक्रामक बीमारियां तथा उनकी रोकथाम आदि का प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा– प्रत्येक वित्तीय वर्ष माह अप्रैल से माह मार्च।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य–भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करते हुये भेड़ों में होने वाली प्रमुख बीमारियां तथा उनकी रोकथाम, मशीन द्वारा ऊन कतरन कार्यक्रम एवं नस्ल सुधार आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- लाभार्थी की पात्रता– लाभार्थी का भेड़पालक होना अनिवार्य है।
- पूर्वापेक्षायें– भेड़पालक प्रगतिशील होना अनिवार्य है।
- अनुदान/सहायता– कोई नहीं।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण– कोई नहीं।
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया– कोई नहीं।
- आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें– क्षेत्र/जनपद के पशुपालन विभाग की विभागीय संस्था/पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारीं।
- आवेदन शुल्क– कोई नहीं।
- अन्य शुल्क – कोई नहीं।
- आवेदन–पत्र का प्रारूप–प्रार्थना–पत्र के रूप में आवेदन किया जाना तथा इसमें भेड़ों की संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- संलग्नकों की सूची– कोई नहीं।
- संलग्नकों का प्रारूप– कोई नहीं।
- आवेदन करने की प्रक्रिया– भेड़ पालक अपना आवेदन पत्र क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें।
- चयन प्रक्रिया– प्रार्थना–पत्र/आवेदन–पत्र क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से विकास खण्ड स्तर पर गठित चयन समिति जिसमें ग्राम प्रधान, विकास खण्ड स्तर के पशुचिकित्सा अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा चयनित कर क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही सम्पादित की जानी है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी– प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः माह सितम्बर के अन्तिम सप्ताह से माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका– डाक द्वारा/दूरभाष द्वारा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया जाना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य– क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी/पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से ग्राम प्रधान को अवगत कराते हुये भेड़ पालकों को जागरूक किया जाना है।

- विभिन्न स्तरों पर जैसे जिला स्तर/ब्लाक स्तर इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण– इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

17.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र, अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि के सम्बन्ध में–

- प्रमाण–पत्र, अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि का नाम व विवरण– भेड़ पालक प्रशिक्षण
- प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु पात्रता– प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक भाग लेना अनिवार्य है।
- आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें– क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी/पशुचिकित्साधिकारी
- आवेदन शुल्क– कोई नहीं।
- अन्य शुल्क– कोई नहीं।
- आवेदन–पत्र का प्रारूप–प्रार्थना–पत्र के रूप में आवेदन किया जाना तथा इसमें भेड़ों की संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- संलग्नकों की सूची– कोई नहीं।
- संलग्नकों का प्रारूप– कोई नहीं।
- आवेदन करने की प्रक्रिया– भेड़ पालक अपना आवेदन पत्र क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें।
- चयन प्रक्रिया– प्रार्थना–पत्र/आवेदन–पत्र क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से विकास खण्ड स्तर पर गठित चयन समिति जिसमें ग्राम प्रधान, विकास खण्ड स्तर के पशुचिकित्साधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा चयनित कर क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही सम्पादित की जानी है।
- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया– प्रशिक्षण कार्यक्रम/स्थान निर्धारित करते हुये प्रशिक्षण प्रदान करना तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रमाण–पत्र प्रदान करना।
- आवेदन की सारी प्राथमिकतायें सही तरीके से पूरी करने के पश्चात् प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि जारी करने के लिये निर्धारित समयावधि–प्रशिक्षण प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् प्रमाण पत्र निर्गत कियाजाना है।
- प्रमाण–पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा– कोई नहीं।
- नवीनीकरण की प्रक्रिया– कोई नहीं।

17.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के सम्बन्ध में –

- **पंजीयन का उद्देश्य–** भेड़ पालकों को समस्त विभागीय सुविधायें प्रदान करने के लिये तथा उनके सत्यापन हेतु। यदि भेड़ पालक किसी बैंक से ऋण प्राप्त करता है तो उसके लिये उपयोगी।
- लाभार्थी की पात्रता– लाभार्थी का भेड़पालक होना अनिवार्य है।
- पूर्वापेक्षायें– भेड़पालक प्रगतिशील होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने के लिये कहां/किससे सम्पर्क करें– क्षेत्र/जनपद के पशुपालन विभाग की विभागीय संस्था/पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारीं।
- आवेदन शुल्क– कोई नहीं।
- अन्य शुल्क – कोई नहीं।
- आवेदन–पत्र का प्रारूप–प्रार्थना–पत्र के रूप में आवेदन किया जाना तथा इसमें भेड़ों की संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- संलग्नकों की सूची– कोई नहीं।
- संलग्नकों का प्रारूप– कोई नहीं।
- आवेदन करने की प्रक्रिया– भेड़ पालक अपना आवेदन पत्र क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें।

- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रकिया– प्रशिक्षण कार्यक्रम/स्थान निर्धारित करते हुये प्रशिक्षण प्रदान करना तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रमाण–पत्र प्रदान करना।
- आवेदन की सारी प्राथमिकतायें सही तरीके से पूरी करने के पश्चात् प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि जारी करने के लिये निर्धारित समयावधि– प्रशिक्षण प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है।
- प्रमाण–पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा– कोई नहीं।
- नवीनीकरण की प्रकिया– कोई नहीं।

17.6 लोक प्राधिकरण द्वारा टैक्स लेने के सम्बन्ध में – कोई नहीं।

17.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/पानी के संयोजन, संयोजन को अस्थाई/स्थाई रूप से विच्छेदन आदि के सम्बन्ध में – कोई नहीं।

17.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण– लोक प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ के अतिरिक्त ऊन विपणन में अन्य विभागों जैसे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से सहायता देना तथा कताई बुनाई की नई तकनीकों की जानकारी देना।

****